

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

कोलकाता

ई-निविदा/बोली के लिए

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 6 यात्री लिफ्टों की डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

भाग - I

(टेक्नो कमर्शियल बिड)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण		
1.	खंड I	**निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)**	
2.	खंड II	**निविदा का प्रारूप**	
3.	खंड III	**A. संविदा की सामान्य शर्तें बोली लगाने वालों के लिए सामान्य निर्देश**	
	उपबंध	1.	कार्य का नाम
		2.	कार्य का संक्षिप्त दायरा
		3.	पोर्टल (सीपीपीपी) पर ई-निविदा
		4.	पात्रता मापदंड
		5.	निविदा प्रक्रिया
		6.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
		7.	बोली-पूर्व बैठक
		8.	विचलन
		9.	वैधता
		10.	भाषा
		11.	प्राइस-बिड की दरें (भाग II)
		12.	सफल बोलीदाता
		13.	करार की शर्तें
		14.	जमानत राशि के प्रकार
		15.	निविदाओं का मूल्यांकन
		16.	बीमा
		17.	ड्राइंग और दस्तावेज़
		18.	कारखाना निरीक्षण
		19.	परीक्षण की विधि
		20.	प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक प्राधिकरण
		21.	अस्वीकृति के परिणाम
		22.	पैकिंग और प्रेषण
		23.	पूरा होने का समय
		24.	परिसमापन हर्जाना
		25.	भुगतान की शर्तें
		26.	हर काम के लिए मात्रा का शेड्यूल
		27.	साइट की स्थिति
		28.	पुलिस सत्यापन
		B. संविदा की विशेष शर्त	
		29.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश

क्रम सं.	विवरण		
		30.	निषेध/अदालती मामला
		31.	साइट का दौरा और तकनीकी विशिष्टताओं की पर्याप्तता
4.	खंड IV	**सुरक्षा संहिता**	
		A. सामान्य सुरक्षा	
		B. आग और विद्युत सुरक्षा	
5.	खंड V	**संविदा की सामान्य शर्तें**	
	उपबंध	1.	व्याख्या खंड
		2.	संविदा का दायरा
		3.	बदलाव नियोक्ता से मंज़ूर किए जाने हैं
		4.	मात्राओं का शेड्यूल और करार
		5.	संविदाकर्ता को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी
		6.	प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट
		7.	काम से बाहर निकलना
		8.	विवरण की पुष्टि करने के लिए सामग्री और कारीगरी
		9.	काम पर संविदाकर्ता का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव
		10.	कामगारों की बर्खास्तगी
		11.	कार्यों तक पहुंच
		12.	बैंक के इंजीनियर
		13.	अहस्ताक्षरमेंट और सब-लेटिंग
		14.	परिवर्तन, जोड़, चूक आदि
		15.	मात्राओं की अनुसूची
		16.	मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता
		17.	कार्यों का मापन
		18.	माप पुस्तिका
		19.	अतिरिक्त चीज़ों वगैरह की कीमतों का पता लगाना
		20.	अनिर्धारित सामग्री
		21.	अनुचित कार्य को हटाना
		22.	वर्चुअल पूरा होने के बाद दोष
		23.	वर्चुअल पूर्णता का प्रमाणपत्र
		24.	नामित उप-संविदाकर्ता
		25.	नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति
		26.	व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा
		27.	प्रारंभ और समापन की तिथि

क्रम सं.	विवरण		
		28.	पूरा न होने पर हर्जाना
		29.	विलंब और समय विस्तार
		30.	संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना
		31.	नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति
		32.	संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति
		33.	प्रमाणपत्र और भुगतान
		34.	विलम्बित भुगतान
		35.	मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा
		36.	अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार
		37.	नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली का अधिकार है
		38.	कार्यों का परित्याग
		39.	अधिशेष सामग्री की वापसी
		40.	संविदाकर्ता की मौत होने पर नियोक्ता का संविदा खत्म करने का अधिकार
		41.	दुर्घटना रिपोर्ट
		42.	कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम
		43.	अप्रकटीकरण खंड
		44.	कार्यक्रम चार्ट/ प्रगति रिपोर्ट
		45.	सांविधिक अनुमोदन
		46.	निषेध/अयोग्यता
6	खंड VI	**परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया गया है**	
7.	उपबंध VII	**काम की गुंजाइश**	
	एक।	**काम का दायरा और काम करते समय टेक्निकल स्पेसिफिकेशन**	
	बी।	**दोष देयता अवधि और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के दौरान काम का स्कोप**	
	बी .1	व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण	
	बी .2	जुर्माना	
8.	उपबंध VIII	**तकनीकी विनिर्देश**	
9.	उपबंध IX	**संविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली तकनीकी जानकारी**	
10.	खंड X	**निविदा के भाग II की मात्रा/छवि की अमूल्य अनुसूची**	
	संविदा		
1.	अनुबंध I	प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट	
2.	अनुबंध II	सीपीपीपी पर ई-निविदा की प्रक्रिया / ई- निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश	
3.	अनुबंध III	फर्म/बोली लगाने वाले की जानकारी के लिए फ़ॉर्मेट	
4.	अनुबंध IV	योग्य कार्यों के लिए प्रारूप	
5.	अनुबंध V	क्लाइंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट	

क्रम सं.	विवरण	
6.	अनुबंध VI	बैंकर सर्टिफिकेट/सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट
7.	अनुबंध VII	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
8.	अनुबंध VIII	तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियों में विचलन
9.	अनुबंध IX	करार की शर्तों का प्रारूप
10.	अनुबंध X	प्रदर्शन बैंक गारंटी / प्रतिधारण धन जमा का प्रोफार्मा
11.	अनुबंध XI	प्रोजेक्ट का टाइम शेड्यूल बोलीकर्ता को भरना होगा
12.	अनुबंध XII	भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा
13.	अनुबंध XIII	लिफ्ट लगाने के प्रस्तावित मकसद को पूरा करने के लिए साइट विज़िट और टेक्निकल काबिलियत के बारे में निविदा देने वाले के कन्फर्मेशन का प्रोफ़ॉर्मा।
14.	अनुबंध XIV	बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / सिविल मुकदमे / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचन
15.	अनुबंध XV	(19 साल) व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा का फ़ॉर्मेट

खंड-I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 6 यात्री लिफ्टों की डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता, "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 6 पैसेंजर लिफ्ट के डीएसआईटीसी" के लिए दो हिस्सों में ओपन ई-निविदा मंगा रहा है। काम की अनुमानित लागत ₹ 2.6 करोड़ है और इसे 48 हफ़्तों में पूरा करना है।

2. **पात्रता मानदंड** : पैसेंजर लिफ्ट के सिर्फ ओईएम (**मूल** इक्विपमेंट **विनिर्माता**) जिनके पास निविदा में हिस्सा लेने के लिए नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले लोग पात्र होंगे।

2.1 **पिछले अनुभव की अवधि** : इसी तरह के काम करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए* (बोली लगाने वाले को पैसेंजर लिफ्ट (किसी भी रकम का) के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के काम के लिए कार्य आदेश और उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले पूरी करनी होगी और टीडीएस सर्टिफिकेट (जैसा लागू हो) जमा करना होगा।

और

2.2 **पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य (अर्हक)**: बोली लगाने वाले के पास पिछले पांच वर्षों में लिफ्ट के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे इसी तरह के काम* करने का अनुभव होना चाहिए ((काम 01 अक्टूबर, 2021 और 30 सितंबर, 2026 के बीच पूरा होना चाहिए) और पूरे किए गए काम की न्यूनतम मूल्य नीचे दी गई होनी चाहिए :

(i) तीन एक जैसे पूरे किए गए काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर हो।

या

(ii) दो एक जैसे पूरे हुए काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर हो।

या

(iii) एक ऐसा ही काम जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर हो।

*** इसी तरह का काम : कम से कम 2.5** mps (मीटर प्रति सेकंड) की स्पीड वाली एक ही मेक की पैसेंजर लिफ्ट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग ।

और

2.3 **वार्षिक टर्नओवर** : 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले पिछले तीन फाइनेंशियल वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे ज़्यादा

और

2.4 **सॉल्वेंसी:** निविदा देने वाले के बैंकर से जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होगा, जो खास तौर पर काम के मकसद के लिए हो, और काम की अनुमानित लागत के बराबर रकम का हो।

और

2.5 **सर्विस सेटअप:** बताए गए काम के लिए पूरा सर्विस सेटअप कोलकाता महानगर क्षेत्र में उपलब्ध होना चाहिए।

3. निविदा देने वालों को ई-निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपनी पात्रता के बारे में बैंक को सैटिस्फाई करने के लिए निविदा डॉक्यूमेंट्स के साथ नीचे दी गई जानकारी/डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देने चाहिए।

(ए)	फर्म की संरचना	संविदाकर्ता की फर्म की पूरी जानकारी (चाहे संविदाकर्ता कोई व्यक्ति हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या कंपनी वगैरह) डिटेल में अपलोड करनी होगी, साथ ही नाम और पता, पार्टनर के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन/पावर ऑफ़ अटॉर्नी/ दूसरे ज़रूरी दस्तावेज की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। देखें: एनेक्सर । और ।।।
(बी)	काम का अनुभव और तय समय में तय कीमत के मिलते-जुलते काम पूरे करना	अर्हक कामों के लिए डिटेल्ड कार्य आदेश की कॉपी, जिसमें काम देने की तारीख, काम की कीमत, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय वगैरह लिखा हो, और उससे जुड़े कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसमें काम पूरा होने की असली तारीख और किए गए वैसे ही कामों की असली कीमत लिखी हो, काम के अनुभव के सबूत के तौर पर साथ में लगानी चाहिए। किसी भी सेंटर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने के पिछले अनुभव, अगर कोई हो, के डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ डिटेल्स, भी अपलोड किया जाना चाहिए (अनुबंध IV)।
(सी)	संविदाकर्ता की क्रेडिट योग्यता और बताई गई अवधि के दौरान उनका टर्नओवर	फर्म के बिज़नेस के लेटेस्ट फ़ाइनल अकाउंट्स के साथ इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित किए गए हों, उनकी क्रेडिट और पिछले तीन वर्षों के टर्नओवर के सबूत के तौर पर अटैच किए जाने चाहिए।

(डी)	सेवा सेटअप	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में पूरी तरह से सर्विस सेटअप होने के सपोर्ट में मैन्युफैक्चरर्स से सर्टिफिकेट/कोई दूसरा वैलिड दस्तावेज साथ में लगाना होगा। (एनेक्सर III)
(ई)	बैंकर्स और उनके मौजूदा कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव्स के नाम और पते	अपने बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखी हुई जानकारी, साथ ही कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव (यानी वे लोग जिनसे उनके बैंकर्स के ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है) की पूरी जानकारी, जैसे नाम, पोस्टल एड्रेस, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर वगैरह अपलोड करनी होगी।
(एफ)	बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी, जैसे अकाउंट नंबर, टाइप, कब खोला गया वगैरह, अपलोड की जानी चाहिए। (एनेक्सर III)
(जी)	क्लाइंट्स और उनके मौजूदा कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव्स के नाम और पते	अपने क्लाइंट्स के नाम और पते के बारे में लिखी हुई जानकारी, साथ ही कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव (यानी वे लोग जिनसे उनके क्लाइंट्स के ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है) की पूरी डिटेल्स, जैसे नाम, पोस्टल एड्रेस, ई-मेल ID, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर वगैरह अपलोड करनी चाहिए (अनुबंध IV)।
(एच)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	क्लाइंट के हिसाब से काम के नाम, काम पूरा होने का साल, दिए गए काम की असली कीमत, संविदा में तय काम पूरा होने का समय और काम पूरा होने में लगा असली समय, जिन अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के तहत काम पूरा हुआ/हुए, उनके नाम और संपर्क की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए (एनेक्सर IV)।

4. जो बोलीकर्ता आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरी पात्रता के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत देकर बैंक को सैटिस्फाई करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक के पास उनका कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार है। अगर अपलोड किए गए निविदा में कोई दस्तावेज गायब है या नकली पाया जाता है , तो बैंक के पास गायब डॉक्यूमेंट्स/सर्टिफिकेट मांगने और इन सर्टिफिकेट को खुद से सत्यापित करने का अधिकार होगा ।

5. बैंक निविदा देने वाले के क्लाइंट्स और बैंकर्स से उसके पिछले परफॉर्मेंस की रिपोर्ट लेगा । बैंक टेंडर्स का भाग-II खोलने से पहले इन रिपोर्ट्स को इमूल्यएट करेगा। अगर किसी भी समय किसी निविदा देने वाले में निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट्स और/या उसके बैंकर्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा का भाग-I खुलने के बाद भी उसका ऑफर रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है और उसका सीलबंद लिफाफा जिसमें निविदा का भाग-II और ईएमडी है, उसे वैसे ही वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है।

6. ई-निविदा **सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी)** द्वारा किया जाएगा। https://etenders.gov.in/eprocure/app को आरबीआई की तरफ से थर्ड पार्टी के तौर पर अपलोड किया जाएगा।

इसलिए, निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए इंटरेस्टेड फर्मों को सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। सीपीपीपी पर रजिस्ट्रेशन और ई-निविदा के प्रक्रिया की डिटेल **अनुबंध II** में संलग्न की गई है। ई-निविदा दो हिस्सों में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ई-निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए स्टैंडर्ड टेक्निकल और कमर्शियल कंडीशन होंगी और ई-निविदा के भाग-II में प्राइस बिड होगी। सभी ज़रूरी एनेक्सर और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह ई-निविदा है, बोलीकर्ता को खोलने के लिए मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है।

7. बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, अपनी मर्ज़ी से किसी भी निविदा या सभी निविदा को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

8. कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे का एडेंडम / करिगेंडम / कार्यवृत्त प्री-बिड मीटिंग, जो सिर्फ़ आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे अपडेट निविदा दस्तावेज का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे, और अलग-अलग बोलीदाताओं को कोई अलग नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। किसी भी बदलाव के लिए इन पोर्टल्स को मॉनिटर करना बोलीदाताओं की पूरी ज़िम्मेदारी है ।

9. निविदा (एसओटी) समय-सारणी इस तरह है :

I.	ई-निविदा संख्या	2026_आरबीआई_293014
II.	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से मूल्य बोली
III.	अनुमानित लागत	₹2.6 करोड़ (जीएसटी सहित)
IV.	काम पूरा होने की समय अवधि	48 सप्ताह
V.	बयाना राशि जमा (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	₹5.2 लाख (पांच लाख बीस हजार रुपये मात्र) a) एनईएफटी / आरटीजीएस लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता; IFSC: RBIS0KLPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर संख्यात्मक शून्य); खाता संख्या: 186003001. b) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी

		किसी शेड्यूल्ड बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के नाम पर, कोलकाता में पेएबल, फिजिकल फॉर्म में 3rd फ्लोर, एस्टेट डिपार्टमेंट, भारतीय रिज़र्व बैंक, 15, NS रोड, कोलकाता - 700001 पर डिलीवर किया जाना है ।
VI.	सीपीपी पोर्टल /आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तारीख	02 अक्टूबर, 2026
VII.	प्री-बिड मीटिंग की तारीख और समय	21 अक्टूबर, 2026 सुबह 11:00 बजे **स्थान** : सम्मेलन कक्ष, तीसरी मंजिल, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 15, एनएस रोड, कोलकाता – 700001 **नोट:** स्पष्टीकरण के लिए सवाल 19 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले estatekolkata@rbi.org.in पर ई-मेल से भेजे जा सकते हैं । इसके अलावा, मीटिंग में शामिल होने के लिए विज़िटर पास के लिए ई-मेल भी 20 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले भेजा जा सकता है।
VIII.	आरबीआई वेबसाइट/सीपीपीपी पर प्री-बिड मीटिंग के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तारीख	23 अक्टूबर, 2026
IX.	भाग-I (तकनीकी-व्यावसायिक बोली) और भाग- II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा की आरंभ तिथि	23 अक्टूबर, 2026 शाम 07:00 बजे से
X.	ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख और समय	02 नवंबर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक (हमारे अकाउंट में दिखना चाहिए)
XI.	निविदा जमा करने की आखिरी तारीख और समय	02 नवंबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक
XII.	a. भाग-I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) खुलने की तारीख और समय	03 नवंबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे

	b. भाग II (प्राइस बिड) खुलने की तारीख	निविदा का भाग II सिर्फ़ उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग I सबमिशन की स्क्रूटनी में पात्र पाए जाएंगे। पात्र बोलीदाताओं को ईमेल से अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा।
XIII.	इस निविदा पर किसी भी स्पष्टीकरण / ईएमडी वगैरह की डिटेल भेजने के लिए अधिकारियों के नाम।	नाम: किरण पॉल (सहायक महाप्रबंधक) ईमेल: kiranpaul@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 9674033358 नाम: आर.एन. किस्कू (प्रबंधक टीई) ईमेल: rnkisku@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 9831914122 नाम: शशि शंकर सिन्हा (स,प्र. टीई) ईमेल: शशिसिंह @आरबीआई.ओआरजी.इन मोबाइल नंबर: 8424058435

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

कोलकाता

खंड II

निविदा का प्रारूप

श्री सुधांशु प्रसाद
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता

प्रिय महोदय,

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित चित्रों, विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, करार के लेखों, संविदा की विशेष शर्तों, इसके पूर्व संदर्भित संविदा की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, डाटा शीट और मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों, चित्रों और लिखित निर्देशों के अनुसार और ऐसी सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जैसा कि प्रदान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 6 पैसेंजर लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए ई-निविदा
(बी)	अनुमानित लागत	**₹ 2.6 करोड़**
(सी)	भुगतान की शर्तें	जैसा कि निविदा के भाग-I में बताया गया है
(डी)	बयाना राशि	**₹5.2 लाख**
(ई)	जमानत राशि राशि	जैसा कि निविदा के भाग-I में बताया गया है
(एफ)	हर बिल से काटी जाने वाली रकम	हर ऑन-अकाउंट बिल से @ 5% तब तक वसूला जाएगा जब तक कुल रिकवरी संविदा मूल्य का 5% न हो जाए, जैसा कि निविदा दस्तावेज में बताया गया है या संविदा मूल्य का @ 5% BG जमा करना होगा।

(जी)	प्रदर्शन बैंक गारंटी	जैसा कि निविदा के भाग-I में बताया गया है
(एच)	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	**48 सप्ताह**

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा निविदा, निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से **90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैध रहेगा** और इस वैलिडिटी अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित में तय समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हम बयाना **राशि के तौर पर बैंक गारंटी रखने के लिए भी सहमत हैं।** संलग्न प्रोफार्मा **(अनुबंध X)** के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधि और विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान **बयाना जमा (ईएमडी)।**

3. अगर हमारा निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम संविदा के सभी शर्तें को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं और अगर ऐसा नहीं होता है, तो बयाना राशि ज़ब्त कर लेंगे और आपको या आपके वारिसों, या असाइनी या नॉमिनी को शर्तों में बताई गई रकम का भुगतान करेंगे।

4. अगर हमारा निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त कर लेंगे और आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को देंगे, साथ ही संविदा की लिखित स्वीकृति भी देंगे।

5. हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। अगर हम संविदा पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि जमा की गई ईएमडी हमारी तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त कर ली जाएगी।

6. हम यह घोषणा करते हैं कि हम निविदा डॉक्यूमेंट्स और काम से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड को सीक्रेट/गोपनीय डॉक्यूमेंट्स मानेंगे और उससे मिली जानकारी/जानकारी किसी और को नहीं देंगे, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे मैं/हम इसे बताने के लिए ऑथराइज़्ड हूँ/हैं या जानकारी का इस्तेमाल किसी भी ऐसे तरीके से नहीं करेंगे जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा को नुकसान हो।

दिनांकित इस दिन का 2026.

के लिए और पर ओर से का एमएस

(हस्ताक्षर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुहर के साथ)

नाम _____

पद का नाम _____

स्थान _____

तारीख_____ _____

(प्रमाणित सत्य कॉपी का तख़्ता संकल्प या अधिदेश या शक्ति का प्रतिनिधि का ऊपर हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत के रूप में हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए प्रारूप अनुबंध- । के अनुसार संलग्न है ।

खंड III

A. बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. यह एक ओपन ई-निविदा इंक्वायरी है जो दो हिस्सों में है, यानी भाग- I (टेक्नो कमर्शियल) । और भाग II (प्राइस बिड)। सिर्फ़ वही बोलीकर्ता/संविदाकर्ता/निविदा इस निविदा में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं जो निविदा में बताए गए प्री-क्वालिफिकेशन/पात्रता मानदंड के हिसाब से काम के लिए क्वालिफाइड हैं।

2. **काम का संक्षिप्त दायरा**: कार्य का संक्षिप्त दायरा नीचे दिया गया है। हालाँकि, कार्य का विस्तृत विवरण इस निविदा के **खंड VII, VIII और IX** में दिया गया है।

 I. 6 पैसेंजर लिफ्ट को साइट से मौजूदा लिफ्ट को सुरक्षित रूप से हटाने के बाद बदला जाएगा ।

 II. **नई लिफ्टों का संपूर्ण वार्षिक रखरखाव:** एक साल के दोष देयता अवधि के दौरान सभी ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स के साथ सर्व-समावेशी सर्विस का प्रावधान (सभी लिफ्टों के लिए डीएलपी, सभी लिफ्टों को बैंक को सौंपने से शुरू होगा, हालांकि, पहले के फेज़ में चालू की गई लिफ्टें इस्तेमाल के लिए बैंक को सौंप दी जाएंगी) और एक साल के दोष देयता अवधि के बाद 19 साल के पूरे वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) अवधि के दौरान।

 III. **मौजूदा लिफ्टों का संपूर्ण रखरखाव:** 01 अप्रैल, 2027 से लेकर इन लिफ्टों को नई लिफ्टों से बदलने तक, मौजूदा लिफ्टों के ठीक से चलने के लिए सभी ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स के साथ सर्व-समावेशी सर्विस देना। इस मकसद के लिए, निविदा देने वाला टेकओवर की तय तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले अपनी टीम भेजेगा और सिस्टम को अच्छी तरह समझेगा। इस दौरान, संविदाकर्ता लिफ्टों को चालू रखने की पूरी कोशिश करेगा। इस रखरखाव के कार्य का चार्ज बोलीकर्ता को प्राइस-बिड में बताना होगा।

 IV. **लिफ्ट बदलने का क्रम:** लिफ्ट बदलने का कार्य अलग-अलग तरीके से किया जाएगा, यानी हर फ़ेज़ में दो लिफ्ट का एक सेट बदला जाएगा और यह कार्य हर तरह से दो महीने में पूरा हो जाएगा और उसके बाद अगले सेट की लिफ्ट बदलने से पहले 15 दिन का ट्रायल अवधि देखा जाएगा।

3. **सीपीपी पोर्टल पर ई-निविदा** : ई- निविदा का प्रक्रिया **अनुबंध** II में डिटेल में दिया गया है। फर्मों की डिटेल अनुबंध III में दिए गए फॉर्मेट में देनी होगी । कार्य पूरा होने के समय के साथ कार्य की अनुमानित लागत खंड I में दी गई है ।

4. **पात्रता मानदंड** : एनआईटी (उपबंध I) के पैरा 2 के अनुसार।

4.1 निविदा देने वालों को NIT के पैरा 3 में बताई गई जानकारी/डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देने होंगे।

4.2 जो बोलीकर्ता आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरी पात्रता के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत देकर बैंक को सैटिस्फाई करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक के पास उनका कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार है। अगर अपलोड किए गए निविदा में कोई दस्तावेज गायब है या नकली पाया जाता है, तो बैंक के पास गायब डॉक्यूमेंट्स/सर्टिफिकेट मांगने और इन सर्टिफिकेट्स को खुद से सत्यापित करने का अधिकार होगा।

4.3 बैंक, बोलीदाताओं के क्लाइंट्स और बैंकर्स से उनके पिछले परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट लेगा और जमा किए गए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स को प्रमाणित करेगा। टेंडर्स का भाग-II खोलने से पहले इन रिपोर्ट्स का इमूल्यएशन पूरा कर लिया जाएगा। अगर किसी बोलीकर्ता के पास प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर ज़रूरी पात्रता नहीं पाई जाती है, या अगर उसके क्लाइंट्स/बैंकर्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ठीक नहीं पाई जाती हैं, तो बैंक निविदा का भाग-I खुलने के बाद भी उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। इसलिए, उसकी भाग-II बिड नहीं खोली जाएगी और ईएमडी उसे उसके मूल रूप में वापस कर दी जाएगी। बैंक ऐसे कामों के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है ।

5. निविदा प्रक्रिया : **a.** ऊपर दिए गए कार्य के लिए निविदा **दो भागों में**, यानी **भाग I** जिसमें ऊपर दिए गए निविदा की कमर्शियल-टेक्निकल बिड होगी, और शर्तें (इस हिस्से में आइटम्स के रेट्स और अमाउंट कहीं नहीं दिखेंगे) और **भाग II** जिसमें सिर्फ रेट्स होंगे, उन्हें NIT के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

b . निविदा का भाग-I, NIT में बताई गई तारीख और समय पर खोला जाएगा।

c. पात्र बोलीदाताओं का भाग II, सभी बोलीदाताओं को बताकर अगली तारीख पर खोला जाएगा। डिटेल इमूल्यएशन मानदंड निविदा के भाग I में बताया गया है । नोट: मांगी गई सभी जानकारी/एनेक्सर, हर तरह से पूरे होने चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। दी गई शीट्स के अलावा दूसरी शीट्स पर दी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, फर्में सिर्फ़ दिए गए इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स के संबंधित कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर ही अपलोड कर सकती हैं।

6. **बयाना जमा राशि (ईएमडी) :** इच्छुक निविदा देने वाले खंड-I NIT में बताई गई रकम एनईएफटी के ज़रिए बैंक को या किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के नाम पर कोलकाता में देय भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम पर डिमांड ड्राफ़्ट के ज़रिए जमा करेंगे । इसके अलावा, निविदा देने वाला साथ दिए गए प्रोफ़ॉर्मा (एनेक्सर-VII) में ईएमडी के बराबर रकम के लिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक इर्रिवोकेबल बैंक गारंटी भी दे सकता है। ईएमडी के लिए जमा की गई बैंक गारंटी 31 मार्च, 2027 तक वैलिड रहेगी। एनईएफटी/डीडी/बैंक गारंटी डिटेल्स का प्रूफ़ टेक्निकल बिड / भाग I के साथ अपलोड किया जाना चाहिए और NIT में बताए गए ईमेल से भी भेजा जाना चाहिए। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जिस निविदा के साथ ऊपर बताए गए फ़ॉर्म में ईएमडी नहीं होगी, उसे नॉन-रिस्पॉन्सिव माना जाएगा, और बैंक उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा।

I. असफल निविदा देने वालों की ईएमडी सफल निविदा देने वाले को कार्य देने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल निविदा देने वाले की ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिए ज़रूरी बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी (उपबंध 14. II देखें) जो कार्य पूरा होने के समय को दोष देयता अवधि तक बढ़ा दिया गया है।

II. **अगर बोली लगाने वाला**:

a) जमा किए गए फॉर्म, स्टेटमेंट और अटैचमेंट में गुमराह करने वाली या गलत जानकारी दी हो, कोई भी ज़रूरी जानकारी, कोर्ट में पेंडिंग किसी भी कानूनी कार्रवाई के विवरण छिपाई हों, जिससे पात्रता मानदंड पर कोई असर पड़ सकता हो; या

b) बिड वैलिडिटी के समय के दौरान अपनी बिड वापस ले लेता है; या संविदा मिलने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

c) किसी सरकारी एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है और निविदा बुलाने की तारीख से ब्लैकलिस्टिंग लागू है।

d) प्राइस बिड खुलने के बाद बिड वापस ले लेता है।

e) तय समय सीमा के अंदर दिया गया कार्य शुरू नहीं कर पाता है।

f) कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के अंदर करार के आर्टिकल पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

7. **प्री-बिड मीटिंग** : पात्र निविदार्स की एक प्री-निविदा ब्रीफिंग मीटिंग NIT के अनुसार तारीख और जगह पर होगी, ताकि निविदा के बारे में उनके उठाए गए किसी भी पॉइंट/डाउट को क्लियर किया जा सके। इस मीटिंग के लिए कोई अलग से कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा।

I. जिन पॉइंट्स पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, उनसे जुड़ी सभी बातें पात्र निविदार्स को मीटिंग से एक दिन पहले NIT में दिए गए पते पर लिखकर/ईमेल से देनी होंगी।

II. निविदा से जुड़े किसी भी मामले पर बैंक से स्पष्टीकरण लेने के लिए सभी फर्मों को प्री-बिड मीटिंग में आना ज़रूरी है । इसके बाद प्री-बिड मीटिंग की तारीख बदलने की कोई अनुरोध नहीं मानी जाएगी। अगर कोई फर्म प्री-बिड मीटिंग में नहीं आती है, तो भविष्य में कोई स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा और प्री -बिड मीटिंग के कार्यवृत्त उन पर मानने होंगे।

III. प्री-बिड मीटिंग के बाद निविदा के भाग-I में निविदा की शर्तों में कोई भी बदलाव शामिल करने/सबमिट करने पर उसे रिजेक्ट किया जा सकता है।

IV. बिड मीटिंग के कार्यवृत्त और बिडिंग प्रक्रिया के बारे में जारी किए गए करिगेंडम/मॉडिफिकेशन/एडेंडम, अगर कोई हों, तो सिर्फ़ बैंक की वेबसाइट और सीपीपीपी पर होस्ट किए जाएंगे और किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।

8. **विचलन** : बैंक निविदा देने वाले को कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगाने से मना करता है। लेकिन, अगर निविदा देने वाले को लगता है कि निविदा डॉक्यूमेंट्स (टेक्नो-कमर्शियल) के कोई भी शर्तें उन्हें मंज़ूर नहीं हैं या उन्हें लगता है कि

अतिरिक्त शर्तें शामिल करने की ज़रूरत है, तो वे इन शर्तों या एनेक्सर VIII के अनुसार फ़ॉर्मेट में अपलोड की गई अतिरिक्त या बदली हुई शर्तों के बारे में बता सकते हैं। सबमिट किए गए डेविएशन की जांच की जाएगी और सभी निविदा देने वालों से बातचीत के बाद, बैंक को मंज़ूर की गई शर्तों के बारे में निविदा देने वालों को बताया जाएगा। अगर शर्तें मान ली जाती हैं। अगर कीमत पर कोई असर पड़ता है , तो सभी निविदा देने वालों को सलाह दी जाएगी कि वे भाग II में पहले से जमा की गई अपनी निविदा की गई रकम से ज़्यादा या कम परसेंटेज कोट करें। अपनी निविदा की गई रकम से ज़्यादा या कम परसेंटेज कोट करने का असर उन शर्तों पर पड़ेगा जिन्हें निविदा देने वालों को वापस लेना होगा या बैंक द्वारा मानी गई शर्तों के अनुसार उन्हें मिलने वाला अतिरिक्त फायदा। निविदा देने वाले के कोट की गई रकम से ज़्यादा या कम परसेंटेज वाला लेटर सीलबंद लिफाफे में डिपार्टमेंट को बाद में तय तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा और निविदा देने वालों को बताना होगा। यह लेटर, पहले से जमा किए गए निविदा दर के साथ भाग II कहलाएगा, और बताई गई तारीख पर फर्मों के प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा। बाकी सभी नियम और शर्तें, जिन पर निविदा देने वाले की कोई राय नहीं है, उन्हें निविदा देने वाले को मंज़ूर माना जाएगा।

9. **वैधता** : निविदा भाग-I खुलने की तारीख से 90 दिनों के समय तक बैंक निविदा स्वीकार करने के लिए खुले रहेंगे। इस समय को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और निविदा देने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।

10. भाषा : निविदा फ़ॉर्म इंग्लिश या हिंदी में भरा जाना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स के इंग्लिश और हिंदी वर्शन में कोई अंतर या साफ़ न हो, तो इंटरप्रिटेशन के मामले में इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा।

11. **प्राइस-बिड में दर (भाग II)** : सारा भुगतान भारतीय रुपया में किया जाएगा

I. दिए गए दर पक्के होंगे और उन पर एक्सचेंज दर, ड्यूटी, लोकल लेवी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लाइसेंस फीस या राज्य/लोकल बॉडी द्वारा लगाए गए किसी भी दूसरे टैक्स/ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं होगा।

II. दर पूरे कार्य के लिए दिए जाएंगे, यानी लिफ्ट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग और इसमें बताई गई साइट पर सभी टैक्स, स्कैफोल्डिंग, कंज्यूमेबल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, बीमा, स्टोरेज, वर्कमैन कम्पेनसेशन और थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी वगैरह के चार्ज शामिल होंगे, जब तक कि कार्य आखिरकार बैंक को हैंडओवर नहीं हो जाता। बैंक किसी भी टैक्स, ड्यूटी और लेवी के लिए कोई कंसेशनल फॉर्म जारी नहीं करेगा। अगर इक्विपमेंट इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है, तो उसे संविदाकर्ता के अपने इम्पोर्ट लाइसेंस पर इम्पोर्ट करने का इंतज़ाम किया जाएगा।

III. संविदा की खास शर्तों में बताए गए बीमा कवर के साथ दर।

IV. भाग II की संबंधित रो/कॉलम में प्रस्तावित लिफ्ट के लिए सभी चार्ज मिलाकर वार्षिक सीएएमसी दर बताएं।

V. मौजूदा लिफ्ट के टेकओवर की ड्यू डेट से लेकर उन्हें नई लिफ्ट से बदलने तक, मौजूदा लिफ्ट के व्यापक रखरखाव के लिए एकमुश्त दर बताएं।

12. **सफल बोलीकर्ता** : जिस बोलीकर्ता ने भाग II में सबसे कम बोली लगाई है (उपबंध 15 में बताए गए इमूल्यएशन मानदंड के अनुसार), उसे निविदा के सभी टेक्नो-कमर्शियल शर्तें का पालन करने पर सफल या L1 बोलीकर्ता माना जाएगा ।

13. **करार की शर्तें:** बैंक से अपने निविदा के एक्सेप्ट होने की जानकारी/लेटर ऑफ़ अवार्ड/कार्य आदेश मिलने पर, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर करार की शर्तें (फॉर्मेट एनेक्सर IX के अनुसार) पर हस्ताक्षर करना होगा। करार लागू स्टाम्प एक्ट के अनुसार ज़रूरी कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसका खर्च पूरी तरह से निविदाकर्ता को उठाना होगा।

अगर सफल बोलीकर्ता कार्य आदेश/लेटर ऑफ़ अवार्ड जारी होने की तारीख से **14 दिनों के अंदर औपचारिक करार की शर्तों पर हस्ताक्षर और उसे पूरा नहीं करता है**, तो ऐसा न कर पाना निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में, बैंक के पास यह पूरा अधिकार है:

i. संविदा का अवार्ड कैंसिल करें **।**
ii. बोली लगाने वाले को बिना किसी नोटिस या फाइनेंशियल देयता के, **बयाना राशि (ईएमडी) पूरी तरह से ज़ब्त कर लें ।**
iii. बोली लगाने वाले को एक तय समय के लिए बैंक के भविष्य के निविदा में हिस्सा लेने से **ब्लैकलिस्ट या डिबार करना ।**

14. **जमानत राशि का प्रकार:**

I. **रिटेंशन मनी: हर ऑन-अकाउंट बिल से 5% की दर से** रिटेंशन मनी तब तक रिकवर की जाएगी, जब तक कुल रिकवरी, संविदा मूल्य का 5% न हो जाए, जैसा कि निविदा दस्तावेज में बताया गया है। यह रकम दोष देयता अवधि (DLP) पूरा होने के बाद संविदाकर्ता को बिना किसी ब्याज के जारी कर दी जाएगी। फर्म रिटेंशन मनी के बदले बैंक गारंटी (BG) भी जमा कर सकती है, जो DLP के एक साल तक वैलिड रहेगी। BG का फॉर्मेट एनेक्सर X में दिया गया है।

II. **परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG):** ऊपर बताई गई रिटेंशन मनी के अलावा, कार्य मिलने पर, सफल निविदा देने वाले को संविदा की कीमत का 5% (पांच प्रतिशत) किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से बैंक गारंटी (BG) के रूप में देना होगा, जैसा कि एनेक्सर X में बताया गया है। संविदा की पूरी अवधि (कार्य पूरा होने का समय+DLP+60 दिन) के लिए संविदाकर्ता द्वारा संविदा की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) शुरू में संविदा की अवधि प्लस 60 दिनों के लिए वैलिड होगी और संविदा की अवधि बढ़ाने पर कार्य

के DLP प्लस 60 दिनों तक सही तरीके से बढ़ाई जाएगी। ऐसी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के अंदर बैंक को जमा करनी होगी।

III. निविदा में बताए गए तरीके से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करना पक्का किया जाएगा। अगर ज़रूरी वजहों से देरी होती है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने में देरी का चार्ज संविदाकर्ता के बिल से बैंक दर पर वसूला जाएगा।

IV. अगर निविदा में बताई गई DLP की शर्तों का पालन ठीक से नहीं होता है, तो बैंक के पास DLP के दौरान किसी भी समय, यानी कार्य सौंपने के एक साल बाद तक बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार है।

V. **व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी-PBG) के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी:** परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (5%) और रिटेंशन मनी (5%) एक साल का दोष देयता अवधि पूरा होने के बाद और 19 साल के लिए कमिटेड व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) अवधि की शर्तों और जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए नई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) जमा करने पर जारी की जाएगी (DLP के एक साल बाद) अनुबंध X में बताए गए फॉर्मेट में। PBG को DLP पूरा होने के 15 दिन पहले बैंक में जमा करना होगा। सीएएमसी की जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए PBG संविदाकर्ता द्वारा इस तरह जमा किया जाएगा:

a) लिफ्ट की कैपिटल कॉस्ट के 10% के बराबर PBG, सीएएमसी के शुरुआती 10 वर्षों के लिए वैलिड है।

b) की कैपिटल कॉस्ट के 5% के बराबर एक नया PBG (यानी पिछले PBG का 50%) सीएएमसी के बाकी 9 वर्षों के लिए वैलिड होगा।

टिप्पणी:

1. कैपिटल कॉस्ट या संविदा मूल्य, छह नई लिफ्टों के डीएसआईटीसी के लिए प्राइस बिड के आइटम नंबर 1.01 और 1.02 में बताई गई कॉस्ट है।
2. संविदाकर्ता को रिन्यू किया गया PBG ड्यू डेट से कम से कम 15 दिन पहले जमा करना होगा। संविदा अवधि के दौरान ठीक से कार्य न करने पर बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार रखता है।
3. संविदा अवधि के दौरान ठीक से कार्य न करने पर बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार रखता है।

15. निविदा का मूल्यांकन:

15.1 निविदा का मूल्यांकन न केवल लिफ्ट के लिए बताई गई कैपिटल कॉस्ट में से पुरानी लिफ्ट की बायबैक मूल्य घटाकर किया जाएगा, बल्कि नेट प्रेजेंट मूल्य (NPV) मेथड का इस्तेमाल करके, 20 साल के समय के लिए सभी लिफ्ट सौंपने के बाद, दोष देयता अवधि के एक साल खत्म होने के बाद 19 साल के समय के लिए व्यापक सर्व-समावेशी वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए बताई गई दरों के असर को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीएएमसी अमाउंट का NPV निकालने के लिए, इन बातों पर विचार किया जाएगा:

(ए)	छूट कारक	8% प्रति वर्ष
(बी)	वार्षिक वृद्धि	5% प्रति वर्ष
(सी)	सीएएमसी की अवधि	19 वर्ष
(डी)	सीएएमसी की भुगतान शर्तें	सर्विस ठीक से पूरी होने के बाद छमाही भुगतान
(ई)	मौजूदा लिफ्टों के पूरे रखरखाव के लिए भुगतान की शर्तें	प्रोजेक्ट पूरा होने पर।

स्वामित्व की कुल लागत = (A – B) + CX F1 +D

सबसे कम टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप (TCO) वाले बोलीकर्ता को L1 बोलीकर्ता के तौर पर पहचाना जाएगा।

जहाँ, A=सभी नई लिफ्टों की कैपिटल कॉस्ट

B= पुरानी लिफ्टों की बाय बैक मूल्य

C= सभी नई लिफ्टों की व्यापक एएमसी मूल्य

D= नई लिफ्ट लगाने के दौरान मौजूदा लिफ्ट के रखरखाव का चार्ज।

F1=13.04 (गुणन कारक)

15.2 **व्यापक सीएएमसी के लिए मिनिमम बेस दर** :

अगर निविदा देने वाला व्यापक एएमसी के लिए कोट की गई कैपिटल कॉस्ट के 4% से कम दर बताता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप के कैलकुलेशन के लिए कोट की गई कैपिटल कॉस्ट (बायबैक को छोड़कर) का 4% (चार) माना जाएगा। हालांकि, बैंक 19 साल के कमिटेड संविदा अवधि के दौरान सिर्फ़ सीएएमसी का कोट किया गया दर ही देगा, जो निविदा के खंड VII के उपबंध B.1 में बताए गए बदलाव के अधीन होगा।

16. **बीमा:** संविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर कार्य का बीमा करवाना होगा और कार्य पूरा होने तक उसे आग से होने वाले नुकसान या क्षति के लिए इंश्योर्ड रखना होगा। नियोक्ता और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम से एक ऑफिस होगा (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम यानी "RESERVE BANK OF INDIA" पहले लिखा जाएगा)। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे ।

I. **संविदाकर्ता की ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी** बीमा में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जो पूरे संविदा मूल्य के लिए है, जिसमें आग लगने का खतरा भी शामिल है, और विनिर्माता के कार्य से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट बीमा (हवा/समुद्र/सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)।

II. साइट पर संविदाकर्ता के कर्मचारियों के लिए वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।

III. हर एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपये की लिमिट वाली थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी।

नोट: अगर संविदाकर्ता ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसी खुद ले ले और संविदाकर्ता के बिल से जुर्माना के तौर पर दोगुनी कीमत वसूले या कोई और कार्रवाई करे, जैसा वह ठीक समझे।

17. **ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स** : **संविदाकर्ता** सारा कार्य बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, डिटेल्स स्पेसिफिकेशन्स और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करेगा। कार्य पूरा होने के बाद, संविदाकर्ता पूरे सिस्टम की एग्जीक्यूटेड लेआउट ड्राइंग एक फ्लैश डिस्क ड्राइव (पेन ड्राइव) में और रिकॉर्ड के लिए उसकी तीन हार्ड कॉपी जमा करेगा। मात्रा का शेड्यूल संभावित मात्रा पर आधारित है। संविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कुछ और न कहा जाए, निविदा पूरी तरह से आइटम दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस बात पर दिलाया जाता है कि हर आइटम के लिए दर सही, **कार्य** करने लायक और सेल्फ-सपोर्टिंग होने चाहिए। मात्रा के शेड्यूल में दी गई मात्रा लगभग कार्य की कुल सीमा बताती है, लेकिन यह किसी भी हद तक अलग हो सकती है और साइट की कंडीशन और ज़रूरतों के आधार पर बैंक की मर्ज़ी से इसे हटाया भी जा सकता है, जिससे संविदा का कुल मूल्य बदल सकती है। इस वजह से कोई क्लेम नहीं माना जाएगा।

18. **फैक्ट्री निरीक्षण / निरीक्षण का खर्च** : लिफ्ट का निरीक्षण फैक्ट्री की जगह पर बैंक इंजीनियर करेंगे। संविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, सभी सामान, टूल, लेबर और हर तरह की मदद देगा, जिसकी मांग बैंक के इंजीनियर किसी भी टेस्ट/निरीक्षण और जांच के लिए करेंगे, जो उसे संविदाकर्ता की जगह पर करवाना होगा और उससे जुड़े सभी खर्च खुद उठाएगा। हालांकि, निरीक्षण की जगह तक बैंक के इंजीनियर के आने-जाने, रहने और खाने का खर्च बैंक उठाएगा।

19. **परीक्षण की विधि:**

I. सिस्टम को विनिर्माता की फैक्ट्री/संविदाकर्ता के कार्य में टेस्ट किया जाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि दिए गए स्पेसिफिकेशन्स का पालन हो रहा है।

II. बैंक को टेस्टिंग के लिए सिस्टम देने से पहले, फर्म को निविदा में बताए गए अलग-अलग टेस्ट अपनी फैक्ट्री में करने होंगे और उन टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी बैंक को भेजनी होगी, साथ ही बैंक की टेस्टिंग के लिए इनविटेशन भी देना होगा। बैंक के इंजीनियरों द्वारा इक्विपमेंट की टेस्टिंग के समय सभी टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध होनी

चाहिए। इस स्टेज पर तय लिमिट को पूरा करने वाला संतोषजनक परफॉर्मेंस ही सिस्टम की मंज़ूरी माना जाएगा। जो सिस्टम तय स्पेसिफिकेशन्स से कम होगा, उसे रिजेक्ट किया जा सकता है।

III. इसके अलावा, सिस्टम के ठीक से कार्य करने और परफॉर्मेंस के लिए साइट पर टेस्ट किया जाएगा ।

IV. लेकिन, ऊपर बताई गई बात किसी भी तरह से संविदाकर्ता को तय जगह पर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/कंपोनेंट्स के सही परफॉर्मेंस के बारे में उसकी ज़िम्मेदारी से नहीं बचाएगी।

20. **इंस्पेक्टर को परफॉर्मेंस सत्यापित करने का अधिकार** : बैंक के इंजीनियर के पास ये अधिकार होंगे:

I. यह सत्यापित करना कि सिस्टम या उसका कोई हिस्सा संविदा के हिसाब से नहीं है , क्योंकि बनाने का तरीका ठीक नहीं है।

II. किसी भी उपकरण या भाग को विनिर्देश के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकार करना ;

III. निरीक्षण के लिए दिए गए पूरे इक्विपमेंट को रिजेक्ट कर देना, अगर उसके किसी हिस्से के निरीक्षण के बाद, जैसा वह अपनी समझ से ठीक समझे, उसे लगता है कि वह ठीक नहीं है; और

IV. रिजेक्ट किए गए इक्विपमेंट या पार्ट्स पर रिजेक्शन मार्क लगाना ताकि दोबारा सबमिट करने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

रिजेक्शन के बारे में बैंक के इंजीनियर का फैसला आखिरी होगा और संविदाकर्ता की अपील के हिसाब से संविदाकर्ता पर लागू होगा।

21. **रिजेक्शन का नतीजा** : अगर इक्विपमेंट या इक्विपमेंट या उसका कोई हिस्सा बैंक के इंजीनियर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो संविदाकर्ता को अपने रिस्क और खर्च पर उसे ठीक करना/बदलना होगा , जिसके लिए कोई अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाएगा।

22. **पैकिंग और डिस्पैच:** इक्विपमेंट को भारतीय हालात में कई बार हैंडल करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही बॉक्स में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। सभी इक्विपमेंट/कंपोनेंट बैंक के ऑफिस बिल्डिंग में ड्यूटी डिलीवरी पेड (DDP) बेसिस पर डिलीवर किए जाएंगे।

23. **पूरा होने का समय:**

(a) मेमोरेंडम में बताए गए कार्य को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता को जो समय दिया गया है, उसका सख्ती से पालन करना होगा और यह कार्य शुरू करने का लिखित ऑर्डर जारी होने के 14 $^{वें}$ दिन से माना जाएगा। संविदा की तय अवधि के दौरान कार्य पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर संविदाकर्ता तय अवधि के अंदर कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे संविदा की शर्तों के उपबंध 28 में बताए गए हिसाब से मुआवज़ा देना होगा। निविदा देने वाले को कार्य शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड वर्क प्रोग्राम तैयार करना होगा जिसे नियोक्ता से मंज़ूरी लेनी होगी।

(b) संविदाकर्ता को कार्य शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-संविदा में देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्डिंग मटीरियल खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और नियोक्ता इस बारे में किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। नियोक्ता निविदा की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

(c) **अनुबंध XI** में दिए गए कार्य के बड़े आइटम के हिसाब से टाइम शेड्यूल बताना होगा ।

24. **लिक्विडेटेड डैमेज** : समय संविदा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। पूरा कार्य 48 हफ़्तों के अंदर पूरा किया जाएगा। संविदा के तय समय के दौरान**,** कार्य पूरी सावधानी से किया जाएगा **।** अगर संविदाकर्ता इस तय समय में कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो वह इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। देरी होने पर हर हफ़्ते संविदा मूल्य का 0.25% लिक्विडेटेड डैमेज, जो संविदा मूल्य का ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकता है (c संविदा मूल्य का मतलब है कार्य की कैपिटल कॉस्ट की कुल मूल्य), जैसा कि संविदा के "इसमें पहले बताए गए अपेंडिक्स" में बताया गया है। लिक्विडेटेड डैमेज इस तरह से लगाया जाएगा:

I. अगर संविदाकर्ता संविदा में तय समय तक या समय विस्तार उपबंध के तहत किसी भी बढ़े हुए समय में कार्य पूरा करने में नाकाम रहता है और नियोक्ता लिखकर सत्यापित करता है कि उसकी राय में कार्य ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो संविदाकर्ता नियोक्ता को उस समय के लिए "लिक्विडेटेड डैमेज" नाम की रकम देगा, जब तक कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की रकम काट सकता है।

II. इस कैटेगरी में आने वाले प्रोजेक्ट्स को कम से कम तीन सही माइलस्टोन में बांटा जाएगा, जिसमें हर माइलस्टोन को पाने के लिए समय और रकम साफ तौर पर बताई जाएगी। अगर संविदाकर्ता संविदा में बताए गए किसी खास माइलस्टोन या समय विस्तार उपबंध के हिसाब से रीशेड्यूल किए गए माइलस्टोन को हासिल नहीं कर पाता है, तो माइलस्टोन के लिए टारगेटेड फाइनेंशियल प्रोग्रेस और रनिंग अकाउंट बिल अंडर प्रोसेसिंग तक की देरी के आधार पर कैलकुलेट की जाने वाली रकम रोक ली जाएगी (नीचे दिए गए तरीके के अनुसार) ताकि संविदा पूरा होने के समय लगाए गए लिक्विडेटेड डैमेज में एडजस्ट किया जा सके। माइलस्टोन हासिल न कर पाने पर भुगतान ऑटोमैटिक रूप से और संविदाकर्ता को बिना किसी नोटिस के रोक लिया जाएगा। हालांकि, अगर संविदाकर्ता बाद के माइलस्टोन पर कार्य की प्रोग्रेस को पूरा कर लेता है, तो रोकी गई रकम वापस कर दी जाएगी। अगर संविदाकर्ता बाद के माइलस्टोन से पहले देरी की भरपाई करने में नाकाम रहता है , तो हर छूटे हुए माइलस्टोन के सामने बताई गई रकम भी रोक ली जाएगी। बैंक ऐसी रोकी गई रकम/राशियों पर कोई भी ब्याज नहीं देगा।

III. देरी का समय माइलस्टोन के होने की तय तारीख से लेकर माइलस्टोन पूरा होने तक कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन किसी खास माइलस्टोन तक पहुंचने से पहले आरए बिल से काटी जाने वाली रकम आरए बिल की तारीख तक की देरी के लिए कैलकुलेट की जाएगी। लिक्विडेटेड डैमेज देने से माइलस्टोन में कोई बदलाव नहीं होगा या संविदाकर्ता कार्य की प्रोग्रेस को बेहतर बनाने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

IV. संविदाकर्ता इसके द्वारा खास तौर पर सहमत होता है और नियोक्ता को यह अधिकार देता है कि वह इस संविदा के हिसाब से संविदाकर्ता को मिलने वाली भुगतान की किसी भी किस्त से या रिटेंशन मनी से ऐसे लिक्विडेटेड डैमेज, अगर कोई हो, काट ले।

नमूना माइलस्टोन चार्ट:

माइलस्टोन	**नियत तारीख**	**माइलस्टोन लक्ष्य राशि**
परियोजना प्रारंभ	डी0	0
1	डी1	टी1
(एन- एक्स) वें	डी(एनएक्स)	टी(एनएक्स)
(एन-एक्स+ 1) वें	डी(एन-एक्स+1)	टी(एन-एक्स+1)
(एन-एक्स+ 2) वें	डी(एन-एक्स+2)	टी(एन-एक्स+2)
(एन- 1) वें	डी(एन-1)	टी(एन-1)
एन वें	डी(एन)	टी(एन)

$_{(R)}$ पर मिला RA बिल R की ग्रॉस रकम के लिए सर्टिफाइड है, जहाँ:

a) $T_{(N-X)} \leq R < T_{(N-X+1)}$ यानी, प्रोग्रेस (NX) वें माइलस्टोन तक पहुँच गई

b) RA बिल की तारीख $D_{(R)}$, $D_{(N)}$ के बाद है, यानी RA बिल की तारीख को N वां माइलस्टोन ड्यू हो गया है।

c) Nवां माइलस्टोन हासिल न करने पर रकम रोक लें

$A_{(N)} = (0.0025/ 7)* (D_R - D_N)*(T_N - T_{(N-1)})$ जहाँ $T_{(N-1)}$ शून्य होगा यदि Nवां माइलस्टोन विलंबित मील के पत्थरों की श्रृंखला में पहला है।

V. मौजूदा RA बिल के लिए ग्रॉस विदहोल्ड अमाउंट: विदहोल्ड अमाउंट की कैलकुलेशन इस तरह की जाएगी:

a) पिछले RA बिल तक देरी से हासिल किए गए माइलस्टोन के लिए रोकी गई रकम = P

b) मौजूदा RA बिल के दौरान देरी से हासिल किए गए माइलस्टोन के लिए रोकी गई रकम = Q

c) मौजूदा RA बिल तक बकाया माइलस्टोन के लिए रकम रोक लें, लेकिन हासिल न करें। = R

पी = ए $_{(1)}$ + ए $_{(2)}$ +.....+ए $_{(एनएक्स-1)}$

क्यू = ए $_{(एनएक्स)}$

आर=(0.0025/7)*((डी $_{आर}$ -डी $_{(एन-एक्स+1)}$)*(टी $_{(एन-एक्स+1)}$ -टी $_{(एनएक्स)}$)+(डी $_{आर}$ -डी $_{(एन-एक्स+2)}$)*(टी $_{(एन-एक्स+2)}$ - टी $_{(एन-एक्स+1}$) +.....+(डी $_{आर}$ -डी $_{एन)}$)*(टी $_{(एन)}$ - टी $_{(एन-1}$))

इस प्रोजेक्ट के लिए N = 4 यानी चार माइलस्टोन इस तरह हैं:

माइलस्टोन	**कार्य शुरू होने के तय समय से देय**	**माइलस्टोन लक्ष्य राशि**
परियोजना प्रारंभ	डी $_0$	0
1 सेंट	D $_1$ = 12 सप्ताह	T $_1$ = संविदा मूल्य का 20%
2 वां	D $_2$ = 23 सप्ताह	T $_2$ = संविदा मूल्य का 40%
तीसरा	D $_3$ = 34 सप्ताह	T $_3$ = संविदा मूल्य का 70%
4 वां	D $_4$ = 48 सप्ताह	T $_4$ = संविदा मूल्य का 100%

संविदा मूल्य का 1/10 होगा ।

25. **हर फेज़/माइलस्टोन की भुगतान शर्तें** : **भुगतान की ये शर्तें, कानूनी कटौतियों के तहत, इस संविदा पर लागू होंगी:**

I. बताए गए दर की 70% मूल्य , फैक्ट्री में इक्विपमेंट के टेस्ट होने के बाद और साइट पर सभी एंसिलरी आइटम के साथ डिलीवरी होने पर, और नियोक्ता के ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइट पर नीचे दिए गए दस्तावेज जमा करने के साथ स्वीकार किए जाने पर , प्रो-राटा बेसिस पर जारी की जाएगी।

 a. विनिर्माता का निरीक्षण और टेस्ट सर्टिफिकेट।
 b. सिस्टम के सफल इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग, जिसमें रखरखाव भी शामिल है, के लिए सभी कंपोनेंट, पार्ट्स, सबसिस्टम, कंज्यूमेबल्स वगैरह साइट पर अच्छी कंडीशन में मिल गए हैं और अगर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग के दौरान कोई कमी दिखती है, तो उन्हें बैंक को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के तुरंत सप्लाई कर दिया जाएगा।
 c. निविदा की शर्तों के अनुसार बीमा/PBG की पॉलिसी।

II. माइलस्टोन के अनुसार पुरानी लिफ्ट हटाने और नई लिफ्ट लगाने के बाद, बताए गए दर का 20% प्रो-राटा बेसिस पर जारी किया जाएगा।

III. बाकी 10% कोट किए गए दर का, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और सिस्टम को बैंक को सौंपने और पश्चिम बंगाल के लिफ्ट इंस्पेक्टर से लिफ्ट लाइसेंस जमा करने पर मिलेगा।

IV. इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार IT सरचार्ज, TDS और कोई भी दूसरा कानूनी टैक्स और RMD @ 5% सभी रनिंग अकाउंट बिल से काटा जाएगा।

26. **हर कार्य के लिए मात्रा का शेड्यूल** : मात्रा के शेड्यूल में बैंक अपनी मर्ज़ी से कुछ कमी, कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है। भुगतान सिर्फ़ कार्य के पूरे हुए आइटम के माप के आधार पर किया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद बचे किसी भी अतिरिक्त सामान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

27. **साइट की स्थिति** : कार्य एक ऐसे ऑफिस बिल्डिंग में करना होगा जिसमें लोग हों, जिससे कार्य के घंटों में कार्य करने की जगह कम मिल सकती है। इसलिए, निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के सामान्य कार्य के घंटों के बाद और शनिवार/रविवार/बैंक की छुट्टियों में पूरे दिन कार्य करने की योजना बनाएं, यह साइट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निविदा जमा करते समय ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखें।

I. यह ज़रूरी है कि संविदाकर्ता सुरक्षा, धूल और ढीले सामान से बचाव, शोर कम करने, बिल्डिंग में पानी और हवा के घुसने से बचाव, और बिल्डिंग के अंदर और बाहर कार्य करने की जगहों पर साफ़-सफ़ाई और व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी बातों पर खास ध्यान दे और उन्हें प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, कबाड़ का सामान और तोड़-फोड़ का मलबा रोज़ाना बिल्डिंग और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

II. अगर संविदा में ऐसे कार्य शामिल हैं, जो सामान्य बिज़नेस ऑपरेशन में रुकावट डालेंगे, या बिल्डिंग में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो ये कार्य नियोक्ता के बताए गए समय में किए जाएंगे। संविदाकर्ता ऐसा कार्य नियोक्ता के बताए गए समय में करेगा और अपने निविदा में सारा खर्च शामिल करेगा।

28. **पुलिस सत्यापन** : संविदाकर्ता को संविदा के तहत अपने द्वारा रखे गए कामगारों का पुलिस सत्यापन भी करवाना होगा, अगर वे साइट पर रेगुलर कार्य करते हैं।

B. <u>संविदा की विशेष शर्त:</u>

29. **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं पर नियमों का पालन:** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी निर्देश / नियम, कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं के संबंध में और बाद में किए गए संशोधन और इसके लिए जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र की एक प्रति **अनुबंध XII में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे**।

30. **डिबारमेंट/कोर्ट केस** : अगर बोलीकर्ता को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान पहुँचाने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पहुँचाने के लिए। इस बारे में, बोलीकर्ता को अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/डिक्लेरेशन/सर्टिफिकेट की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने सील और हस्ताक्षर किया हो, और वह अनुबंध XIV में दिए गए फॉर्मेट में हो।

31. **साइट विज़िट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स काफ़ी हैं:** माना जाएगा कि संविदाकर्ता ने प्रस्तावित लिफ्ट्स के इंस्टॉलेशन के लिए साइट विज़िट की है और निविदा देने से पहले कार्य के लिए अपने निविदा की सही और काफ़ी होने और मात्राओं के शेड्यूल और/या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी। बोलीकर्ता अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफिकेट की एक कॉपी सबमिट करेगा, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और वह **अनुबंध XIII** में दिए गए फ़ॉर्मेट में होगा।

खंड IV

सुरक्षा संहिता

ए. सामान्य सुरक्षा

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली जगह पर दिए जाएंगे।
2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
3. जो कार्य ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए कार्य करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
6. हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फ़ेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी ।
7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के कार्य में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।
10. i) लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाले किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा ।
 ii) जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो कार्य करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।
11. पेंटर्स को ओवरऑल्स संविदाकर्ता द्वारा दिए जाएंगे और कार्य बंद होने के दौरान पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।
12. कार्य में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।

13. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान या सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।
14. संविदाकर्ता को कानूनी नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।
15. कार्य करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

B. <u>आग और विद्युत सुरक्षा</u>

1. साइट पर कटिंग / ड्रिलिंग मशीन जैसी अलग-अलग सर्विस के लिए सभी टेम्पररी बिजली सही रेटिंग वाले अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस (ईएलसीबी) से दी जाएगी।
2. सिर्फ़ ।S। मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/वायर सही रेटिंग वाले होने चाहिए और जॉइंट से बचना चाहिए। अगर हैं, तो जॉइंट सही और इंसुलेटेड होना चाहिए।
3. सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन, वगैरह को कार्य करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का कार्य शुरू करने से पहले, फायर खंड को सूचित किया जाना चाहिए और फायर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
4. आग बुझाने के लिए तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार, साफ़ सूखी रेत से भरी फायर बकेट, और आग से निपटने के लिए सही फायर-एक्सटिंग्विशर, साफ़ तौर पर मार्क किए जाएंगे और साइट पर आसान जगह पर रखे जाएंगे।
5. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।
6. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
7. कार्य की ज़रूरत के हिसाब से, कार्य करने वाले लोग कार्य से होने वाले हेल्थ खतरों से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे।
8. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
9. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन्स से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
10. कार्य से निकलने वाली लकड़ी की छीलन, बुरादा या कोई भी कचरा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
11. कार्य के दौरान कार्य की जगह पर ठीक से रोशनी होनी चाहिए।
12. सभी बिजली के कार्य लाइसेंस वाले/ऑथराइज़्ड इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन से ही करवाए जाने चाहिए।
13. लाइट के लिए टेम्पररी तार बिछाने से बचने के लिए कार्य की जगह पर पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
14. कार्य की जगह पर ज़रूरी बैरिकेडिंग और अच्छी क्वालिटी के हस्ताक्षर बोर्ड खास जगहों पर लगाए जाएंगे।
15. एल्युमिनियम/स्टील की सीढ़ियों के बेस पर सही रबर इंसुलेशन होना चाहिए और जहाँ भी ज़रूरत हो, इन सीढ़ियों को इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सेफ़ रबर मैट पर रखा जाना चाहिए।
16. कार्य से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

खंड V

संविदा की सामान्य शर्तें जिन्हें आगे संदर्भित किया गया है

व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, कार्य के दायरे, स्पेसिफिकेशन्स, मात्राओं के शेड्यूल और संविदा करार को समझने में, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के लिए कुछ और ज़रूरी हो।

I.	"नियोक्ता"	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
II.	"आरबीआई"	इसका अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई– 400001 में है और जिसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
III.	"निविदा दस्तावेज़"	इसका मतलब है नियोक्ता द्वारा बोलीदाताओं को प्रोजेक्ट के लिए बिड इनवाइट करने के लिए जारी किया गया दस्तावेज।
IV.	"संविदाकर्ता/बोलीदाता/ निविदाकर्ता"	"संविदाकर्ता/निविदा/बोलीकर्ता" का मतलब है जो निविदा में हिस्सा लेता है। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
V.	"साइट"	इसका मतलब संविदा के कार्य की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो नियोक्ता ने संविदाकर्ता के इस्तेमाल के लिए दी है।
VI.	" संविदा "	इसका मतलब है और इसमें निविदा दस्तावेज के सभी खंड, उससे जुड़े लेटर, कार्य आदेश, आर्टिकल्स ऑफ़ करार, सीएएमसी करार और प्री-बिड के कार्यवृत्त वगैरह शामिल हैं, जो इसके साथ अटैच हैं और सही तरह से हस्ताक्षर किए गए हैं।

VII.	"लिखित सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से उस आखिरी पता प्राइवेट या बिज़नेस पते पर भेजा गया हो, जब पोस्ट के आम तरीके से उसे डिलीवर किया जाता।
VIII.	"दिवालियापन अधिनियम"	**इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी), 2016** के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल में बदलाव करने वाले किसी एक्ट से होगा।
IX.	"निवल मूल्य"	सीपीपीपी में निविदा के भाग II में बताई गई चीज़ की कीमत।
X.	"बाज़ार दर"	दर, प्रभारी अभियंता द्वारा उस स्थल पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय की जाएगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशतता भी जोड़ी जाएगी ।
XI.	" कार्य"	इसका मतलब NIT में बताए गए निविदा का नाम होगा।
XII.	दिन/महीना/वर्ष	इसका मतलब कैलेंडर दिन /महीना/साल होगा
XIII.	कार्य दिवस	इसका मतलब होगा वो दिन जब नियोक्ता का ऑफिस कार्य कर रहा हो, यानी पब्लिक हॉलिडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिन
XIV.	प्रभारी अभियंता / बैंक अभियंता	इसका मतलब है इंजीनियर ऑफिसर जिसे नियोक्ता ने कार्य पर रखा है और भुगतान किया है और जो नियोक्ता के ऑर्डर पर कार्य करेगा, जो कार्य को सुपरवाइज़ करेगा और उसका इंचार्ज होगा। संविदा के तहत किए जाने वाले सभी कार्य उसके डायरेक्शन में और हर तरह से उसकी मंज़ूरी के तहत किए जाएंगे।

XV.	प्रभारी अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधि	GM(Tech)/ मैनेजर(Tech)/AM(Tech)) का मतलब है इंजीनियर ऑफिसर जिन्हें नियोक्ता ने हायर किया है और भुगतान किया है और जो नियोक्ता के ऑर्डर पर कार्य करते हैं, जो इंजीनियर-इन-चार्ज के डायरेक्शन और गाइडेंस में रोज़ाना कार्य के कार्य को सुपरवाइज़ करेंगे।
XVI.	उत्पादक	उस व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रदाता या उपकरणों का डिज़ाइनर और फैब्रिकेटर है
XVII.	संविदाकर्ता का कार्य या निर्माता का कार्य	इसका अभिप्राय और इसमें शामिल होगा भूमि तथा अन्य स्थान जिसका उपयोग संविदाकर्ता/निर्माता या उप-संविदाकर्ता/उप-निर्माता द्वारा "उपकरण" के विनिर्माण या "कार्य" करने के लिए किया जाता है।
XVIII.	संविदा मूल्य या संविदा	रकम का मतलब होगा सफल बोली लगाने वाले के बताए गए यूनिट दर और मात्राओं के शेड्यूल (प्राइस बिड) में बताई गई मात्राओं से कैलकुलेट की गई कुल रकम, जिसे नियोक्ता ने स्वीकार किया हो और कार्य देने के लेटर में बताया गया हो।
XIX.	संविदा अवधि	इसका मतलब निविदा दस्तावेज में संविदा पूरा करने/कार्य पूरा करने के लिए बताई गई अवधि होगी, जिसमें नियोक्ता द्वारा दी गई कोई भी ऑथराइज़्ड बढ़ाई गई अवधि शामिल है।
XX.	संविदा करार	इसका मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संविदाकर्ता और नियोक्ता के बीच हस्ताक्षर किया गया करार होगा।

2. **<u>संविदा का दायरा</u>**

संविदाकर्ता इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता के निर्देशों और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताया गया कार्य करेगा और पूरा करेगा। नियोक्ता अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से इन चीज़ों के संबंध में "नियोक्ता के निर्देश" कहा जाएगा:

(a) कार्य की डिज़ाइन, क्वालिटी या मात्रा में बदलाव या बदलाव या किसी कार्य को जोड़ना, हटाना या बदलना।

(b) ड्रॉइंग्स में या मात्राओं के शेड्यूल और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।

(c) संविदाकर्ता द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।

(d) संविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या दोबारा करना।

(e) वहां कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्य से निकालना।

(f) किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।

(g) 28 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना इसके.

संविदाकर्ता को ऐसे नियोक्ता के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा संविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधियों को कार्य के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, निर्देश और सफाई, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो संविदाकर्ता को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, और अगर नियोक्ता अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा। जहां संदर्भ की ज़रूरत हो, सिर्फ़ एकवचन का मतलब बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी। जब भी ज़रूरी हो, पुल्लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्रीलिंग भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी।

ज़रूरी "साइट इंस्ट्रक्शन बुक, रुकावट रजिस्टर, लेबर रजिस्टर" को संविदाकर्ता रोज़ाना सख्ती से मेंटेन करता है और इंचार्ज इंजीनियर से सही तरह से ऑथेंटिकेशन मिला।

3. **<u>बदलाव नियोक्ता से मंज़ूर होंगे</u>**

कार्य के दायरे में सभी बदलाव बैंक के इंजीनियर से मंज़ूर करवाए जाएँगे। संविदाकर्ता को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिएशन जमा करना होगा जिसमें मात्रा और दर दिए गए हों, और दर, वाउचर वगैरह के एनालिसिस से सपोर्टेड हों। नियोक्ता द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद दर एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। जब तक बैंक के इंजीनियर इन स्टेटमेंट को मंज़ूरी नहीं दे देते, तब तक नियोक्ता ऐसे बदलावों के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. **<u>ड्रॉइंग, मात्रा का शेड्यूल और</u>** <u>करार</u>

संविदा दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और संविदाकर्ता को अपने इस्तेमाल के लिए एक पूरी की गई कॉपी मिलेगी। संविदाकर्ता करार पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी देगा। संविदाकर्ता को फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, वह तुरंत नियोक्ता को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस कर देगा।

5. **<u>संविदाकर्ता को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी</u>**

संविदाकर्ता अपने खर्च पर, ड्रॉइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ मात्राओं और स्पेसिफिकेशन्स के इरादे और मतलब के हिसाब से कार्य को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर संविदाकर्ता को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ मात्राओं और स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर नियोक्ता को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। संविदाकर्ता इस स्पेसिफिकेशन के तहत सभी कार्य हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के पूरे हिसाब से करेगा।

6. **<u>प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट</u>**

संविदाकर्ता को कार्य से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के प्रोविज़न, और किसी भी अथॉरिटी, और इलेक्ट्रिक सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या अथॉरिटीज़ के रेगुलेशन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से इंस्टॉलेशन को कनेक्ट करने का प्रपोज़ल है। और, ड्रॉइंग या स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने की वजह से ज़रूरी हो, नियोक्ता को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने का कारण बताया जाएगा और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए आवेदन करेगा। अगर संविदाकर्ता को दस दिनों के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रोविज़न, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के अनुसार कार्य करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से उपबंध नंबर 14 के तहत निपटा जाएगा।

संविदाकर्ता को नियोक्ता के ध्यान में उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो इन एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को कार्य के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी, और भुगतान के लिए रसीदें नियोक्ता के पास जमा करनी होंगी।

संविदाकर्ता, नियोक्ता को अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा, और इसके संबंध में कानूनी तौर पर लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज खुद देगा।

7. **<u>कार्य से निकलना</u>**

संविदाकर्ता कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सही स्थिति का ध्यान रखेगा। अगर कार्य पूरा होने के एक साल के अंदर कार्य की प्रोग्रेस के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो संविदाकर्ता, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

8. **<u>विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी</u>**

सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, मात्रा और/या स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और संविदाकर्ता नियोक्ता के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल उसके हिसाब से है। संविदाकर्ता अपने खर्च पर नियोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मटीरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।

9. **कार्य पर संविदाकर्ता का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव**

संविदाकर्ता कार्य के दौरान और उसके बाद जब तक नियोक्ता ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "दोष देयता अवधि " खत्म न हो जाए। संविदाकर्ता पूरे समय, जब कार्य चल रहा हो, एक काबिल रिप्रेजेंटेटिव को भी कार्य पर रखेगा जो कार्य पर लोगों के रहने के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस संविदाकर्ता को दिए गए माने जाएंगे।

10. **कामगारों की बर्खास्तगी**

संविदाकर्ता, इंचार्ज इंजीनियर के कहने पर, कार्य पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से निकाल देगा, जो इंचार्ज इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या गलत कार्य कर रहा हो, और ऐसे लोगों को इंचार्ज इंजीनियर की इजाज़त के बिना कार्य पर दोबारा कार्य पर नहीं रखा जाएगा।

11. **कार्यों तक पहुंच**

नियोक्ता और उनके रिप्रेजेंटेटिव को हर सही समय पर कार्य और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर फ्री एक्सेस मिलेगा जहाँ मटीरियल पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और संविदाकर्ता नियोक्ता और उनके रिप्रेजेंटेटिव को मटीरियल और कारीगरी के निरीक्षण , जांच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा ऑथराइज़्ड न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

12. **बैंक के इंजीनियर: असिस्टेंट मैनेजर (टेक्नोलॉजी)/मैनेजर (टेक्नोलॉजी)/जीएम (टेक्नोलॉजी)**

शब्द "सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / जीएम (तकनीकी)" का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति है, संविदाकर्ता सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / जीएम (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / जीएम (तकनीकी) के पास कार्यों को निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द

करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, जहां तक ऐसा अधिकार नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के साथ लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

असिस्टेंट मैनेजर (टेक) / मैनेजर (टेक) / GM (टेक) या नियोक्ता के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास संविदाकर्ता या उसके रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी कार्य या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य असिस्टेंट मैनेजर (टेक) / मैनेजर (टेक) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से संविदाकर्ता को कार्य के किसी भी स्टेज पर या कार्य पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।

13. **अ**हस्ताक्षर**मेंट और सब-लेटिंग**

संविदा में शामिल सभी कार्य संविदाकर्ता ही करेगा और संविदाकर्ता, नियोक्ता की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना संविदा या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर, अहस्ताक्षर या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग संविदाकर्ता को संविदा की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या कार्य के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।

14. **परिवर्तन, परिवर्धन, लोप आदि** ।

कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस संविदा को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करना या इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और अपने हस्ताक्षर से लिखित में संविदाकर्ता को इसकी सूचना देता है, तो संविदाकर्ता ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या छोड़ेगा, लेकिन संविदाकर्ता नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक या संविदा, शर्त, विनिर्देशों या संविदा रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में नियोक्ता की लिखित में पूर्व स्वीकृति के साथ खंड 19 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा,

15. **मात्राओं का बिल**

मात्राओं का शेड्यूल, जब तक कुछ और न कहा गया हो, माप के स्टैंडर्ड तरीके के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

जानकारी में या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के शेड्यूल से आइटम के छूट जाने से यह संविदा खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और उपबंध 18 के तहत पता लगाई गई उसकी कीमत को संविदा अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती हुई है, तो उसे संविदाकर्ता के रेट्स के शेड्यूल में ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

16. **<u>मात्रा के बिल की पर्याप्तता</u>**

माना जाएगा कि संविदाकर्ता ने निविदा देने से पहले कार्य के लिए अपने निविदा की सही और काफ़ी होने और मात्रा के शेड्यूल और/या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

17. **<u>कार्यों का मापन</u>**

असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) समय-समय पर संविदाकर्ता और नियोक्ता को बता सकते हैं कि उन्हें कार्य का मेज़रमेंट करवाना है, और संविदाकर्ता तुरंत अटेंड करेगा या असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) की मदद के लिए एक क्वालिफाइड एजेंट भेजेगा ताकि ऐसे मेज़रमेंट और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी डिटेल्स दी जा सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी मदद दी जा सके।

अगर संविदाकर्ता नहीं आता है या एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) द्वारा लिया गया मेज़रमेंट ही कार्य का सही मेज़रमेंट माना जाएगा। ऐसे मेज़रमेंट स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए मेज़रमेंट के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

संविदाकर्ता या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।

सभी ऑथराइज़्ड अतिरिक्त कार्य, कमियां और नियोक्ता की पहले से लिखित मंज़ूरी से किए गए सभी बदलाव ऐसे मेज़रमेंट में शामिल किए जाएंगे।

18. **माप पुस्तिका**

a. बैंक का इंजीनियर, जब तक कुछ और न कहा गया हो, किए गए कार्य के संविदा के अनुसार, माप से कीमत का पता लगाएगा और तय करेगा। इंटीरियर संविदाकर्ता, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, माप और लेवल रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी हर उपकरण, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देगा।

b. फाइनेंशियल मूल्य वाले सभी आइटम का मेज़रमेंट कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट बुक (CMB) में दर्ज किया जाएगा ताकि बैंक और संविदाकर्ता के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जॉइंट मेज़रमेंट के बाद संविदा के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (RA) और फाइनल बिल) संविदाकर्ता द्वारा दिए जाने वाले कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट (A4 साइज़) के बाउंड वॉल्यूम में होने चाहिए, पेजों के लिए मशीन नंबर सही ढंग से लिखे होने चाहिए, और बैंक द्वारा दिया जाने वाला MB नंबर होना चाहिए। – मेज़रमेंट और एब्स्ट्रैक्ट बुक का फॉर्मेट बैंक द्वारा दिया गया होना चाहिए।

c. बैंक इंजीनियर MB की शीट में ज़रूरी सुधार करेगा। सुधार करने के बाद, संविदाकर्ता रिवाइज़्ड कॉपी जमा करेगा। फ़ाइनल की गई, कंप्यूटराइज़्ड MB शीट के सभी पेज पर, सही चेक / टेस्ट चेक मेज़रमेंट के बाद, संविदाकर्ता के ऑथराइज़्ड ऑफ़िसर के पूरे हस्ताक्षर और तारीख होनी चाहिए।

19. **<u>अतिरिक्त सुविधाओं आदि की कीमतों का पता लगाना</u>**

संविदाकर्ता, नियोक्ता से ऑथराइज़्ड होने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या मात्रा के शेड्यूल में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, हटा सकता है, या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन संविदाकर्ता ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, हटाएगा या उसमें बदलाव नहीं करेगा। नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई ज़ुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वह **सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करता है**, तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा।

किसी भी अतिरिक्त के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नियोक्ता की सहमति से उपबंध 6 के प्रोविज़न के तहत पूरा न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त को यहाँ ऑथराइज़्ड अतिरिक्त कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

(ए) (i) मूल निविदा में नेट दर या कीमतों से अतिरिक्त कार्य की मूल्यएशन तय होगी, अगर ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी तरह का है और उसी तरह की कंडीशन में किया गया है, जैसा कि उसमें बताए गए कार्य की कीमत है, और मात्रा में 25% की बढ़ोतरी तक।

(ii) सभी चीज़ों के दर, जहाँ तक हो सके, मात्रा के प्राइस्ड शेड्यूल में दिए गए दर से निकाले जाने चाहिए।

(बी) मूल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की मूल्य तय होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोड़ने से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत कार्य के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का मूल्यएशन इसके सब-उपबंध (c) के तहत किया जाएगा।

(सी) जहां अतिरिक्त कार्य पहले बताए गए जैसे नहीं हैं और/या वैसी ही शर्तों के तहत किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत कार्य के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम, पूरे संविदा कार्य या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले ऐसी हो कि नियोक्ता की राय में, मात्रा के प्राइस्ड शेड्यूल या निविदा में या कार्य के किसी आइटम के लिए नेट दर या कीमत में संविदाकर्ता द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल हो या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू न हो, तो नियोक्ता ऐसी दूसरी दर या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

(डी) जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्य नहीं किया जा सकता, वहां संविदाकर्ता को लोकल डे वर्क दर और जिले की मज़दूरी के हिसाब से नेट दर पर डे वर्क प्राइस दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ही मामलों में, रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल हुए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, कार्य पूरा होने के बाद वाले हफ़्ते के आखिर में या उससे पहले नियोक्ता को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं।

(e) यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी ऑथराइज़्ड अतिरिक्त आइटम के लिए, जहाँ दर निविदा से नहीं निकाले जा सकते या किसी भी निविदा आइटम की मात्रा बिल से 25% ज़्यादा हो जाती है, संविदाकर्ता को "एक्चुअल कॉस्ट बेसिस" पर किए गए दर एनालिसिस के आधार पर दर तय करने होंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, संविदाकर्ता के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% जोड़ना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन अपेंडिक्स में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो उपबंध 23 में बताए गए संविदा के कार्य के पूरा होने के छह महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

20. **<u>अनफिक्स्ड मटीरियल जब नियोक्ता की प्रॉपर्टी मानी जाती है</u>**

जहां किसी सर्टिफिकेट में (जिसका संविदाकर्ता को पूरा भुगतान मिल गया है) नियोक्ता ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान नियोक्ता की प्रॉपर्टी बन जाएगा और नियोक्ता की लिखी हुई इजाज़त के बिना, कार्य पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए संविदाकर्ता ज़िम्मेदार होगा।

21. **<u>अनुचित कार्य को हटाना</u>**

कार्य के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि वह ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर कार्य से ऐसे किसी भी सामान को हटा दे, जो नियोक्ता की राय में उसके

स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, सही सामान बदले, और ऐसे किसी भी कार्य को हटा दे और ठीक से दोबारा करे जो ड्रॉइंग्स और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, और संविदाकर्ता तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर संविदाकर्ता ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो नियोक्ता के पास दूसरे लोगों को कार्य पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च संविदाकर्ता उठाएगा, या नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

22. **<u>वर्चुअल कंप्लीशन के बाद दोष</u>**

कोई भी खराबी, सिकुड़न, जमाव या दूसरी कमियां जो अपेंडिक्स में बताए गए "दोष देयता अवधि" के अंदर दिख सकती हैं, अगर कुछ नहीं बताया गया है, **तो** कार्य **लगभग पूरा होने के 12 महीने के अंदर**, जो नियोक्ता की राय में संविदा के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या कारीगरी की वजह से होती हैं, नियोक्ता के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, संविदाकर्ता अपने खर्च पर उन्हें ठीक करेगा और उनमें बदलाव करेगा।

डिफ़ॉल्ट होने पर, नियोक्ता ऐसे दोष , दूसरी गलतियों को ठीक करने और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को कार्य पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई संविदाकर्ता करेगा और उसे वहन करना होगा। ऐसा नुकसान, हानि और खर्च नियोक्ता उससे वसूल कर सकता है या नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या नियोक्ता संविदाकर्ता द्वारा ऐसे बदलाव और उन्हें ठीक करने के बदले में, संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से, नियोक्ता द्वारा तय की गई रकम, ऐसे कार्य को ठीक करने की लागत के बराबर काट सकता है और अगर सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम संविदाकर्ता से वसूल करेगा, साथ ही नियोक्ता ने इस संबंध में जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी। अगर किसी सब-संविदाकर्ता ने, जिसे नियोक्ता ने उपबंध 13 और 24 के अनुसार नॉमिनेट या अप्रूव किया है, कोई खराब कार्य किया है या सामान सप्लाई किया है, तो संविदाकर्ता उसी तरह ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जैसे कि वह कार्य या सामान संविदाकर्ता ने किया हो या सप्लाई किया हो और इस उपबंध और उपबंध 2 के नियमों के तहत हो। नियोक्ता द्वारा किसी भी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, संविदाकर्ता इस उपबंध के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

23. **<u>वर्चुअल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और दोष देयता अवधि</u>**

कार्य तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक नियोक्ता लिखकर यह सत्यापित न कर दे कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे सर्टिफ़िकेट की तारीख से शुरू होगा।

24. **<u>नामित उप-संविदाकर्ता</u>**

सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई और फिक्सिंग का कार्य करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइस या प्रोविजनल रकम मात्रा और/या स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल में शामिल हैं, जिन्हें नियोक्ता नॉमिनेट या चुन सकता है, उन्हें संविदाकर्ता द्वारा कार्य पर रखे गए सब-संविदाकर्ता घोषित किया जाता है और उन्हें यहां नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता कहा गया है।

ऐसे किसी भी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को कार्य पर या कार्य के सिलसिले में कार्य पर नहीं रखा जाएगा, जिसके खिलाफ संविदाकर्ता को सही एतराज़ हो या (सिवाय इसके कि नियोक्ता और संविदाकर्ता किसी और तरह से सहमत हों) जो संविदा में शामिल नहीं होगा , बशर्ते कि

(a) यह कि नामित उप-संविदाकर्ता, उप-संविदाकर्ता के संबंध में संविदाकर्ता को दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे, क्योंकि संविदाकर्ता इस संविदा के संबंध में अधीन है।

(b) कि नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता, सब-संविदाकर्ता, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी स्कैफोल्डिंग या दूसरे प्लांट, संविदाकर्ता की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ संविदाकर्ता को हर्जाना देगा।

(c) नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को भुगतान चौदह दिनों के अंदर किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले सर्टिफिकेट में शामिल नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, नियोक्ता भुगतान कर सकता है और संविदाकर्ता को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से नियोक्ता और सब-संविदाकर्ता के बीच संविदा की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

25. **<u>नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति</u>**

नियोक्ता के पास इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए एस्टेट और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता हो, और संविदाकर्ता ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन उसे ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और संविदाकर्ता ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

26. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा</u>**

संविदाकर्ता को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो उसके या किसी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस संविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस उपबंध के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। संविदाकर्ता बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता, नियोक्ता को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा और ऊपर बताई गई किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी नुकसान और खर्चों के लिए उसे नुकसान से बचाएगा, और चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ भी, चाहे वह किसी कानून के तहत हो या किसी और तरह से और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप किसी भी मुआवजे या नुकसान के अवॉर्ड के संबंध में भी। संविदाकर्ता**,** अपने खर्च पर, इस **संविदा** के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक, एक अप्रूव्ड **बीमा** कंपनी के साथ, **संविदा** की रकम के बराबर रकम के लिए एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है, **नियोक्ता** और **संविदाकर्ता** के जॉइंट नाम पर (पॉलिसी में पहले वाले का नाम पहले रखा जाएगा) **संविदाकर्ताओं** के लिए स्टैंडर्ड ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को **नियोक्ता** के पास जमा कर देगा। संविदाकर्ता इस उपबंध में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि पूरे संविदा के काम की डिलीवरी हर तरह से पूरी और परफेक्ट हो सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों को पूरा किया जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। संविदाकर्ता, नियोक्ता को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो कोई भी व्यक्ति/आम आदमी या कोई दूसरा **तीसरा पक्ष,** काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए नियोक्ता के खिलाफ कर सकता है। और **अपने खर्च पर,** संविदा **शुरू होने की तारीख से लेकर** संविदा **पूरा होने तक, नियोक्ता और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम पर एक मंज़ूर** बीमा **कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक** बीमा **पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा (पॉलिसी में संविदाकर्ता का नाम पहले रखा जाएगा) और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा कर देगा।** पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट संविदा की जनरल कंडीशन में कहीं और बताई गई होगी। संविदाकर्ता इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो नियोक्ता पर **वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट** या इस संविदा के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी या सब-संविदाकर्ता के संबंध में कॉमन लॉ के तहत किए जा सकते हैं। और वह **अपने खर्चे पर,** संविदा **शुरू होने की तारीख से लेकर** संविदा **पूरा होने तक,** नियोक्ता **और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नामों में एक मंज़ूर** बीमा **कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक** बीमा **पॉलिसी बनाएगा और**

बनाए रखेगा (पॉलिसी में पहले वाले का नाम पहले रखा जाएगा) और संविदा **के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को** नियोक्ता **के पास जमा करेगा। अगर** संविदाकर्ता ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसा पक्का कर सकता है और दिए गए प्रीमियम को संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

संविदाकर्ता किसी भी ऐसी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी लागत, चार्ज या खर्च के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा, और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के अवॉर्ड के लिए भी । ऐसी गलती के संबंध में संविदाकर्ता के खिलाफ नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, नियोक्ता संविदाकर्ता को देने वाली किसी भी रकम में से नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस उपबंध के तहत संविदाकर्ता को देने हैं। इस उपबंध के तहत ली गई पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम का बीमा कंपनी द्वारा सेटलमेंट होने पर संविदाकर्ता पूरी सावधानी के साथ नष्ट या खराब हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए बीमा कंपनी से मिला सारा पैसा संविदाकर्ता को दिया जाएगा और संविदाकर्ता, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।
नुकसान के बाद दोबारा बनाने या फिर से बनाने के मामले में, संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए उतना समय बढ़ाने का हक होगा जितना नियोक्ता ठीक समझे, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में बीमा कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए नियोक्ता से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस उपबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, संविदाकर्ता सभी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता से उनके काम के हिस्सों के लिए इस उपबंध के नियमों के अनुसार एक जैसी बीमा पॉलिसी भी लागू करवाएगा और नियोक्ता को ऐसी पॉलिसी बनाएगा या बनवाएगा। संविदाकर्ता किसी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह बीमा पॉलिसी जमा न कर दे। अगर सब-संविदाकर्ता साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसी नहीं ले पाता है, तो संविदाकर्ता उस सब-संविदाकर्ता से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

27. **<u>प्रारंभ और समापन की तिथि</u>**

संविदाकर्ता को अपेंडिक्स में बताई गई "शुरू होने की तारीख" या नियोक्ता द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर उसे आगे बढ़ाएगा और अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तारीख" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर जिन्हें नियोक्ता देर करना चाहे) लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।

28. **काम पूरा न होने पर हर्जाना**

अगर संविदाकर्ता काम की ज़रूरी प्रोग्रेस बनाए रखने में फेल हो जाता है और संविदा में तय समय तक या समय विस्तार उपबंध 29 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और नियोक्ता लिखकर सत्यापित करता है कि उसकी राय में काम ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो संविदाकर्ता नियोक्ता को उस समय के लिए "**लिक्विडेटेड डैमेज**" नाम की रकम देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा और नियोक्ता संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की कटौती कर सकता है। संविदाकर्ता इसके द्वारा खास तौर पर सहमत होता है और नियोक्ता को इस संविदा के हिसाब से संविदाकर्ता को मिलने वाली भुगतान की किसी भी किस्त या रिटेंशन मनी से ऐसे लिक्विडेटेड डैमेज, अगर कोई हो, की कटौती करने के लिए ऑथराइज़ करता है।

29. **विलंब और समय विस्तार**

अगर नियोक्ता की राय में, काम में देरी हो रही है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक अथॉरिटीज़ की तरफ से की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो संविदाकर्ता की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुई हो या (d) नियोक्ता द्वारा हायर या नॉमिनेट किए गए दूसरे संविदाकर्ता या ट्रेड्समैन के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र मात्राओं के शेड्यूल और/या स्पेसिफिकेशन में नहीं है या (e) उपबंध 2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों की वजह से या (f) सिविल हंगामे, मज़दूरों के कानूनी मेल या हड़ताल या लॉक-आउट की वजह से, जिससे बिल्डिंग के किसी भी काम पर असर पड़ रहा हो या (g) संविदाकर्ता को नियोक्ता से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर आवेदन किया हो या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें नियोक्ता संविदाकर्ता के कंट्रोल से बाहर सत्यापित कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत, बदलाव की वजह से तय मात्राओं के शेड्यूल की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो नियोक्ता संविदा का काम पूरा करने के लिए सही और सही समय बढ़ा सकता है। ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में भी, संविदाकर्ता देरी को रोकने के लिए लगातार कोशिश करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो सकता है।

अगर संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाना है या अगर संविदा में तय समय से ज़्यादा किसी वजह से काम पूरा होने में देरी होती है, तो संविदाकर्ता को तय समय खत्म होने से कम से कम 7 दिन पहले नियोक्ता को लिखकर समय बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा और समय बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय, संविदाकर्ता देरी के लिए डिटेल में कारण और अपनी सफाई के साथ डॉक्यूमेंट्री सबूत (बाधा रजिस्टर के ज़रूरी पन्नों की कॉपी), अगर कोई हो, देगा। सिर्फ़ नियोक्ता द्वारा दी गई समय बढ़ाने की अवधि (संविदाकर्ता से एप्लीकेशन मिलने पर या देरी के कारणों के सही होने के बारे में ऐसे किसी एप्लीकेशन के सर्टिफ़िकेट के न होने पर भी) लिक्विडेटेड डैमेज लगाने से छूट के लिए क्वालिफ़ाई करेगी। मूल तय समय से ज़्यादा बची हुई अवधि और नियोक्ता द्वारा दी गई समय बढ़ाने की ऑथराइज़्ड अवधि के लिए, उपबंध 28 के तहत बताया गया लिक्विडेटेड डैमेज का प्रोविज़न लागू होगा।

इसके अलावा, संविदा पूरा होने की तय तारीख के बाद भी लागू रहेगा, भले ही संविदाकर्ता ने काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया हो या नहीं, जब तक कि नियोक्ता संविदा खत्म करने का फैसला न करे। किसी भी वजह से काम पूरा होने में देरी होने पर संविदाकर्ता को दर में बदलाव या किसी भी वजह से अतिरिक्त मुआवज़े का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

30. **संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना**

अगर नियोक्ता से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, संविदाकर्ता ऐसी आगे की ड्राइंग्स का पालन नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च नियोक्ता संविदाकर्ता से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

31. **नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति**

यदि संविदाकर्ता, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है या स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, नियोक्ता की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या अगर संविदाकर्ता (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) संविदाकर्ता के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रक्रिया झेलता है,

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को संविदाकर्ता के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा,

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को अहस्ताक्षर या सबलेट नहीं करेगा,

या इस संविदा या संविदाकर्ता को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर नियोक्ता यह तय करता है कि संविदाकर्ता

(i) संविदा का परित्याग कर दिया है, या
(ii) काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के नियोक्ता से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के लिए काम की रफ़्तार रोक दी है, या
(iii) काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या
(iv) लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी साइट से सामान हटाने या काम को हटाने और बदलने में नाकाम रहा है कि नियोक्ता ने इन शर्तों के तहत उस सामान या काम को खराब और रिजेक्ट कर दिया है, या
(v) संविदाकर्ता को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिन बाद तक संविदा द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने में लगातार उपेक्षा की गई है या विफल रहा है, जिसमें संविदाकर्ता को उनका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकर्ता को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदाकर्ता का संविदा और उसकी देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे संविदा इस तरह तय नहीं किया गया था, और जैसे बाद में किए गए काम संविदाकर्ता ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम पर जा सकता है और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औजार, मचान, मशीनरी और सामान पर कब्ज़ा कर सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे संविदाकर्ता

या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और संविदाकर्ता किसी भी तरह से ऐसे दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, नियोक्ता संविदाकर्ता को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर संविदाकर्ता नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और संविदाकर्ता को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता यह पता लगाएगा और लिखकर सत्यापित करेगा कि नियोक्ता द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए नियोक्ता को या नियोक्ता द्वारा क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और काम पूरा करने में नियोक्ता को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर संविदाकर्ता को कोई रकम देनी है और जो रकम सत्यापित की जाएगी, वह नियोक्ता द्वारा संविदाकर्ता को या संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी हो, दी जाएगी, और नियोक्ता का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

32. संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

अगर बैंक के इंजीनियर के सर्टिफिकेट के तहत नियोक्ता को देने वाली रकम का भुगतान, संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया और बिना भुगतान के रहता है, या अगर नियोक्ता संविदा को मना कर देता है, या अगर नियोक्ता के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, संविदाकर्ता को नियोक्ता को लिखित सूचना देकर संविदा तय करने की आज़ादी होगी और वह नियोक्ता से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की रकम तय करने में, संविदाकर्ता के मूल निविदा में दिए गए नेट रेट्स को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां मूल्यएशन इसके उपबंध 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. सर्टिफिकेट और भुगतान

(a) संविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों में भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम सर्टिफिकेट के तहत किया जाएगा। यह भुगतान इस संविदा के अनुसार किए गए काम के लिए किया जाएगा। यह भुगतान अपेंडिक्स में " **अंतरिम सर्टिफिकेट के लिए काम की** मूल्य " के तौर पर बताई गई लगभग मूल्य (या नियोक्ता की समझ से कम) तक होगा। नियोक्ता अपनी समझ से, अंतरिम सर्टिफिकेट में वह रकम शामिल कर सकता है, जो उसे काम में इस्तेमाल के लिए संविदाकर्ता द्वारा साइट पर दिए गए मटीरियल के लिए सही लगे। और जब काम लगभग पूरा हो जाएगा और नियोक्ता ने लिखकर

सत्यापित कर दिया होगा कि काम पूरा हो गया है, तो संविदाकर्ता को नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के अनुसार नियोक्ता द्वारा बाकी रकम का भुगतान किया जाएगा। संविदाकर्ता**, नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार** जमानत राशि **के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा, जो कि** परिशिष्ट में "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद होगा जब कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और दोषों को वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिया गया होगा, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि कार्य की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से संविदाकर्ता को खंड 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही संविदाकर्ता को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में उसकी अक्षमता से मुक्त किया जाएगा, जो एक उचित जांच से पता नहीं चला होगा। कोई भी सर्टिफिकेट अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान, जिससे वह जुड़ा है, संविदा के मुताबिक है। न ही संविदाकर्ता का उन पैसों पर कोई दावा होगा जिन्हें नियोक्ता ने किसी अंतरिम बिल में सत्यापित किया हो और नियोक्ता ने चुकाया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं हैं। इस मामले में नियोक्ता का फ़ैसला आख़िरी और मानने लायक होगा।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो नियोक्ता के पास कोई भी सर्टिफिकेट रोकने का अधिकार होगा।

नियोक्ता किसी भी सर्टिफिकेट से, उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले सर्टिफिकेट में कोई भी सुधार कर सकता है।

भुगतान, अपेंडिक्स में बताई गई "सर्टिफिकेट देने की अवधि" के अंदर किया जाएगा, जब ऐसे सर्टिफिकेट नियोक्ता को दे दिए गए हों।

सिस्टम के लिए भुगतान भारतीय रुपया में किया जाएगा और इस संविदा से होने वाले किसी भी झगड़े को भी उस ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा जहां से संविदा हस्ताक्षर किया गया है।

34. **<u>भुगतान में देरी</u>**

नियोक्ता द्वारा संविदाकर्ता को देय कोई भी राशि यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस राशि के नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने की तिथि से भुगतान तक परिशिष्ट में नामित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" दर पर ब्याज लगेगा।

35. **<u>मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा</u>**

संविदा या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम के चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे संविदा तय होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले या बाद में हों) नियोक्ता को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। नियोक्ता अपना फ़ैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फ़ैसला फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट के रूप में या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में नियोक्ता का फ़ैसला आख़िरी होगा और उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी पार्टी किसी मामले पर नाखुश है, तो वह पार्टी ऐसे फ़ैसले का नोटिस मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकती है कि विवादित मामलों पर आर्बिट्रेशन किया जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में उन मामलों के बारे में बताया जाएगा, जिन पर विवाद है या जिन पर मतभेद है, जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टी राज़ी होती हैं, तो इस काम के लिए एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। अगर एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ़ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी सर्टिफिकेट, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले उपबंध में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स , जैसा भी मामला हो, रेफरेंस पर एंटर करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बढ़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो पार्टियों के सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स , जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला, जैसा भी मामला हो, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से वहन करेगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला , जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि संविदाकर्ता किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला , जैसा भी हो, संविदाकर्ता को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। नियोक्ता और संविदाकर्ता इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस उपबंध के तहत आर्बिट्रेशन, संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

आर्बिट्रेशन की जगह वह सेंटर/शहर होगा जहां काम किया जा रहा है ।

36. **<u>अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार</u>**

नियोक्ता को काम की टेक्निकल जांच करने और संविदाकर्ता के फाइनल बिल, जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल हैं, की जांच करने का अधिकार होगा, जो फाइनल बिल के भुगतान के समय बनाए जाएंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से , कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

37. **<u>नियोक्ता कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को वसूलने का हकदार है</u>**

अगर किसी भी वजह से, नियोक्ता, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, संविदाकर्ता द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो नियोक्ता को संविदाकर्ता से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हक होगा, और इस एक्ट के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ता को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या इस संविदा के तहत या किसी और तरह से संविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम से काटकर ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा वसूलने की आज़ादी होगी। नियोक्ता, संविदाकर्ता के लिखकर अनुरोध करने और नियोक्ता को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के अलावा, जिसके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है, उस एक्ट के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा।

38. **<u>कार्यों का परित्याग</u>**

अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ता किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को नहीं करवाना चाहता है, तो नियोक्ता संविदाकर्ता को लिखकर नोटिस देगा। संविदाकर्ता का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

39. **<u>अधिशेष सामग्री की वापसी</u>**

इस संविदा के किसी या सभी उपबंध में इसके उलट कुछ भी होने पर भी, जहाँ संविदा को पूरा करने के लिए कोई भी सामान नियोक्ता की मदद से सरकार के ऑर्डर, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ संविदाकर्ता उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ संविदा के मकसद के लिए रखेगा और नियोक्ता की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे फेंकेगा नहीं और अगर नियोक्ता चाहे तो उसे नियोक्ता को उस कीमत पर लौटा देगा जो नियोक्ता तय करेगा, जिसमें सामान की हालत का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और संविदाकर्ता द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे टैक्स शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संविदाकर्ता, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण नियोक्ता को हुए सभी पैसे, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

40. **<u>संविदाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा समाप्त करने का अधिकार, यदि व्यक्ति</u>**

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदाकर्ता, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो नियोक्ता के पास संविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

41 . **<u>दुर्घटना रिपोर्ट</u>**

किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने पर, संविदाकर्ता क्लाइंट को सभी एक्सीडेंट रिपोर्ट की कॉपी देगा। रिपोर्ट बिना किसी देरी के और उसी समय भेजी जाएंगी जब उन्हें किसी दूसरी पार्टी को फॉरवर्ड किया जाएगा।

42. **<u>कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम :</u>**

a) संविदाकर्ता "वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत संविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी, जैसा भी मामला हो और संविदाकर्ता एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

b) सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

c) अगर घटना में संविदाकर्ता के कर्मचारी शामिल हैं, तो संविदाकर्ता को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

d) संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

e) संविदाकर्ता को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

43. अप्रकटीकरण खंड :

a) संविदाकर्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर और/या डीबी डेवलपर को इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता संविदा के विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। संविदाकर्ता सेकंड पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर , जैसा भी मामला हो, संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा, और सेकंड पार्टी को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

b) संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

c) सर्विस प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारियाँ और, संविदा करार पर बिना किसी नुकसान के, अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ, किसी भी कारण से इस करार के एक्सपायर होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।

44. **<u>कार्यक्रम चार्ट/प्रगति रिपोर्ट</u>** :

संविदाकर्ता को काम के अलग-अलग स्टेज को पूरा करने के लिए एक सही प्रोग्रेस रिपोर्ट/चार्ट जमा करना होगा, ताकि काम तय समय में पूरा हो सके। ऐसा प्रोग्राम काम मिलने के 14 दिनों के अंदर जमा करना होगा। बैंक द्वारा किए गए सभी सही बदलाव प्रोग्रेस चार्ट में शामिल किए जाने चाहिए। अगर कहा जाए तो संविदाकर्ता को

अलग-अलग यूनिट और यूनिट के ग्रुप के लिए मौजूदा इक्विपमेंट डिलीवरी की तारीखें और अनुमानित पूरा होने की तारीखें दिखाते हुए रिपोर्ट जमा करनी होगी।

45. **<u>सांविधिक अनुमोदन:</u>**

संविदाकर्ता द्वारा संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) / मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) / स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण / स्थानीय नगरपालिका आदि / स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। संविदाकर्ता ऐसी सभी स्वीकृतियों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी अतिरिक्त कार्य/उसमें संशोधन की किसी आवश्यकता के मामले में, उसे पहले से ही प्रभारी इंजीनियर के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए काम निष्पादित किया जाना है। संविदाकर्ता संबंधित प्राधिकरणों से आगे की मंजूरी और अंतिम समापन और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम के दौरान और पूरा होने के बाद आवश्यकतानुसार दस्तावेज, रिपोर्ट आदि तैयार करने में सहायता करेगा। संविदाकर्ता संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेने और सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस खाते पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

46. **<u>निषेध/अयोग्यता:</u>**

वाले को इन वजहों से बोली लगाने से **रोका जा सकता है:**

1) अगर यह तय होता है कि बोली लगाने वाले ने ईमानदारी के नियम का उल्लंघन करते हुए ये काम किए हैं या गलतियाँ की हैं:

i) a) प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया पर किसी और तरह से असर डालने के लिए, सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से रिश्वत, इनाम या गिफ़्ट या कोई भी बड़ा फ़ायदा ऑफ़र करना, मांगना या लेना।

b) कोई भी ऐसी चूक या गलत जानकारी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके, या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके।

c) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या एंटी-कॉम्पिटिटिव व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को प्रभावित कर सकता है।

d) खरीदने वाली कंपनी द्वारा बोली लगाने वाले को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल, खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा उठाने या निजी फ़ायदे के इरादे से।

e) बोली लगाने वाले और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा पूरा करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस लेन-देन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकता है।

f) खरीद प्रक्रिया पर असर डालने के लिए किसी पार्टी या उसकी प्रॉपर्टी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव डालना या धमकी देना।

g) किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।

h) निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने या संविदा पाने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी देना।

ii) कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट का खुलासा करने में नाकाम रहे।

i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा निषिद्ध किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा हो।

2) बोलीकर्ता द्वारा कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी के उल्लंघन के अलावा किसी भी अन्य कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में डिबारमेंट उचित है, जैसे कि घटिया मटीरियल की सप्लाई, मटीरियल की सप्लाई न करना, काम को छोड़ देना, काम की घटिया क्वालिटी, नियमों का पालन न करना।

निविदा की शर्तें वगैरह।

3) अगर बोली लगाने वाले को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट संविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए।

उपबंध (VI) - इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

शर्तों में उपबंध का संदर्भ

इसके पूर्व संदर्भित

	दोष दायित्व अवधि	बैंक को आखिरी लिफ्ट सौंपने की तारीख से बारह महीने।
	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
	प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 वें दिन
	पूरा होने की तारीख	प्रारंभ तिथि से 48 सप्ताह
	की दर से परिसमाप्त क्षति	उपबंध III के खंड 24 के अनुसार
	अंतरिम सर्टिफिकेट/रनिंग अकाउंट बिल के लिए काम की मिनिमम मूल्य	उपबंध III के खंड 24 के अनुसार
	भुगतान सर्टिफिकेट को पूरा करने की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने।
	प्रतिधारण धन	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%
	लिफ्ट लगाने और चालू करने के दौरान सिक्योरिटी डिपॉज़िट / पीबीजी	डीएलपी तक संविदा मूल्य का 5%
	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	बैंक दर के अनुसार
	सीएएमसी अवधि PBG	खंड 14 (V) के अनुसार

उपबंध-VII

कार्य का दायरा (ए और बी)

सब-खंड A. काम का स्कोप और काम करते समय टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

कोलकाता में बैंक की मुख्य कार्यालय भवन में 11 फ्लोर हैं और इसमें 6 पैसेंजर लिफ्ट हैं, जो इस तरह से हैं:

I. 4 लिफ्ट का ग्रुप, हर एक में 16 पैसेंजर की कैपेसिटी @ 2.5 mps स्पीड, ग्राउंड से 8 वीं मंज़िल तक सर्विस (ऊंचाई 38.9 मीटर)।

II. 2 लिफ्ट का ग्रुप, हर एक की कैपेसिटी 16 पैसेंजर है @ 2.5 mps स्पीड, ग्राउंड से 11 वीं मंज़िल तक सर्विस देती है (ऊंचाई 53 मीटर)।

कार्यों की गुंजाइश:

बैंक ऊपर बताई गई सभी लिफ्टों को स्टेट ऑफ़ आर्ट करंट टेक्नोलॉजी वाली लिफ्टों से बदलना चाहता है। 6 लिफ्टों की स्पीड 2.5 mps होगी । लिफ्टों को दो लिफ्टों के बैच में या बैंक के तय किए गए तरीके से बदला जाएगा। लिफ्ट को IS कोड 17900, NBC 2016, और खंड VII और खंड VIII की ज़रूरतों को पूरा करना होगा । काम का स्कोप इस तरह है:

I. पैसेंजर लिफ्ट को बदलना और कम से कम 2 लिफ्ट के पहले बैच का फैक्ट्री निरीक्षण ।

II. कोलकाता में बैंक की साइट पर लिफ्ट उपकरण की डिलीवरी जिसमें पैकिंग, हैंडलिंग शामिल है, भारत में बंदरगाहों पर परिवहन, समाशोधन, लोडिंग/अनलोडिंग और कोलकाता में साइट पर अनलोडिंग।

III. ज़रूरत के हिसाब से मौजूदा लिफ्टों को सभी जुड़े हुए इक्विपमेंट और एक्सेसरीज़ के साथ धीरे-धीरे हटाना और बाकी लिफ्टों को चालू रखना।

IV. लिफ्ट शाफ्ट की पूरी ऊंचाई में पार्टीशन की सप्लाई और इंस्टॉलेशन (कृपया मौजूदा पार्टीशन देखें और कानूनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़रूरी हो तो उन्हें बढ़ाने या नया लगाने पर विचार करें)

V. सामने की दीवार की ऊंचाई बनाए रखना।

VI. इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग , लिफ्ट इंस्पेक्टरेट से ऑपरेटिंग अप्रूवल लेना और लिफ्ट बैंक को सौंपना।

VII. वारंटी अवधि (दोष देयता अवधि) और उसके बाद 19 साल के पूरे वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के दौरान सभी स्पेयर पार्ट्स वगैरह सहित सर्व-समावेशी सर्विस देना। बैंक सीएएमसी अवधि के दौरान बताई गई कीमत के हिसाब से सीएएमसी चार्ज देगा । सीएएमसी के काम का डिटेल्ड स्कोप और दूसरी शर्तें नीचे खंड B में बताई गई हैं।

VIII. स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लिफ्ट रिप्लेसमेंट को ठीक से पूरा करने के लिए सभी इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट, लेबर और परमिट ज़रूरी हैं।

IX. 01 अप्रैल, 2026 से सभी लिफ्टों को बदलने और बैंक को हैंडओवर करने तक मौजूदा लिफ्टों का ऑल इनक्लूसिव रखरखाव देना ।

X. काम पूरा करने के लिए ज़रूरी कोई और काम, जो ऊपर बताया गया हो, लेकिन उससे जुड़ा न हो।

- **संविदाकर्ता के हिस्से में होने वाला काम:**

I. **लिफ्ट वेल और पिट** : पिट और लिफ्ट शाफ्ट की दीवारों से सारी ग्रीस और गंदगी साफ करें। पिट को मशीनरी इनेमल के एक कोट से पेंट करें, और ज़रूरत के हिसाब से होइस्ट वे पर सफेदी करें।

II. **मशीन रूम और मशीनरी स्पेस** : काम पूरा होने पर मशीन रूम के फ़र्श पर एपॉक्सी पेंट का एक कोट लगाएं।

III. कोड की ज़रूरतों के हिसाब से, कॉमन लिफ्ट शाफ्ट में हर पास वाली लिफ्ट के बीच स्टील चेन लिंक फेंस से लिफ्ट शाफ्ट को अलग करना।

IV. ज़रूरी मचान , और दीवारों को काटने और ठीक करने के लिए बिल्डर का सारा काम और ज़रूरी चिनाई का काम, जिसमें प्लास्टर की मरम्मत, पेंटिंग वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा, ज़रूरत के हिसाब से सभी चेज़ कटिंग और ओपनिंग, लिफ्ट संविदाकर्ता करेगा। लिफ्ट मशीनरी और बफ़र्स के सपोर्ट के लिए मशीन RS बीम और MS चैनल लिफ्ट संविदाकर्ता सप्लाई करेगा और लगाएगा।

V. मौजूदा लिफ्ट वेल, पिट, हेड रूम और मशीन रूम में लाइटिंग। साथ ही, मशीन रूम में ज़रूरी इलेक्ट्रिकल फीड वायर और मेन स्विच और आर्किट्रेव वाले दरवाज़े नियोक्ता देंगे। हर लिफ्ट के लिए 415 वोल्ट का SDFU, 3 फेज़ AC पावर दिया जाएगा।

उप-खंड बी. दोष दायित्व अवधि और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा **अवधि के दौरान कार्य का दायरा:**

i. सुनिश्चित करना वह योग्य टीम तैनात द्वारा उन्हें, के लिए उद्देश्य के लिए प्रतिपादन आवश्यक सेवाएँ द्वारा किनारा अंतर्गत यह करार।

ii. सुनिश्चित करना वह उसका कर्मचारी, जबकि में बैंक परिसर या जबकि भार उठाते बाहर उनका दायित्वों अंतर्गत यह करार, निरीक्षण मानकों का स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छा व्यवहार और सामान्य अनुशासन द्वारा निर्धारित किनारा और किनारा/ नियोक्ता करेगा होना अकेला न्यायाधीश जैसा को चाहे या नहीं निविदाकार और/ या उसके कर्मचारियों पास होना देखा वही।

iii. व्यक्तिगत रूप से, और केवल निगरानी काम का उसका कर्मचारी इसलिए जैसा को सुनिश्चित करना वह सेवा प्रतिपादन किया अंतर्गत यह करार हैं ले जाया गया बाहर को संतुष्टि का किनारा।

iv. सुनिश्चित करना वह नहीं कर्मचारी का निविदाकार इच्छा प्रवेश करें या रहें पर बैंक का परिसर आगे निर्दिष्ट समय सीमा जब तक और ज़रूरी के लिए को पूरा करने निविदाकर्ता का दायित्व।

v. होना उत्तरदायी के लिए कोई हानि कारण को बैंक या इसका परिसर या कोई भाग उसके या को कोई उसके उपकरण या कोई संपत्ति का किनारा और उसमें द्वारा कोई कार्य, चूक, चूक या लापरवाही की निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों या एजेंट।

vi. सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर, इक्विपमेंट बैंक को सौंपने की तारीख से DLP और सीएएमसी अवधि के लिए सभी तरह के दोष के खिलाफ गारंटी होगी। गारंटी अवधि के अंदर ARD के सिस्टम/सब-असेंबली/बैटरी/कॉल बटन, कार LED लाइट/पंखे/LED पैनल वगैरह जैसे छोटे पार्ट्स में कोई भी खराबी मिलने पर, निविदा देने वाले को उसे **फ्री में ठीक**

करना होगा/बदलना होगा । कोई भी असेंबली/पार्ट्स/बैटरी/वायरिंग जिसे बदलने/टूटने/खराब केबल और/या कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत हो, उसे ज़रूरत पड़ने पर बदलना होगा, जिसके लिए संविदा की शर्तों के मुताबिक बैंक भुगतान नहीं करेगा।

vii. सिस्टम को सीएएमसी के तहत अगले **19 साल तक मेंटेन करना भी ज़रूरी है। व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए वन टाइम करार का फ़ॉर्मेट अनुबंध XVI में दिया गया है। फ़र्म को इंस्टॉलेशन का फ़ाइनल बिल सेटल करने से पहले एएमसी करार जमा करना होगा ।**

viii. इस समय (DLP और सीएएमसी) के दौरान कम से कम **4** सर्विसिंग (रेल की सफाई, मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की चेकिंग, सेफ्टी, इंटरलॉकिंग चेकिंग या OEM द्वारा बताई गई कोई भी दूसरी चेकिंग) और किसी भी नंबर पर ब्रेकडाउन कॉल्स को अटेंड करना फ्री में किया जाएगा।

ix. अच्छी सर्विस देने पर सीएएमसी भुगतान **हर छह महीने में किया जाएगा।**

x. वार्षिक रखरखाव सर्विस संविदा दर में सारा खर्च भी शामिल होगा , जिसमें लेबर, सबसे पास के सर्विस स्टेशन से आने-जाने का खर्च, सभी स्पेयर पार्ट्स, तेल, केबल, और ज़रूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन और सिस्टम को दूसरी जगह ले जाना, सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी सामान वगैरह शामिल होंगे।

xi. संविदाकर्ता को सारा काम बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करना होगा। अगर बैंक के इंजीनियर की राय में, साइट की कंडीशन के हिसाब से थोड़े बदलाव करने हैं और बैंक से पहले से लिखकर मंज़ूरी लेकर, वे संविदाकर्ता से ऐसा करवाना चाहते हैं, तो संविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ऐसा करेगा।

बी.1 व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण:

संविदा की रकम को दो साल (एक साल का दोष देयता अवधि और बताए गए दर पर एक साल का एएमसी) के बाद कम से कम 18 साल के अतिरिक्त समय के लिए रिन्यू किया जाएगा। संविदा रिन्यू करते समय रकम इस फ़ॉर्मूले के आधार पर तय की जाएगी:

$$ए_{सी} = ए_{पी} [(50 x (ईपीआई_{सी} / ईपीआई_{पी}) + 50x (सीपीआई_{सी} / सीपीआई_{पी})] / 100$$

$ए_{सी}$	चालू साल के लिए संविदा की रकम (टैक्स को छोड़कर)
$ए_{पी}$	पिछले साल का संविदा अमाउंट (टैक्स को छोड़कर)
सीपीआई $_{सी}$	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) चालू साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
सीपीआई $_{पी}$	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
ईपीआई	इस साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले **मटेरियल हैंडलिंग, लिफ्टिंग और होइस्टिंग इक्विपमेंट** के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ।

ईपीआई पी	पिछले साल के संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले **मटेरियल हैंडलिंग, लिफ्टिंग और होइस्टिंग इक्विपमेंट** के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ।

B.2 : **जुर्माना :** सिस्टम में कोई भी खराबी नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक की जाएगी, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाई जाएगी।

	सुधार समय	**जुर्माना**
किसी भी खराबी की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही है	12 घंटे	हर लिफ्ट के लिए हर दिन ₹1400.

नोट: लिफ्ट को बड़े पैमाने पर बदलने का मकसद किसी भी सिविल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल बदलाव, सामने की दीवार और लैंडिंग डोर के एंट्रेंस को बनाए रखने वगैरह से बचना है। सभी की सेफ्टी पक्का करने के लिए हर समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की उम्मीद है , जिसमें हमेशा बहुत सेफ और साफ माहौल बनाए रखना शामिल है। इस संविदा के तहत काम इस निविदा दस्तावेज में बताई गई शर्तों और स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से संविदा दर पर किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे कंपोनेंट्स/मटीरियल, जो निविदा दस्तावेज में खास तौर पर नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो काम के किसी भी हिस्से के ठीक से इंस्टॉलेशन और/या ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें भी बिना किसी अतिरिक्त कॉस्ट के संविदा दर के अंदर दिया जाएगा। संविदार्स को प्री-बिड मीटिंग के दौरान लिफ्ट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने वाले किसी भी एडिशन या डिलीशन के लिए सुझाव देने के लिए इनवाइट किया जाता है। संविदाकर्ता बैंक की सैटिस्फैक्शन के हिसाब से हर तरह से काम करेगा और पूरा करेगा।

खंड -VIII

तकनीकी विनिर्देश

विस्तृत विनिर्देश का इच्छित उपकरण उपलब्ध है इस में अनुभाग। बताए गए स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव प्री-बिड मीटिंग में या उससे पहले बताना होगा । खंड IX में इनमें से कुछ ज़रूरी ज़रूरतें बताई गई हैं और उनसे होने वाले बदलाव एनेक्सर में ही बताए जा सकते हैं।

1.0 सामान्य

लिफ्ट को भारतीय मानक विनिर्देश आईएस 17900 के अनुसार डिजाइन, निर्मित, स्थापित और चालू किया जाएगा **लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए लिफ्ट** (सभी पार्ट्स, लिफ्ट के लिए कोड) इस संविदा में शामिल इक्विपमेंट और काम पर लागू होंगे।

में जोड़ना, उपयुक्त खंड का अगले, जैसा संशोधन ऊपर को तारीख करेगा आवेदन करना।

- विद्युत अधिनियम, 2003 (2025 में संशोधित)
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023
- पश्चिम बंगाल लिफ्ट, एस्केलेटर और ट्रैवलेटर्स अधिनियम, 2019, जैसा लागू हो
- आग सुरक्षा नियमों संबंधित को लिफ्टें, जैसा लागू हो
- एनबीसी प्रावधानों उपयुक्त को लिफ्ट- 2016

लिफ्ट के डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन के लिए लागू लोकल और राज्य के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।

1.1 तकनीकी पैरामीटर

a. पैसेंजर लिफ्ट के लिए टेक्निकल पैरामीटर (जैसे, साइज़, ट्रैवल लेंथ, स्पीड) खंड IX में डिटेल में दिए गए हैं। बिड लगाने वालों को उस एनेक्सर में दिए गए कॉलम में आइटम के हिसाब से कन्फर्मेशन या कमेंट देना होगा। निविदा की ज़रूरतों से कोई भी फर्क इस खंड में साफ तौर पर हाईलाइट किया जाना चाहिए; नहीं तो, यह माना जाएगा कि ऑफर पूरी तरह से वैसा ही है। जिन निविदा में खंड IX ठीक से भरा हुआ नहीं है, वे इसे तुरंत रिजेक्ट किया जा सकता है।
b. सारा इंस्टॉलेशन लिफ्ट की सामने की दीवार को बनाए रखकर किया जाएगा।

1.2 योजना मानदंड

लिफ्ट संविदाकर्ता नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशन्स और भरोसेमंद इंजीनियरिंग तरीकों के आधार पर डिज़ाइन बनाएगा और अप्रूवल के लिए बैंक को सभी लिफ्ट ड्रॉइंग जमा करेगा। सभी सब सिस्टम और इक्विपमेंट भरोसेमंद डिज़ाइन के होने चाहिए।

डिज़ाइन का उपकरण की पेशकश की चाहिए मिलो अगले मानदंड:-

- प्रयोग का नवीनतम राज्य का कला तकनीकी।
- डिज़ाइन संवर्द्धन चाहिए नहीं कम करना ज़िंदगी चक्र का उपकरण / अवयव
- डिज़ाइन ज़िंदगी का पर कम से कम 20 साल।
- उच्चतम स्तरों का विश्वसनीयता और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता
- सबसे कम रखरखाव लागत
- मॉड्यूलर डिज़ाइन
- न्यूनतम ज़िंदगी साइकिल की लागत
- उच्चतम स्तरों का सुरक्षा
- पर्यावरण दोस्ताना
- लिफ्ट की हेल्थ के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम

यह दस्तावेज यह पक्का करता है कि लिफ्ट बनाने वाली कंपनी का डिज़ाइन बताए गए मानदंड को मानता है और इक्विपमेंट सभी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को पूरा करता है, न सिर्फ हैंडओवर के समय बल्कि अपनी पूरी सर्विस लाइफ साइकिल में लगातार।

लिफ्ट संविदाकर्ता को डाउनटाइम कम करने और परफॉर्मेंस की ज़रूरतों का पालन दिखाने के लिए बिल्ट-इन डायग्नोस्टिक्स देना होगा।

लिफ्ट संविदाकर्ता को सभी डिज़ाइन इनपुट को साफ़ तौर पर कन्फर्म करना होगा—जिसमें गाइड रेल सिस्टम, कार सिस्टम और लिफ्ट शाफ्ट के लिए सावधानियां और कंट्रोल के तरीके शामिल हैं—ताकि यह पक्का हो सके कि शोर, वाइब्रेशन और दूसरे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पूरे हों। इसमें, अगर ज़रूरी हो, तो बिल्डिंग के हिलने, पिस्टन इफ़ेक्ट, चिमनी/स्टैक इफ़ेक्ट और सीस्मिक कंट्रोल के लिए इम्पैक्ट एनालिसिस और सॉल्यूशन शामिल हैं।

4.0 ड्राइविंग तंत्र और सामान:

4.1 लिफ्ट मशीन:

लिफ्ट मशीन 415-वोल्ट, 3-फेज, 50 Hz AC सप्लाई के लिए सही होगी, जिसमें वोल्टेज में ±10% का अंतर हो। इसे मशीन रूम के फ्लोर स्लैब पर रखे स्टील बीम पर सीधे होइस्टवे के ऊपर रखा जाएगा। लिफ्ट मशीन में हाई एफिशिएंसी, हाई पावर फैक्टर (एकता के करीब) और कम बिजली की खपत होनी चाहिए, जिसे ऑपरेशन के दौरान पीक करंट झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन ट्रांसमिशन को कम करने के लिए सही डिज़ाइन के लचीले एंटी-वाइब्रेशन माउंटिंग दिए जाएंगे। संविदा के दायरे में स्टील बीम (I & C टाइप), मोटर फाउंडेशन और ज़रूरी कोर कटिंग की सप्लाई और इंस्टॉलेशन शामिल है। मौजूदा बीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। असेंबली को कॉन्ट्रैक्टेड लोड और 25% ओवरलोड को झेलने के लिए डिज़ाइन और टेस्ट किया जाएगा।

4.2 ए सी मोटर /लिफ्ट मोटर

संविदाकर्ता लेटेस्ट जनरेशन 3 (Gen 3), हाई-एफिशिएंसी, गियरलेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) एलिवेटर सिस्टम सप्लाई और इंस्टॉल करेगा, जो 415V, 3-फेज, 50Hz AC सप्लाई (वोल्टेज वेरिएशन ±10%) से पावर्ड होगा और एनर्जी बचाने वाले, एक्टिव रीजेनरेटिव वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (VVVF) ड्राइव से कंट्रोल होगा।

4.3 विरोधी कंपन समर्थन

शोर और वाइब्रेशन को कम करने के लिए पूरी ट्रैक्शन मशीन को सही एंटी-वाइब्रेशन सपोर्ट पर लगाया जाएगा।

4.4 ब्रेक

- स्टैंडर्ड कम्प्लायंस: IS 17900-1 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लायंट।
- सिस्टम टाइप: इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, फ्रिक्शन-टाइप ब्रेकिंग सिस्टम।
- ऑपरेशन मोड: फेल-सेफ डिज़ाइन, स्प्रिंग-आवेदनड और इलेक्ट्रिकली रिलीज़।
- मैनुअल रिलीज़: इमरजेंसी बचाव ऑपरेशन के लिए मैनुअल ब्रेक रिलीज़ लीवर होना चाहिए।
- डुअल रिडंडेंसी: इसमें डबल-एक्टिंग ब्रेक सिस्टम लगा है जिसमें दो पूरी तरह से अलग मैकेनिकल सेट होते हैं। हर अलग ब्रेक सेट को रेटेड स्पीड पर रेटेड लिफ्ट लोड का 125% खुद से पकड़ना और रोकना चाहिए।
- मॉनिटरिंग: ब्रेक शू/पैड के घिसने और खुलने/बंद होने की स्थिति की लगातार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। अगर कोई खराबी पता चलती है, तो सिस्टम को लिफ्ट को लॉक कर देना चाहिए।
- UCMP इंटीग्रेशन: ब्रेक को अनइंटेंडेड कार मूवमेंट प्रोटेक्शन (UCMP) के लिए स्टॉपिंग एलिमेंट के तौर पर काम

करना चाहिए।

- ACOP इंटीग्रेशन: ब्रेक को तेज़ रफ़्तार से जा रही खाली कार को ऊपर की ओर सुरक्षित रूप से रोककर एसेंडिंग कार ओवर-स्पीड प्रोटेक्शन (ACOP) को रोकना चाहिए।

4.5 सस्पेंसन रस्सियाँ/बेल्ट

- सस्पेंशन सिस्टम को **IS 17900 (भाग 1 और भाग 2):** लिफ्ट बनाने और लगाने के सेफ्टी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा **।** सस्पेंशन रस्सी में आम तौर पर कोटेड स्टील बेल्ट या खास हाई-टेंसाइल स्टील वायर रस्सी होती हैं । सस्पेंशन सिस्टम को फुल-लोड स्टैटिक कंडीशन में कम से कम **12** का सेफ्टी फैक्टर बनाए रखना चाहिए । लिफ्ट सिस्टम में एक ऑटोमेटेड, लगातार इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। मॉनिटरिंग यूनिट को ऑटोमैटिकली सेफ़-लैंडिंग ऑपरेशनल मोड चालू करना चाहिए, लिफ़्ट को सबसे पास के फ़्लोर पर पार्क करना चाहिए, और अगर किसी सस्पेंशन स्ट्रैंड में तय लिमिट से ज़्यादा घिसाव, खराबी या टूट-फूट होती है, तो ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए।
- **डेटा प्लेट:** कार क्रॉसहेड पर एक टिकाऊ मेटैलिक डेटा प्लेट हमेशा के लिए लगानी चाहिए, जिसमें सस्पेंशन मीडिया की मात्रा, टाइप, नॉमिनल डायमीटर/चौड़ाई, और सर्टिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखी हो।
- **डॉक्यूमेंटेशन:** संविदाकर्ता को इंस्टॉलेशन से पहले IS 17900 के हिसाब से टाइप-टेस्ट सर्टिफ़िकेशन, स्ट्रक्चरल लोड कैलकुलेशन, और रस्सी/बेल्ट लाइफ़-साइकिल डेटा शीट जमा करनी होगी।

4.6 संरेखण

ब्रेक प्लंजर, गले का पट्टा, आस्तीन, मोटर, ढेरों और सभी बीयरिंग करेगा होना घुड़सवार और इस तरह से जोड़ा गया है कि इन हिस्सों का सही अलाइनमेंट बना रहे। विधानसभा करेगा होना की समीक्षा और रेक्टीफाइड कब अत्यधिक शोर है उत्सर्जित दौरान संचालन।

4.7 कार सुरक्षा, प्रतिभार सुरक्षा और गवर्नर:

जब भी बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाए, तो कार या काउंटरवेट को रोकने के लिए कार सेफ्टी दी जाएगी ।

रस्सी और टेंशन पुली फ्रेम के साथ एक टेस्ट किया हुआ ओवर स्पीड गवर्नर दिया जाएगा। गवर्नर रस्सी के टूटने या ज़्यादा खिंचने पर, गवर्नर टेंशन पुली पर लगे इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस से मोटर रुक जाएगी।

इसे लेटेस्ट IS 17900 में बताई गई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रिपिंग स्पीड को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा ।

लिफ्ट हैंडओवर करने से पहले गवर्नर के लिए फैक्ट्री कैलिब्रेशन और टाइप-टेस्ट सर्टिफिकेट देता है।

4.8 ड्राइविंग शीव्स

- ड्राइविंग शीव्स (ट्रैक्शन शीव्स और गवर्नर पुली) को **IS 17900 का पालन करने के लिए खास** डाइमेंशन, परफॉर्मेंस और मटीरियल पैरामीटर्स को पूरा करना होगा।
- सभी कर्षण ढेरों करेगा होना संलग्न करना साथ ए उपयुक्त और हटाने योग्य रक्षा चलते हुए इक्विपमेंट से टकराने के खतरों को खत्म करने के लिए।

5.0 नियंत्रण प्रणाली

5.1 परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति (VVVF) पुनर्योजी ड्राइव

- ड्राइव टेक्नोलॉजी: लिफ्ट ट्रैक्शन सिस्टम को एनर्जी बचाने वाला, पूरी तरह से डिजिटल वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ़्रीक्वेंसी (VVVF) ड्राइव इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सटीक मोटर वेक्टर कंट्रोल के लिए एडवांस्ड इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (IGBTs) लगे हों।
- एक्टिव फ्रंट एंड (AFE): ड्राइव में डुअल-IGBT ब्रिज डिज़ाइन के साथ एक एक्टिव फ्रंट एंड (AFE) होना चाहिए ताकि ट्रैक्शन मोटर और बिल्डिंग के पावर ग्रिड के बीच साफ़, लगातार दोनों तरफ़ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके।
- रीजेनरेटिव एफिशिएंसी: जनरेटर मोड के दौरान—खासकर जब कोई भारी लोड वाली कार नीचे आती है या कोई हल्की लोड वाली कार ऊपर जाती है—ड्राइव को बैक-EMF एनर्जी को कैप्चर करना चाहिए और इसे रेसिस्टर के ज़रिए वेस्ट हीट के रूप में खर्च करने के बजाय वापस इस्तेमाल करने लायक इलेक्ट्रिकल पावर में बदलना चाहिए। सिस्टम को टोटल हार्मोनिक करंट डिस्टॉर्शन (THD) को 5% से कम पर रोकना चाहिए।

अगले सुरक्षा करेगा होना बनाना में अंदर इन्वर्टर:-

- मोटर ओवरलोड / ओवर टॉर्क
- तुरंत होने वाला ओवर करंट
- ग्राउंड फॉल्ट
- अंडर वोल्टेज
- ओवर वोल्टेज – 3 फेज़
- आउटपुट और इनपुट फेज़ लॉस
- आउटपुट शॉर्ट सर्किट
- ओवर स्पीड
- स्पाइक्स और सर्जेज़

- फेज़ रिवर्सलचरण उलट

यह भी समर्थन करता है मैकेनिकल और मोशन सेफ्टी इंटरलॉक (IS 17900 अलाइनमेंट):

- **इलेक्ट्रॉनिक ओवरस्पीड प्रिवेंशन: IS 17900-1 मानदंड** के अनुसार , अगर कार की स्पीड संविदा वेलोसिटी से (110%) ज़्यादा हो जाती है, तो इसे पावर काटनी चाहिए और मैकेनिकल ब्रेक ड्रॉप करने चाहिए।
- **एसेंडिंग कार ओवरस्पीड प्रोटेक्शन (ACOP):** इन्वर्टर को ACOP फंक्शन को एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए। अगर काउंटरवेट खींचने की वजह से लिफ्ट ऊपर की तरफ स्पीड पकड़ती है, तो इन्वर्टर को अनकंट्रोल्ड-मोशन फॉल्ट ट्रिगर करना चाहिए और आगे का ऑपरेशन लॉक करना चाहिए।
- **अनइंटेंडेड कार मूवमेंट प्रोटेक्शन (UCMP):** इन्वर्टर के सेफ्टी फर्मवेयर को लैंडिंग और कार के दरवाज़े के इंटरलॉक के साथ इंटरफेस करना चाहिए। अगर दरवाज़े खुले या अनलॉक होने पर मोटर घूमने लगे, तो इन्वर्टर को तुरंत मोटर का करंट काट देना चाहिए ताकि मोशन रुक जाए।

पर गलती घटना, वीवीवीएफ ड्राइव करेगा स्टोर करें स्थिति का सभी पैरामीटर प्रचलित पर खराबी आने का समय वगैरह और यह यूज़र को खराबी का पता लगाने में मदद के लिए उपलब्ध होगा।

लिफ्ट कंट्रोलर दीवार/फर्श पर होगा घुड़सवार, ऊर्ध्वाधर, पूरी तरह से संलग्न क्यूबिकल प्रकार के साथ कंट्रोलर के सभी पार्ट्स तक आसानी से पहुंचने के लिए आगे और/या पीछे की तरफ कब्ज़े वाले दरवाज़े होने चाहिए। क्यूबिकल में अच्छी हवादार व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मशीन रूम के माहौल में अंदर का तापमान कभी भी पार्ट्स की सुरक्षित सीमा से ज़्यादा न हो।

लिफ्ट मोटर नियंत्रण प्रणाली करेगा होना इलेक्ट्रॉनिक बंद लूप नियंत्रण को सुनिश्चित करना असफल सुरक्षित मोटर ऊपर स्पीड कंट्रोल और ± 5 mm की स्टॉपिंग एक्यूरेसी।

भार मुआवज़ा सर्किट करेगा भी होना शामिल को आगे सुधार ऊपर लेवलिंग शुद्धता। लेवलिंग ± 5 mm के अंदर होनी चाहिए।

एक स्वचालित चरण उलटफेर उपकरण करेगा होना प्रदान किया पर नियंत्रक कौन करेगा होना डिजाइन लिफ्ट इक्विपमेंट को फेज़ रिवर्सल और फेज़ फेलियर से बचाने के लिए।

कंट्रोलर को पावर सप्लाई काटने, ब्रेक लगाने और कार को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा । ऊपर बताई गई किसी भी खराबी के होने पर आराम करने के लिए।

प्रणाली चाहिए खुद ब खुद पुनः आरंभ करें कब शक्ति है बहाल किया गया।

सिस्टम मेमोरी में बनाए रखा जाना चाहिए की घटना बिजली चली जाए या कोई गड़बड़ी हो। लिफ्ट अंदर नहीं जानी चाहिए करेक्शन मोड में या करेक्शन रन के लिए सबसे निचले फ्लोर / सबसे ऊंचे फ्लोर पर जाकर उसकी पोजीशन और मेमोरी अपडेट करें।

त्वरण और मंदी करेगा होना एडजस्टेबल पर साइट का उपयोग करते हुए ए सेवा औजार।

5.2 समूह नियंत्रण प्रणाली

एक सिंगल स्टैंडअलोन (सिंप्लेक्स) लिफ्ट इंस्टॉलेशन के लिए, कार को अपने डेडिकेटेड माइक्रोप्रक्रियार कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जाना चाहिए जो सभी मोशन और डिस्पैचिंग को इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है। हर लिफ्ट लॉबी में स्टैंडअलोन हॉल कॉल बटन होंगे जिनमें क्लियर डायरेक्शनल एरो और फ्लोर पोजीशन डिस्प्ले लगे होंगे ताकि पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया जा सके। कंट्रोल सिस्टम को वेटिंग टाइम को कम करने और अनप्रोडक्टिव ट्रैवल को खत्म करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड रूटिंग लॉजिक का इस्तेमाल करके सभी रजिस्टर्ड हॉल और कार कॉल्स को ऑटोमैटिकली प्रक्रिया करना चाहिए।

5.3 ऊर्जा क्षमता

जब लिफ्ट इस्तेमाल में न हो या कम डिमांड हो, तो कंट्रोल सिस्टम में एनर्जी कंट्रोल फ़ीचर होने चाहिए ताकि बिजली की खपत कम हो सके; इनमें ये शामिल हैं, लेकिन सिर्फ़ यही नहीं: -

- ऑटो पंखा / कार रोशनी काट दिया: ऑटो बदलना बंद विशेषता को होना प्रदान किया के लिए स्विचन का लिफ्ट के 120 सेकंड तक आइडल रहने के बाद वेंटिलेशन फैन और कार लाइट चालू हो जाती हैं। टाइमिंग बढ़ाने या घटाने के लिए इसे साइट पर प्रोग्राम किया जा सकता है। पहली लैंडिंग कॉल के समय इन्हें ऑटोमैटिकली ऑन होना चाहिए ।
- लिफ्ट के बंद रहने के पहले से तय समय के बाद रोशनी का लेवल कम करने के लिए सभी इंडिकेटर । पहले से तय समय 5 मिनट माना जा सकता है और इसे साइट पर प्रोग्राम किया जा सकता है।
- में कम माँग बार, लिफ्ट को पावर सेविंग मोड (स्लीप मोड) में जाना चाहिए ।

5.4 फायर मैन संचालन

टेक्निकल पैरामीटर फायरमैन की लिफ्ट को बताते हैं। यह हमेशा लेटेस्ट IS कोड के हिसाब से होना चाहिए, भले ही नीचे दी गई जानकारी लेटेस्ट बदले हुए IS कोड से अलग हो।

5.4.1 फायरमैन लिफ्ट के ऑपरेशन की ज़रूरतें:-

फायरमैन लिफ्ट में कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए:-

• इवैक्यूएशन फ्लोर (आमतौर पर मुख्य एंट्री फ्लोर) पर ग्रुप कंट्रोल में सभी लिफ्ट के लिए एक कॉमन दो-पोजीशन वाला ON/OFF फायरमैन स्विच। यह स्विच एक ऐसे बॉक्स में सुरक्षित होना चाहिए जिसके सामने कांच लगा हो और उस पर सही लेबल लगा हो जिससे पता चले कि यह फायरमैन स्विच है।

• लिफ्ट कार में ऑडियो और विज़ुअल सिग्नल।

5.4.2 ऑपरेशन का क्रम:- इवैक्यूएशन फ्लोर पर लौटना (फेज़ 1):-

• यह तब शुरू होगा जब इवैक्यूएशन फ्लोर पर स्विच को 'on' पोजीशन में किया जाएगा या ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम (अगर BMS द्वारा लगाया गया हो) से आग का सिग्नल मिलेगा। इस स्विच से कंट्रोल होने वाली लिफ्ट कार कॉल्स को कैंसिल कर देगी और लैंडिंग कॉल्स से अलग हो जाएगी; कोई भी लैंडिंग या कार कॉल रजिस्टर नहीं होगी। लिफ्ट कार में ऑडियो और विज़ुअल सिग्नल चालू हो जाएगा। गर्मी और धुएं से सेंसिटिव सभी डोर री-ओपनिंग डिवाइस काम करना बंद कर देंगे।

• अगर लिफ्ट इवैक्यूएशन फ्लोर की ओर जा रही है, तो वह उसी फ्लोर तक चलती रहेगी।

• अगर लिफ्ट इवैक्यूएशन फ्लोर से दूर जा रही है, तो वह दरवाज़ा खोले बिना सबसे पास वाले फ्लोर पर अपनी दिशा बदलेगी और बिना रुके इवैक्यूएशन फ्लोर पर वापस आएगी।

• अगर लिफ्ट इवैक्यूएशन फ्लोर के अलावा किसी दूसरे फ्लोर पर खड़ी है, तो वह दरवाज़े बंद करेगी और बिना रुके इवैक्यूएशन फ्लोर की ओर चलना शुरू कर देगी।

• इवैक्यूएशन फ्लोर पर पहुँचने पर, लिफ्ट दरवाज़े खोलकर पार्क हो जाएगी।

• इस यात्रा के बाद ऑडियो सिग्नल बंद हो जाता है।

फायरमैन सर्विस (फेज़ 2):-

• अगर फायरमैन स्विच ऑन है, तो फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 शुरू होता है।

• लिफ्ट लैंडिंग कॉल का जवाब नहीं देती है। गर्मी और धुएं से काम करने वाले सभी डोर री-ओपनिंग डिवाइस (दरवाज़ा दोबारा खोलने वाले उपकरण) काम करना बंद कर देंगे।

• जब कार कॉल बटन दबाया जाता है, तो दरवाज़े बंद होने लगते हैं। अगर दरवाज़े पूरी तरह बंद होने से पहले बटन छोड़ दिया जाता है, तो वे दोबारा खुल जाते हैं। कार कॉल तभी रजिस्टर होती है जब दरवाज़े पूरी तरह बंद

हो जाते हैं।

• कार कॉल रजिस्टर होने के बाद लिफ्ट कॉल वाली जगह पर जाने लगती है। अगर एक से ज़्यादा कार कॉल रजिस्टर होती हैं, तो सिर्फ़ सबसे पास वाली कॉल का जवाब दिया जाता है और बाकी कार कॉल पहले स्टॉप पर कैंसिल कर दी जाती हैं।

• फ़्लोर पर दरवाज़े, डोर ओपन बटन दबाकर खोले जाते हैं। अगर दरवाज़े पूरी तरह खुलने से पहले बटन छोड़ दिया जाता है, तो वे दोबारा बंद हो जाते हैं।

• लिफ्ट सामान्य सर्विस पर तब लौटती है जब वह इवैक्यूएशन फ़्लोर (निकासी मंज़िल) पर दरवाज़ा खुला रखकर खड़ी हो और फायरमैन स्विच ऑफ़ हो, या ऑटोमैटिक फ़ायर डिटेक्शन सिस्टम के रीसेट होने पर उससे मिलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल से ऐसा हो।

5.4.3 हर फ़्लोर पर लिफ्ट लैंडिंग दरवाज़ों के पास या उन पर 'FIRE LIFT' शब्द फ्लोरोसेंट रंग में साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए।

5.5 स्वचालित बचाव डिवाइस (प्राथमिक बचाव प्रणाली)

ARD की विशिष्टताएँ इस प्रकार होंगी:

- बिजली जाने या नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान सिंगल फेजिंग की स्थिति में ARD को लिफ्ट को सबसे पास वाले लैंडिंग पॉइंट तक ले जाना चाहिए।
- ARD को मेन कंट्रोलर में नॉर्मल पावर सप्लाई पर नज़र रखनी चाहिए और नॉर्मल पावर सप्लाई बंद होने के 10 सेकंड के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। इसे लिफ्ट को नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पर सबसे पास वाले फ्लोर तक लाना चाहिए। सबसे पास वाले फ्लोर तक जाते समय लिफ्ट ज़ोन का पता लगाएगी और रुक जाएगी। लिफ्ट के रुकने के बाद, यह अपने-आप दरवाज़े खोल देगी और दरवाज़े खुले रखकर पार्क हो जाएगी। ARD का ऑपरेशन पूरा होने के बाद, जैसे ही नॉर्मल पावर सप्लाई वापस आती है, लिफ्ट अपने-आप नॉर्मल ऑपरेशन मोड में आ जाती है।
- ARD ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए कार में ऑडियो/विज़ुअल अलार्म लगाया जाना चाहिए; साथ ही एक वॉइस सिंथेसाइज़र भी होना चाहिए जो यह घोषणा करे कि लिफ्ट इमरजेंसी पावर पर फ्लोर लेवल तक जा रही है और पहुँचने पर बाहर निकलना है।
- बैटरी की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि ARD को बिना रिचार्ज किए कम से कम तीन (03) बार चलाया जा सके।
- लिफ्ट कार या लिफ्ट कंट्रोलर में ARD की "लो बैटरी" (कम बैटरी) का संकेत देने के लिए विज़ुअल इंडिकेशन या वॉइस अनाउंसमेंट के साथ एक सही ऑडियो अलार्म होना चाहिए।

5.6 दो-चरण मैनुअल बचाव प्रणाली (द्वितीयक बचाव प्रणाली)

इलेक्ट्रिकल डायनामिक ब्रेकिंग रेस्क्यू (EDBR) स्विच : कंट्रोल पैनल में एक EDBR स्विच होना चाहिए जो मोटर के थ्री-फेज स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट-सर्किट को हार्डवायर करता है। यह

कॉन्फ़िगरेशन एक सेल्फ-रेगुलेटिंग मैग्नेटिक काउंटर-टॉर्क बनाता है जो ग्रेविटी से होने वाली यात्रा को 0.3 m/s से कम की सुरक्षित स्पीड तक सख्ती से लिमिट करता है।

मैनुअल कंट्रोल्ड ब्रेक रिलीज़ मैकेनिज़्म : गियरलेस मशीन में इंडिपेंडेंट ब्रेक को मैनुअली खोलने के लिए एक मैकेनिकल डेड-मैन ब्रेक रिलीज़ लीवर या हाइड्रोलिक हैंड पंप होना चाहिए। टेक्नीशियन को ब्रेक को पल्स करने के लिए एक्टिवेटेड EDBR स्विच के साथ इस मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लिफ्ट कार सुरक्षित रूप से और धीरे-धीरे सबसे पास के लैंडिंग लेवल तक जा सके।

आपातकालीन हाथ घुमाने वाला उपकरण

मशीन रूम वाली लिफ्ट के लिए, जब भी ज़रूरत हो, लिफ्ट मशीनों की इमरजेंसी क्रैंकिंग के लिए एक रिमूवेबल हैंड वाइंडिंग डिवाइस दिया जाएगा। यह मशीन रूम के अंदर होगा और मशीन पर हैंड वाइंडिंग डिवाइस लगाते समय लिफ्ट मशीन की पावर काटने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दिया जाएगा।

5.7 भूकंपीय सेंसर:

भूकंप संचालन नियंत्रण प्रणाली साथ प्राथमिक लहर सेंसर के लिए सभी लिफ्टों की ज़रूरत है। यह बिल्डिंग के हर अलग ज़ोन में (एक्सपेंशन जॉइंट से अलग) एक कंट्रोल डिवाइस लगाया जा सकता है, जिसे उस खास ज़ोन की सभी लिफ्ट यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा ।

ऐसी वेव का पता चलने और प्रोग्राम की गई लिमिट से ज़्यादा होने का पता चलने पर, इक्विपमेंट कंट्रोल सिस्टम को कारों को सबसे पास की मंज़िल पर लाने और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए तुरंत दरवाज़े खोलने का निर्देश देगा। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को तीनों एक्सिस पर एक्सेलरेशन को सेंस और मापना चाहिए ।

सिग्नल क्लियर होने और रखरखाव स्टाफ के लिफ्ट को इंस्पेक्ट करने के बाद ही लिफ्ट को मैनुअली रीसेट किया जाएगा।

सिस्टम को एक सिग्नल भेजेगा ।

एक " **काउंटरवेट डिरेलमेंट** " उपकरण या " **विस्थापन स्विच** " स्थापित किया जाएगा, जिसे भूकंपीय हलचलों के कारण गाइडरेल के बीच काउंटरवेट खंड के मूल स्थान से खिसक जाने की स्थिति में सक्रिय किया जाना है।

मामले में ऑटोमैटिक रीसेट मुमकिन नहीं होगा और लिफ्ट तब तक चालू नहीं होगी जब तक काउंटरवेट खंड और गाइडरेल की अच्छी तरह से जांच नहीं हो जाती और रखरखाव वाले लोग खराबी ठीक नहीं कर देते।

6.0 शामिल मानक विशेषताएँ

6.1 स्वचालित बाईपास

सभी लिफ्ट के लिए कार के ऊपर या कार केज के नीचे लोड वेटिंग डिवाइस दिए जाएंगे। जब भी लोड लिफ्ट की कैपेसिटी के 80% से ज़्यादा हो, तो लिफ्ट सभी लैंडिंग कॉल को इग्नोर कर देगी। और सिर्फ़ कार कॉल का जवाब दें।

6.2 ओवरलोड उपकरण

जब कार में लोड उसकी तय क्षमता (रेटेड कैपेसिटी) से ज़्यादा हो जाए, तो लोड मापने वाला डिवाइस काम करना शुरू कर देगा। इस डिवाइस के काम करने पर बज़र की आवाज़ आएगी और 'ओवरलोड' के सिग्नल चमकने लगेंगे। साथ ही, कार के दरवाज़ों को बंद होने से रोक दिया जाएगा। जब कार से अतिरिक्त लोड हटा दिया जाएगा, तो बज़र अलार्म अपने-आप बंद हो जाएगा और कार सामान्य रूप से काम करने लगेगी।

6.3 स्वचालित स्व-समतलीकरण

सभी लिफ्ट में ऑटोमैटिक सेल्फ़-लेवलिंग (रुकने और लेवलिंग की सटीकता) फ़ीचर होना चाहिए, जो लिफ्ट कार को +5mm के दायरे में लेवल पर लाए।

6.4 खतरे की घंटी घंटी/बजर

एक इमरजेंसी अलार्म बेल/बज़र, जिसमें वायरिंग भी शामिल है, दी जाएगी और कार के ऑपरेटिंग पैनल में ठीक से मार्क किए गए पुश बटन से कनेक्ट की जाएगी। अलार्म बेल ग्राउंड फ़्लोर पर, बाहर फ़्लोर लैंडिंग पर और होइस्ट वे के पास या बैंक की मर्ज़ी के अनुसार लगाई जाएगी।

अलार्म की आवाज़ ग्राउंड फ़्लोर लैंडिंग से कम से कम 50 मीटर दूर से सुनाई देने वाली सायरन जैसी होनी चाहिए, जो रिचार्जेबल निकेल/कैडमियम रखरखाव फ़्री बैटरी से चलेगी और जब कार में अलार्म बटन थोड़ी देर के लिए दबाया जाएगा तो चेतावनी सायरन बजाएगी।

6.5 उपद्रव विरोधी

एंटी-न्यूसेंस फ़ीचर: अगर कार में वज़न के हिसाब से कार लोडिंग, रजिस्टर्ड कार कॉल्स की संख्या के हिसाब से नहीं है, तो सिस्टम कार कॉल्स कैंसिल कर देता है। इस फ़ीचर को एक्टिवेट करने के लिए

लोड वेटिंग या डोर प्रोटेक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले सिस्टम ठीक हैं।

6.6 सुरक्षित अवतरण विशेषता

अगर कोई कार किसी वजह से दो मंज़िलों के बीच रुक गई है इक्विपमेंट में खराबी होने पर, कंट्रोलर कारण चेक करता है, और अगर कार को ले जाना सेफ़ माना जाता है, तो कार कम स्पीड पर सबसे पास वाली मंज़िल पर जाएगी और दरवाज़े खुल जाएंगे।

6.7 स्वचालित दरवाजा खुला समय समायोजन

समय दरवाजे हैं खुला इच्छा खुद ब खुद होना समायोजित निर्भर करता है ऊपर चाहे रुकना था हॉल कॉल या कार कॉल से कॉल किया गया।

6.8 अगला अवतरण

अगर डेस्टिनेशन फ्लोर पर लिफ्ट के दरवाज़े पूरी तरह से नहीं खुलते हैं , तो दरवाज़े बंद हो जाएंगे और लिफ्ट अपने आप अगले डेस्टिनेशन पर चली जाएगी।

6.9 स्वतंत्र सेवा

इस ऑपरेशन के तहत कार को ग्रुप कंट्रोल ऑपरेशन से अलग इस्तेमाल के लिए हटा लिया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट करना। चीज़ें, भार उठाते बड़ी संख्या का लोग बीच में फर्श या रखरखाव और पर ऐसा टाइम्स सिर्फ़ कार कॉल का जवाब देती है। लिफ़्ट एक फ़्लोर पर खड़ी रहेगी और उसके दरवाज़े खुले रहेंगे, जब तक कोई फ़्लोर नहीं चुना जाता। और दरवाज़ा बंद करने का बटन तब तक दबाए रखें जब तक लिफ्ट चलना शुरू न कर दे। इस सर्विस के लिए स्विच कार ऑपरेटिंग पैनल में लॉक होने वाले सर्विस बॉक्स के अंदर होगा ।

6.10 कार कॉल बंद करना

यह फ़ंक्शन अनुमति देता है यात्री को रद्द करना का चयन ए ज़मीन कौन है अकस्मात दबाया द्वारा बटन को फिर से दबाना।

7.0 कार संलग्नक

7.1 कार चौखटा

कार का फ्रेम/स्लिंग स्टील एंगल या चैनल खंड से बना होगा और लिफ्ट कार से अलग होगा। स्लिंग के नीचे लगा सेफ्टी गियर धीरे-धीरे लगाया जाने वाला होना चाहिए, जिसे कार को उठाकर निकाला जा सके। यह सेफ्टी गियर मोटर रूम/होइस्ट वे के ऊपर लगे ओवर स्पीड गवर्नर से चलेगा। गवर्नर टेंशन वेट में टूटी रस्सी/बेल्ट का पता लगाने के लिए एक बिल्ट-इन स्विच लगा होगा।

शीट स्टील की मोटाई कार के लिए 1.5 mm और फ़्लोर के लिए 1.5 mm होगा यह 1.5 होगा मिमी. जोड़ों में सभी सतहों कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। सभी फिक्सिंग हिडन सीक्रेट टाइप की होनी चाहिए (जॉइंट्स पर कवर स्ट्रिप्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं)।

7.2 कार एनक्लोजर समाप्ति

कार के कवर स्टेनलेस स्टील (SS 304) हेयरलाइन फिनिश या/और स्टेनलेस स्टील (SS 304) स्क्रैच रेसिस्टेंट फिनिश या/और पाउडर कोटेड फिनिश या/और जैसा बताया गया है और जैसा बैंक द्वारा शेड्यूल/टेक्निकल पैरामीटर में बताया गया है, वैसा होना चाहिए।

7.3 कार केबिन निर्माण

एन्क्लोजर की कम से कम ऊंचाई 2700mm (फॉल्स सीलिंग से लिफ्ट फ्लोर तक) होगी। लिफ्ट कार एन्क्लोजर की फ्लोरिंग संविदाकर्ता ग्रेनाइट / मार्बल पत्थर से करेगा (पैसेंजर कैपेसिटी का पूरा लोड झेलने के लिए सही मोटाई के साथ)। फ्लोरिंग और सीलिंग का रंग , टेक्सचर, डिज़ाइन बैंक से अप्रूव होगा। एन्क्लोजर में SS/MS सीलिंग होगी जिसमें LED क्लस्टर लाइट्स (लाइट इंटेंसिटी 100 lux से ज़्यादा) (एकल नहीं बल्कि कम से कम दो पैरेलल में) या सीलिंग का स्टैंडर्ड डिज़ाइन होगा जैसा बैंक से अप्रूव हुआ हो। एन्क्लोजर में फिक्स्चर और फिटिंग्स होंगी, जिसमें टेक्निकल पैरामीटर्स में बताए गए कार वेंटिलेशन का प्रोविजन भी शामिल होगा।

7.4 केबिन पंखा/ब्लोअर

कम से कम दो नॉइज़लेस प्रेशर फैन या ब्लोअर (हैवी ड्यूटी) दिए जाएंगे। ग्रिल कार के इंटीरियर से मैच करती होनी चाहिए। कार में एयरफ्लो ऐसा होना चाहिए कि केबिन के सभी हिस्सों तक सही मात्रा में एयरफ्लो पहुंचे। बिजली जाने पर कम से कम 15 मिनट तक ब्लोअर लगातार चलता रहे, इसके लिए एक ब्लोअर को रिचार्जेबल UPS से कनेक्ट किया जाना चाहिए।

7.5 आपातकाल लाइट

सामान्य लाइटिंग के अलावा, ऑटोमैटिक रिचार्जेबल इमरजेंसी सप्लाई वाली इमरजेंसी लाइटें भी होंगी, जो 1 घंटे के लिए कम से कम 20 lux की लाइटिंग इंटेंसिटी पक्का कर सकें ।

7.6 बचाव जूते

IS 17900 में संबंधित कोड की पुष्टि करने वाले विनिर्माण स्टैंडर्ड के रूप में।

7.7 **रिमोट मॉनिटरिंग** : लिफ्ट की परफॉर्मेंस और खराबी के बारे में रिमोट मॉनिटरिंग का इंतज़ाम। रिमोट मॉनिटरिंग लेटेस्ट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्विस देती है। ज़रूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिफ्ट में ही होने चाहिए।

8.0 कार सिग्नल और संचालन उपकरण :

8.1 के लिए कारें

एक फ्लश टाइप स्टेनलेस इस्पात "कार ऑपरेटिंग पैनल" साथ अगले उपकरणों करेगा होना फिट:

- किनारा का पुकारना बटन संगत को लैंडिंग परोसा गया. स्पर्शनीय ब्रेल नेतृत्व किया प्रकाशित बटन.
- धकेलना बटन चाहिए होना तानवाला अंतर को सीओपी और कार पैनलों खत्म करना
- प्रत्येक धकेलना का कोई सीओपी बटन करेगा उपलब्ध करवाना ए कोमल सुनाई देने योग्य संकेत को पुष्टि करना संचालन।
- खतरे की घंटी बटन करेगा होना प्रदान किया साथ ए पीला चित्रिय आरेख को संकेत देना खतरे की घंटी बटन प्रावधान।
- पंखा /ब्लोअर बदलना।
- दरवाजा खुला बटन।
- दरवाजा बंद करना बटन।
- मेन फ़्लोर / एग्ज़िट फ़्लोर पुश बटन दूसरे फ़्लोर बटन से 5mm बाहर निकला होगा और हरे रंग का होगा और उसमें हरी रोशनी होगी।
- "ऊपर" और "नीचे" दिशा संकेतक यह दर्शाता है यात्रा दिशा
- चाबी संचालित बदलना के लिए "परिचारक" और "स्वचालित" संचालन।
- प्रावधान में कार को होना जुड़े हुए साथ देहात प्रणाली, आग नियंत्रण कमरा, सीसीटीवी, इंटरकॉम आंतरिक और बीएमएस कंट्रोल रूम.
- अधिभार पैनल साथ में साथ ऑडियो /तस्वीर संकेत.
- पर्याप्त अंतरिक्ष प्रावधान के लिए पहुँच नियंत्रण कार्ड पाठक .

अगर लिफ़्ट का लोड उसकी पूरी क्षमता (कॉन्ट्रैक्ट लोड) के 80% तक पहुँच जाता है, तो लैंडिंग कॉल्स को बाय-पास करने के लिए एक लोड-वेटिंग डिवाइस लगाया जाना चाहिए।

ब्लोअर स्विच एक टैक्टाइल पुश टाइप स्विच होगा। ब्लोअर को वाइब्रेशन आइसोलेटर से कार और स्लिंग से अलग किया जाएगा। "अप" और "डाउन" रिवर्सल बटन और की से चलने वाला निरीक्षण स्विच लिफ्ट कार के ऊपर एक रखरखाव कंट्रोल डिवाइस पर दिया जाएगा।

कार के "अटेंडेंट" ऑपरेशन के मामले में, कार स्टेशन पर इंडिकेटर दिया जाएगा ताकि अटेंडेंट को पता चल सके कि कॉल किस लैंडिंग पर रजिस्टर हुई है, ताकि वह उस कॉल का जवाब दे सके। लिफ्ट अटेंडेंट को लिफ्ट कार के अंदर मेन कंट्रोल पैनल पर खास कॉल बटन या इंडिकेटर लाइट की रोशनी देखकर पता चल जाता है कि कॉल किस फ्लोर से आई है।

अगर एकमात्र नियंत्रण का लिफ्ट है को बनाए रखा जाना पर कार स्टेशन, एक कार वरीयता स्विच करेगा होना सभी लैंडिंग कॉल्स को इग्नोर करने का प्रावधान है।

कार ऑपरेटिंग पैनल में कार कॉल रजिस्टर करने का तरीका भी शामिल होगा, जब लिफ्ट इंडिपेंडेंट सर्विस पर स्विच हो या फायरमैन के कंट्रोल में हो। ये कार कॉल कंट्रोल आमतौर पर एक्टिवेट नहीं होंगे और एक लॉक पैनल के पीछे छिपे होंगे।

8.2 हर पैसेंजर कार में LED/LCD रोशनी वाला एक LED बेस्ड डिजिटल कार पोज़िशन इंडिकेटर दिया जाएगा, जो यह बताएगा कि कार किस लैंडिंग पर रुकी है या गुज़र रही है।

8.3 कार के एनक्लोजर में इंटरनल टेलीफोन लगाने का इंतज़ाम होगा। कार में मेन कंट्रोल रूम / फायर कंट्रोल रूम से बातचीत करने का इंतज़ाम होगा।

8.4 **संचार प्रणाली** :

a) सेल्फ-डायलिंग (प्रेस एंड स्पीक टाइप) थ्री-वे कम्युनिकेशन सिस्टम कार से तय जगहों पर या विनिर्माता स्टैंडर्ड के अनुसार एक्टिवेट होता है।
b) कार में डायल करने की सुविधा वाला एक EPABX टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट दें; इसके लिए वायरिंग लिफ्ट फर्म हर लिफ्ट कार से लिफ्ट मशीन रूम तक करेगी, जहाँ से इसे बैंक द्वारा पहले से इंस्टॉल किए गए मौजूदा EPABX सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वेंडर एक अतिरिक्त इंटरकॉम का इंतज़ाम रखने के लिए वायरिंग का एक और सेट भी देगा ।

8.5 **आवाज़ सिंथेसाइज़र**

यह करेगा होना प्रदान किया और आवश्यकताओं को होना का डिजिटल प्रकार काबिल का साइट प्रोग्रामिंग.

अलावा दे रही है एक विकल्प का पृष्ठभूमि संगीत (साथ विकल्प पर साइट को चुनना या अस्वीकार करना) यह चाहिए होना बैंक की पसंद के हिसाब से कम से कम तीन भाषाओं में ये मैसेज देने में सक्षम:

- आगमन पर ज़मीन और इसका पद का नाम।
- लिफ्ट, दरवाजा खुला बटन
- एआरडी संचालन

अंतिम संदेशों सूची और शब्दों को होना अंतिम रूप दिया बैंक.

8.7 कार में ऑफिस बिल्डिंग के इंटरकॉम के लिए वायरिंग होनी चाहिए। यह इंटरकॉम ऑफिस के EPABX सिस्टम से कनेक्ट होगा।

9.0 कार और लैंडिंग दरवाजे

9.1 दरवाजा ऑपरेटर

डोर ऑपरेटर पॉजिटिव एक्टिंग वाला होगा और दरवाज़े से मज़बूती से जुड़ी एक AC मोटर से चलेगा और एक VVVF यूनिट से कंट्रोल होगा। ऑपरेटर एक ही समय में कार और होइस्ट वे दरवाज़े खोलेगा और हर दरवाज़े पर दरवाज़े को पूरी तरह खुला या बंद रखेगा । डोर ऑपरेटर अटेंडेंट/ऑटोमैटिक ऑपरेशन के लिए सही होंगे। दरवाज़े का ऑपरेशन यह पक्का करेगा कि दरवाज़ा बिना किसी रुकावट के आसानी से खुले। दरवाज़े का झटका और बिना किसी धमाके की आवाज़ के बंद होना।

दरवाज़े के लिए एक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट दिया जाएगा जो कार को लैंडिंग से दूर जाने से रोकेगा, जब तक कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद न हो।

9.2 कार और दरवाजा सुरक्षा:

पैसेंजर के आने-जाने के लिए दरवाज़ों के बंद होने की रफ़्तार को रेगुलेट करने के लिए एक मल्टीपल बीम फ़ुल हाइट इंफ़्रारेड इलेक्ट्रॉनिक डोर डिटेक्टर दिया जाएगा। जब कोई व्यक्ति कार में अंदर आ रहा हो और दरवाज़े बंद हो रहे हों, तो डिटेक्टर उसे सेंस करेगा और दरवाज़े को उल्टा करके अंदर आने देगा।

9.3 कार और लैंडिंग दरवाजे:

लिफ्ट के लिए कार और लैंडिंग एंट्रेंस को ऑटोमैटिक पावर से चलने वाले, बीच में खुलने वाले हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग दरवाज़ों से सुरक्षित किया जाएगा, जिनका साइज़ और फिनिश बैंक द्वारा मंज़ूर किए गए अनुसार होगा। दरवाज़ा पैनलों चाहिए होना का अकेला त्वचा निर्माण और चादर धातु करेगा - न्यूनतम मोटाई 1.2 मिमी।

दरवाज़े के पैनल का अगला हिस्सा आर्किट्रेव और/या दरवाज़े के फ्रेम के हिसाब से एक फिक्स्ड रनिंग क्लीयरेंस बनाए रखेगा।

हर लैंडिंग दरवाज़े में एक इमरजेंसी लैंडिंग दरवाज़ा अनलॉक करने वाला डिवाइस लगा होगा। जब कोई ऑथराइज़्ड व्यक्ति अनलॉकिंग ट्रायंगल में फिट होने वाली चाबी की मदद से इसे ऑपरेट करता है, तो बचाव के मकसद से लिफ्ट कार की पोज़िशन चाहे जो भी हो, लैंडिंग दरवाज़ा अनलॉक हो जाएगा। जब कोई "अनलॉकिंग" एक्शन नहीं होता है, तो चाबी सिर्फ़ लॉक की हुई पोज़िशन में ही रह पाएगी।

एक्सीडेंट का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि अगर कार फ्लोर लेवल से दूर रुकती है, तो निचले फ्लोर के लैंडिंग डोर लॉक खोलने की कोशिश की जाए। घबराहट में की गई इस कोशिश से गलती से लिफ्ट पिट में गिरने का खतरा हो सकता है। यह पक्का करने के लिए कि फंसे हुए यात्री ऊपर बताई गई कोशिश न करें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल लैच को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वह कार में बैठे यात्री के लिए पहुंच से बाहर हो या दिखाई न दे।

हर लैंडिंग दरवाज़े में लॉक, हेडर, सिल, फ्रेम, रिम, कवर प्लेट के साथ हैंगर सपोर्ट वगैरह होने चाहिए। तैयार काम मज़बूत, सख़्त और दिखने में साफ़-सुथरा होना चाहिए। सादी सतह चिकनी और टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मोल्डेड सतहें साफ़, सीधी और सही होनी चाहिए। फास्टनिंग को मटीरियल के फ़ेशिया साइड से छिपाया जाना चाहिए।

IS 17900 के अनुसार, लैंडिंग दरवाज़ों को **इंटीग्रिटी (E) के लिए कम से कम 2 घंटे की फायर रेजिस्टेंस रेटिंग देनी होगी।** संविदाकर्ता को हैंडओवर के समय वैलिड टाइप-टेस्ट सर्टिफिकेट जमा करने होंगे।

10.0 लैडिंग सिग्नल और संचालन को नियंत्रित करता है

10.1 दोहरा / मानक / पारंपरिक नियंत्रण

टर्मिनल लैंडिंग

- LED इल्यूमिनेटेड टाइप सिंगल पुश बटन, हेयरलाइन फिनिश स्टेनलेस स्टील फेशिया प्लेट में ट्रैवल इंडिकेशन एरो के साथ।
- 16 सेगमेंट LED आधारित डिजिटल कार पोजीशन इंडिकेटर, हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील फेसिया प्लेट में या जैसा खंड IX में बताया गया है।
- डायरेक्शन और पोजीशन इंडिकेटर की ज़रूरत एक-दूसरे से अलग है और दोनों डिस्प्ले को

एक साथ काम करना होगा ।

मध्यवर्ती लैंडिंग

- दो नेतृत्व किया प्रकाशित प्रकार धकेलना बटन साथ यात्रा संकेत तीर में सिर के मध्य खत्म करना स्टेनलेस स्टील फ़ेशिया प्लेट.
- 16 खंडों नेतृत्व किया आधारित डिजिटल कार पद सूचक में सिर के मध्य स्टेनलेस इस्पात पट्टी या जै स। कि उपबंध IX में निर्दिष्ट है ।
- डायरेक्शन और पोजीशन इंडिकेटर की ज़रूरत एक-दूसरे से अलग है और दोनों डिस्प्ले को एक साथ काम करना होगा ।

हॉल लालटेन और गाँग

अगर खंड IX में हॉल लैंटर्न और गोंग्स को शामिल करने के लिए कहा गया है, तो दिया जाने वाला गाँग होना चाहिए एक आघात के लिए ऊपर की दिशा और दो स्ट्रोक नीचे की दिशा के लिए; हॉल लालटेन चाहिए लेना ऊपर और नीचे दिशा का रूप।

संख्या का राइज़र इच्छा होना अनुमत द्वारा बैंक .

सतह पर लगे फेस प्लेट्स अंतिम मंजूरी मिलने पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी फेसप्लेट डिज़ाइन बैंक द्वारा लिया जाएगा। कवर प्लेट्स को सेमी सीक्रेट फिक्सिंग जैसे कि रिसेस्ड कैप्टिव ग्रब या सॉकेट हेडेड स्क्रू से सुरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन दिखने वाले स्क्रू हेड से नहीं।

विकल्प का फेसप्लेट्स / बटन / संकेतक / हॉल लालटेन को होना प्रस्तुत द्वारा लिफ्ट संविदाकर्ता।

इंडिकेटर्स को 140 डिग्री का एंगल ऑफ़ व्यू देना चाहिए ।

कार आगमन अलार्म

अगर खंड IX में कार अराइवल चाइम को शामिल करने के लिए बताया गया है; तो दी जाने वाली चाइम अप-डायरेक्शन के लिए एक स्ट्रोक और डाउन-डायरेक्शन के लिए दो स्ट्रोक की होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम साइट पर एडजस्ट किया जा सकेगा; बोली लगाने वालों को कार अराइवल चाइम की जगह बतानी होगी।

10.2 **लिफ्ट पहचान सभी फ्लोर पर प्लेट्स/लिफ्ट आइडेंटिफायर:**

लिफ्ट संविदाकर्ता को हर लिफ्ट के लिए नीचे दी गई जगहों पर लिफ्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे "LIFT A" देना होगा:-

- पर प्रत्येक लिफ्ट नियंत्रण पैनल
- प्रत्येक कार शीर्ष नियंत्रण स्टेशन
- प्रत्येक मशीन
- प्रत्येक सुरक्षा गवर्नर
- प्रत्येक गड्ढा बदलना

ऊपर बताई गई पहली दो चीज़ों को छोड़कर, इन्हें पेंट किया जा सकता है, जिन्हें बैंक से मंज़ूर हर चीज़ से मिलते-जुलते मटीरियल पर खुदवाना होगा।

11.0 **शाफ्ट और गड्ढा**

11.1 **लैंडिंग पट्टी**

पट्टी पैनल (साइट की आवश्यकता के अनुसार) न्यूनतम 1.6 मिमी जिंक की परत चढ़ा हुआ हल्का चादर इस्पात करेगा होना फिट बीच हैडर का हर एंट्रेंस और ऊपर के फ़्लोर की सिल।

इन पट्टी प्लेटें अवश्य होना सख्ती से ब्रेस्ड और कोई सामग्री / माउंटिंग इस्तेमाल किया गया करेगा होना का इस्पात।

भरा होना चाहिए एंट्रेंस की चौड़ाई प्लस दोनों तरफ कम से कम 150mm और सिर्फ़ काउंटर सनक्ड सतह पर स्क्रू स्वीकार किए जाएंगे।

पट्टी पैनलों डाक फिटिंग पास होना को होना साइट चित्रित को मिलान सभी अन्य साइट इस्पात काम।

IS17900 के अनुसार कार डोर लॉक भी दिया जाएगा ।

11.2 **मार्गदर्शक रेल :**

IS 17900 में संबंधित कोड की पुष्टि करने वाले विनिर्माण स्टैंडर्ड के रूप में

11.3 **बफ़र**

इस प्रोजेक्ट के लिए ऑयल बफ़र्स दिए जाने चाहिए, जिनमें IS 17900 के अनुसार प्लंजर रिटर्न को वेरिफ़ाई करने के लिए एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी डिवाइस लगा हो।

11.4 **सिल्स**

जो सिल्स दी जानी हैं, वे एल्यूमीनियम की बनी होनी चाहिए , और उनका सेल्फ-सपोर्टिंग सिल MS एंगल सही साइज़ का होना चाहिए।

11.5 **काउँटर वज़न**

काउंटर वेट कास्ट आयरन का बना होगा, जिसे 2 टाई रॉड का इस्तेमाल करके मज़बूती से फिक्स किया जाएगा और इसमें स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम होगा जो मज़बूत गाइड के बीच चलेगा और बफ़र इम्पैक्ट भी झेल सकेगा। काउंटर वेट का वज़न IS स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। हॉइस्ट वे के नीचे ज़रूरी लंबाई का सही मेटैलिक काउंटर वेट गार्ड दिया जाएगा।

11.6 **चित्रकारी**

सभी लिफ्ट मेटल के काम पर फैक्ट्री में जंग रोकने वाले पेंट का एक शॉप कोट लगाया जाएगा और साइट पर फिनिशिंग कोट से पेंट किया जाएगा। मनचाहे शेड के हिसाब से फैक्ट्री फिनिश्ड पाउडर कोटेड पेंट ठीक रहेगा। इक्विपमेंट को लगाने के दौरान हुए किसी भी नुकसान को रिपेयर करके उसे ज़रूरी फिनिश में वापस लाया जाएगा।

12.0 **सुरक्षा उपकरण**

IS 17900 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज़रूरी सभी सेफ्टी डिवाइस दिए जाएंगे, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

12.1 टर्मिनल और अंतिम सीमाएं

टर्मिनल लैंडिंग पर कार को ऑटोमैटिक रूप से धीमा करने और रोकने के लिए टर्मिनल लिमिट स्विच दिए जाएंगे, और अगर कार टर्मिनल लैंडिंग से आगे जाती है तो ऑटोमैटिक रूप से पावर काटने के लिए फाइनल लिमिट स्विच दिए जाएंगे।

12.2 इंटरलॉकिंग

प्रत्येक होइस्ट वे गेट दिया जाएगा एक स्वीकृत इंटरलॉक और क्या जब तक सभी गेट बंद और लॉक न हों, तब तक कार को लैंडिंग से दूर जाने से रोकेगा। इंटरलॉक गेट को खुलने से भी रोकेगा, सिवाय लैंडिंग के जहां कार रुक रही है या रुक चुकी है। सही इंटरलॉकिंग होना प्रदान किया इसलिए वह कार करेगा नहीं अगर हिलो अवतरण दरवाजे हैं यहां तक की आंशिक रूप से खुला और भी लिफ्ट ओवरलोड है।

12.3 सेल्फ लेवलिंग

लिफ्टों करेगा होना प्रदान किया साथ स्व - समतलीकरण विशेषताएँ का ±5मिमी शुद्धता।

12.4 आरोही कार ऊपर रफ़्तार सुरक्षा

लिफ्टों करेगा होना प्रदान किया साथ एक आरोही कार ऊपर IS स्टैंडर्ड 17900 के हिसाब से स्पीड प्रोटेक्शन डिवाइस। इस डिवाइस में एक स्पीड मॉनिटरिंग और कम करने वाला एलिमेंट होगा जो रेटेड स्पीड के कम से कम 115% और रेटेड स्पीड के ज़्यादा से ज़्यादा 125% पर ऊपर चढ़ती कार की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट का पता लगाएगा। इससे कार रुक जाएगी, या कम से कम उसकी स्पीड उस स्पीड तक कम हो जाएगी जिसके लिए काउंटरवेट बफर डिज़ाइन किया गया है।

उपकरण करेगा नहीं अनुमति दें ए बाधा का खाली कार में अधिकता का 1 ग्राम (9.8 मीटर/सेकंड ^{2}) दौरान रोक चरण। डिवाइस कार या काउंटरवेट या रस्सी सिस्टम या ट्रैक्शन शीव पर काम करेगा ।

डिवाइस को लिफ्ट मोटर की पावर सप्लाई बंद करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्विच चलाना होगा। यह सेफ्टी स्विच ऑटो रीसेटिंग टाइप का नहीं होना चाहिए।

12.5 अनपेक्षित कार मूवमेंट संरक्षण (यूसीएमपी)

लिफ्ट में IS स्टैंडर्ड 17900 के हिसाब से UCMP प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यह लिफ्ट कार के लैंडिंग ज़ोन से दूर जाने पर – चाहे वह किसी भी दिशा में हो – अपने आप पता लगा लेगा, जब लैंडिंग और कार के दरवाज़े खुले हों, और मेन ड्राइव मशीन, गियरबॉक्स या ट्रैक्शन ब्रेक में कोई खराबी आ गई हो। सिस्टम को कार के अनलॉकिंग ज़ोन से निकलने से पहले मूवमेंट का पता लगाना चाहिए और गाड़ी को कोड-डिफाइंड पैरामीटर के अंदर सुरक्षित रूप से रोकना चाहिए ताकि कुचलने या फिसलने का खतरा खत्म हो सके।

12.6 **गड्ढा सीढ़ी और बदलना**

लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर को बॉटम लैंडिंग और पिट फ़्लोर के बीच फिक्स्ड पिट लैडर लगाने होंगे। ये गिरने के सभी खतरों से सुरक्षित होंगे।

दो पिट स्टॉप स्विच दिए जाएंगे, एक शाफ्ट में नीचे लैंडिंग लेवल पर और दूसरा पिट पर, जो, में कब STOP स्थिति, किसी भी को रोकेगी गतिविधि लिफ्ट कार सहित निरीक्षण ऑपरेशन के दौरान मूवमेंट, जब तक दोनों स्विच रन पोजीशन में सेट न हो जाएं। स्विच का हेड मशरूम रेड होना चाहिए। दबाने पर यह लॉक हो जाएगा और मैनुअली रीसेट हो जाएगा।

पहला स्टॉप स्विच लैंडिंग दरवाज़ा खोलने पर नीचे की लैंडिंग से और दूसरा स्विच पिट फ़्लोर से एक्सेस किया जा सकेगा।

12.7 **सुरक्षा सामान**

हर मशीन रूम / लिफ्ट में ये सेफ्टी आइटम दिए जाएंगे; संविदाकर्ता को इन आइटम का खर्च अपने बताए गए दर में देना होगा, इस पर कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

मशीन रूम सामान:

- पहला सहायता बॉक्स
- खतरा प्लेटें
- रबड़ मैट में सामने का प्रत्येक नियंत्रक
- बिजली झटका इलाज चार्ट
- कोई अन्य सुरक्षा वस्तु वह मई होना आवश्यक द्वारा अधिकारियों.

लिफ्ट कार सामान:

- SS फेस प्लेट पर लिखे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों के साथ क्या करें और क्या न करें कार में दिखाया गया है।
- संबंधित अधिकारियों से जारी वैलिड लिफ्ट लाइसेंस की कॉपी सभी लिफ्ट में ठीक से फ्रेम करके दिखाई जानी चाहिए।

13.0 विद्युतीय उपकरण और वायरिंग

13.1 **दायरा**

फर्म के दायरे में कंट्रोल वायरिंग के साथ-साथ दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और एक्सेसरीज़ सहित सभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। साथ ही, IS के अनुसार स्विच बोर्ड और बल्कहेड लाइटिंग और दूसरे पावर पॉइंट प्रोविज़न के साथ सभी ज़रूरी होइस्ट वे वायरिंग भी फर्म के दायरे में होगी। हालाँकि, हर लिफ्ट के लिए 415 V, 3 फेज़, 50 Hz, 4 वायर के साथ डबल अर्थिंग प्रोविज़न पर पावर सप्लाई बैंक द्वारा मशीन रूम में दी जाएगी ।

13.2 **वायरिंग**

सभी तार और केबल पॉलीविनाइल क्लोराइड बेस इंसुलेशन से इंसुलेटेड होंगे, जो आग से बचाने वाले, आर्मर्ड और 1100-वोल्ट सर्विस के लिए रेटेड होंगे और सूखी और गीली जगहों पर इस्तेमाल के लिए सही होंगे। तार किस तरह के हैं? और केबल डिलीवरी से पहले बैंक की मंज़ूरी के अधीन होंगे।

शाफ्ट में ज़रूरी परमानेंट वायरिंग और बल्कहेड लाइट इस निविदा का हिस्सा होंगे। लिफ्ट रूम तक शाफ्ट में हर 5 मीटर पर सप्लाई और इंस्टॉलेशन लाइट और 5A सॉकेट।

सभी कंट्रोल वायरिंग कॉपर की होनी चाहिए। सभी बिजली के तार और केबल कम धुआं निकालने वाले और हैलोजन फ्री (LSHF) टाइप के होने चाहिए।

कंट्रोल वायरिंग को केबल स्लीव्स में साफ़-साफ़ बिछाया जाएगा और सभी टर्मिनल और केबल पर पहचान के लिए लेबल या निशान लगाए जाएंगे।

कंड्यूट से सुरक्षित रखा जाएगा ।

लाइटिंग कंट्रोल और सिग्नल सर्किट के लिए एक ट्रेलिंग केबल की इजाज़त है, अगर इन ट्रेलिंग केबल के सभी कंडक्टर इस केबल के किसी एक कंडक्टर से गुज़रने वाले मैक्सिमम वोल्टेज के लिए इंसुलेटेड

हों।

पीछे वाली केबल की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि कार के हिलने से उस पर कोई खिंचाव न पड़े। पहचान के लिए सभी केबल पर मेटैलिक/प्लास्टिक टैग ठीक से लगे होने चाहिए।

सर्विस के लिए ट्रैवलिंग केबल फ्लैट टाइप की होंगी, जिनमें आग और नमी से बचाने वाली खूबियां होंगी। ये कार के ऊपर लगे जंक्शन बॉक्स से लेकर शाफ्ट बेयर के ट्रैवल के बीच में लगे जंक्शन बॉक्स तक जाएंगी। इन जंक्शन बॉक्स से अलग-अलग जगहों पर कंडक्टर लगाए जाएंगे।

वे करेगा पास होना ए आग और नमी प्रतिरोधी आउटर कवर और रोकना ए स्टील का समर्थन स्ट्रैंड। अलग-अलग कंडक्टर में खिंचाव को कम करने के लिए ट्रैवलिंग केबल को सही तरीके से लटकाया जाएगा।

टेलीफोन, सिग्नल के लिए ट्रैवलिंग केबल उपलब्ध कराए जाएंगे। कंट्रोल, लाइट, पंखे, अलार्म बेल, इमरजेंसी सर्किट, म्यूज़िक और कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन वगैरह।

कुल कैपेसिटी का 10 परसेंट, कम से कम 5 वायर पेयर के हिसाब से, अलग-अलग कामों के बीच बांटी गई ट्रेलिंग केबल में हर जगह बिना इस्तेमाल के उपलब्ध रहेगा।

मेटल फ्रेम और लिफ्ट कंट्रोलर फ्रेम वगैरह के सभी मेटल वर्क को अर्थ बार तक ले जाने वाले डबल अर्थ लीड से अर्थ किया जाएगा। अगर ऐसी रूटिंग मुमकिन हो, तो लूपिंग की इजाज़त होगी। कंपोनेंट्स वगैरह के बाकी सभी अलग-अलग मेटल फ्रेमवर्क को लूप अर्थ किया जाएगा। सभी लिफ्ट में अर्थिंग की व्यवस्था की जाएगी।

14.0 **बीएमएस संगतता**

सभी लिफ्ट के कंट्रोल पैनल BMS के साथ कम्पैटिबल होने चाहिए और कम्युनिकेट करने में सक्षम होने चाहिए। साथ बीएमएस में का कोई भी मानक का पालन शिष्टाचार MODBUS की तरह, तदनुसार, बोली लगाने वाले को आवश्यक प्रावधान करने होंगे।

14.1 **एलिवेटर मॉनिटरिंग सिस्टम/लॉबी विज़न सिस्टम : इसका मकसद एक रियल-टाइम एलिवेटर मॉनिटरिंग सिस्टम (EMS)** लगाना है जो फैसिलिटी के अंदर सभी एलिवेटर यूनिट्स का सेंट्रलाइज़्ड विज़ुअल ओवरव्यू दे। सिस्टम को इमरजेंसी रिस्पॉन्स और डेली फैसिलिटी मैनेजमेंट में मदद के लिए **फायरमैन कंट्रोल रूम** को लाइव स्टेटस अपडेट देना चाहिए ।

- सिस्टम में **मॉनिटर शामिल है :** 21 इंच इंडस्ट्रियल ग्रेड LED डिस्प्ले, 4K या फुल HD रिज़ॉल्यूशन, 24/7 ऑपरेशन रेटिंग, दीवार पर लगाने वाला।
- **CPU/वर्कस्टेशन:** हाई-परफॉर्मेंस मिनी-PC या इंडस्ट्रियल कंट्रोलर जो प्रोप्राइटरी EMS सॉफ्टवेयर चला सकता है।

- **सॉफ्टवेयर की विशेषताएं:** ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) जो बिल्डिंग के फर्श और लिफ्ट कारों को दिखाता है। **कार की पोजीशन (फ्लोर)** , **ट्रैवल की दिशा का** रियल-टाइम डिस्प्ले
- **केबलिंग** : सभी ज़रूरी डेटा केबल (CAT6 शील्डेड या फाइबर ऑप्टिक, दूरी और इंटरफेरेंस के आधार पर) का इंतज़ाम और इंस्टॉलेशन।

15.0 इंटरफ़ेस प्रबंध

बैंक के अनुरोध पर, लिफ्ट संविदाकर्ता लिफ्ट के बीच इंटरफेस का डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग शुरू करेगा और उसे मैनेज करेगा। लिफ्ट और BMS सिस्टम; CCTV सिस्टम; एक्सेस कंट्रोल सिस्टम; फायर अलार्म सिस्टम; पब्लिक एड्रेस सिस्टम; EPBAX सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह। इस मकसद के लिए, बैंक इन सहायक कामों के मौजूदा वेंडर्स से इसे चालू करने में मदद देगा ।

16.0 सवारी क्वालिटी: लिफ्ट का डिज़ाइन IS 17900 के हिसाब से कम से कम वाइब्रेशन और शोर के साथ स्मूद एक्सेलरेशन और डी-एक्सेलरेशन देना चाहिए, जिससे पैसेंजर के लिए आरामदायक राइड क्वालिटी पक्की हो ।

17.0 परीक्षण का लिफ्ट इंस्टालेशन

बैंक का इंजीनियर रिज़र्व सही को निरीक्षण लिफ्ट दौरान और डाक स्थापना।

17.1 परीक्षा दौरान इंस्टालेशन

17.1.1 लेवलिंग परीक्षा

शुद्धता का ज़मीन लेवलिंग करेगा होना परीक्षण साथ लिफ्ट खाली और पूरी तरह लोडेड हालत.

लिफ्ट करेगा होना दौड़ना को हर मंजिल जबकि यात्रा का दोनों में ऊपर की ओर और नीचे दिशा-निर्देश और लैंडिंग फ्लोर के ऊपर/नीचे कार के फ्लोर की असली दूरी मापी जाएगी। हर मामले में , जब कार खाली हो और जब वह पूरी तरह भरी हो, तो फर्श पर लेवलिंग के लिए इन मापों में कोई खास अंतर नहीं होगा। लेवलिंग के लिए टॉलरेंस ±5mm एक्यूरेसी के तौर पर होगी।

17.1.2 सुरक्षा गियर परीक्षा

गवर्नर से कंट्रोल होने वाले इंस्टेंटेनियस सेफ्टी गियर को संविदा लोड और संविदा स्पीड के साथ टेस्ट

किया जाना चाहिए, गवर्नर को हाथ से ऑपरेट किया जाना चाहिए। हालांकि, वेज क्लैंप या फ्लेक्सिबल क्लैंप सेफ्टी के साथ दो टेस्ट किए जाने चाहिए , एक कार में संविदा लोड के साथ और दूसरा कार में 68 kg (एक व्यक्ति के बराबर) के साथ। मिली स्टॉपिंग डिस्टेंस की तुलना बताए गए आंकड़ों से की जानी चाहिए और बाद में गाइड, कार प्लेटफॉर्म और सेफ्टी गियर की ध्यान से जांच की जानी चाहिए ताकि परमानेंट डिस्टॉर्शन के निशान मिल सकें।

काउंटरवेट सेफ्टी गियर को काउंटरवेट गवर्नर से ट्रिप किया जाना चाहिए और स्टॉपिंग डिस्टेंस नोट किया जाना चाहिए। हालाँकि, गवर्नर ट्रिपिंग स्पीड रेटेड स्पीड के 10 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

सेफ्टी गियर टेस्ट के दौरान, कार की स्पीड (गवर्नर या मेन शीव से) IS में बताई गई इंस्टेंट या ट्रिपिंग स्पीड पर तय की जानी चाहिए। गवर्नर जॉज़ और रस्सी की जांच होनी चाहिए किसी भी तरह के फालतू घिसाव के लिए।

17.1.3 **संविदा लिफ्ट गति**

कार में फुल-लोड, हाफ-लोड और नो-लोड कंडीशन में मापी जाएगी । मापी गई स्पीड संविदा स्पीड से ±10 परसेंट से ज़्यादा अलग नहीं होनी चाहिए। सभी ज़रूरी मेज़रमेंट इक्विपमेंट (जैसे टैकोमीटर) संविदाकर्ता द्वारा दिए जाएंगे।

17.1.4 **कार और अवतरण दरवाजे इंटरलॉक**

लिफ्ट करेगा नहीं कदम साथ कोई दरवाजा खुला। कार दरवाजा रिले संपर्क और अवकाश ग्रहण करने वाले मुक्त करना कैम टेस्ट किया जाना चाहिए। दरवाज़े के काम करने के तरीके और सेफ्टी किनारों और अगर कोई लाइट इक्विपमेंट दिया गया है, तो उसकी भी जांच की जाएगी।

17.1.5 **नियंत्रकों**

कॉन्टैक्टर्स और इंटरलॉक के ऑपरेशन की जांच की जाएगी, और यह पता लगाया जाएगा कि स्पेसिफिकेशन्स में बताई गई सभी ज़रूरतें पूरी हुई हैं या नहीं।

17.1.6 परीक्षा प्रमाण पत्र के लिए अगले चाहेंगे होना आवश्यक पहले सौंप दो: -

- रस्सियों
- गाइड रेल
- अनुगामी केबल
- बफ़र
- मोटर रूटीन परीक्षण

17.1.7 हवा में शोर : ऑपरेशन के दौरान लिफ्ट इक्विपमेंट का मापा गया शोर लेवल लिफ्ट लॉबी में 50 dba और कार के अंदर 55 dba से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में जब दरवाज़ा चल रहा हो और कार वेंटिलेशन एग्जॉस्ट ब्लोअर अपनी सबसे ज़्यादा स्पीड पर हो।

18.0 **प्रावधान के लिए अक्षम और विकलांग**

सभी पैसेंजर लिफ्ट में ये सुविधाएँ दी जाएँगी:

- लिफ्ट नियंत्रण बटन पर स्थानों और ऊंचाई निर्दिष्ट में है 17900
- हॉल पुकारना बटन पर स्थानों और ऊंचाई निर्दिष्ट में है 17900
- लिफ्ट की साइड की दीवारों पर हैंड रेलिंग लगाई जाएंगी (तीन) IS:17900 में बताई गई ऊंचाई और जगहों पर दिव्यांगों के आने-जाने का एक इंटरनेशनल निशान हमेशा के लिए और साफ़ तौर पर हर लिफ्ट लैंडिंग पर लिफ्ट के एंट्रेंस के पास दिखाया जाएगा । दिव्यांग लोगों के लिए हर बटन के बगल में फ़्लोर लेवल बताने वाले ब्रेल नोटेशन शामिल किए जाएंगे ।
- IS:17900 के अनुसार कार की पोजीशन, दरवाज़े खुलने/बंद होने, यात्रा की दिशा और मैसेज बताने के लिए एक डिजिटल वॉइस सिस्टम दिया जाएगा।

19. सांविधिक अनुमोदन और लाइसेंसिंग

- संपर्क की ज़िम्मेदारी: सफल बोली लगाने वाला, लिफ़्ट को "ऑपरेट करने का लाइसेंस" लेने के लिए चीफ़ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (CEI) या संबंधित स्टेट लिफ़्ट इंस्पेक्टरेट के साथ शुरू से आखिर तक संपर्क करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
- फीस का भुगतान: सभी ऑफिशियल कानूनी फीस, जिसमें परमिट-टू-इरेक्ट और लाइसेंस-टू-ऑपरेट फीस शामिल हैं, बैंक को देनी होंगी। बोली लगाने वाले को अथॉरिटी से ऑफिशियल चालान/डिमांड नोट देना होगा, जिसका भुगतान बैंक सीधे करेगा या मूल रसीद दिखाने पर वापस कर देगा।
- डॉक्यूमेंटेशन: बोलीकर्ता को स्टेट लिफ्ट एक्ट और नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अनुसार सभी ज़रूरी टेक्निकल ड्राइंग, टेस्ट रिपोर्ट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट तैयार करके जमा करने होंगे।
- टेस्टिंग और निरीक्षण : बोलीकर्ता को सरकारी इंस्पेक्टर से लिफ्ट का फिजिकल निरीक्षण करवाना होगा और सेफ्टी टेस्ट को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी ज़रूरी टूल्स, लोड वेट और टेक्निकल मैनपावर देना होगा।
- सिस्टम के फाइनल हैंडओवर से पहले सभी लिफ्ट के लिए लाइसेंस मिल जाए । बोलीकर्ता को लिफ्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ ज़रूरी बातचीत भी करनी होगी, जबकि दोष देयता अवधि के बाद लिफ्ट लाइसेंस का रिन्यूअल होगा।

उपबंध - IX

संविदाकर्ता/बोली लगाने वाले को भरने होंगे टेक्निकल डिटेल्स

टिप्पणी: - बोली लगाने वालों को हर पैरामीटर के लिए आइटम के हिसाब से कन्फर्मेशन/कमेंट देना होगा। अगर कोई बदलाव होगा तो उसे साफ़ तौर पर बताना होगा। बाहर लाया में यह परफ़ॉर्मा.

बोली लगाने वाले को अपने कैटलॉग की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी जिसमें फॉल्स सीलिंग, हैंडरेल, बटन, COP, हॉल लैंटर्न, इंडिकेटर, मल्टीमीडिया स्क्रीन, वेंटिलेशन यूनिट के ऑप्शन दिखाए गए हों।

6 लिफ्ट के लिए डेटा भरें	**(A) लिफ्टों के सामान्य विनिर्देश के लिए और (B) लिफ्टों के सामान्य पैरामीटर के लिए**		**प्रस्तावित मेक**	**प्रस्तावित मॉडल**
	ए	**4 का ग्रुप : स्पीड 2.5 MPS (G+8)**		
	बी	**2 का ग्रुप: स्पीड 2.5 MPS (G+11)** **नोट: इन लिफ्टों को बैंक की ज़रूरत के हिसाब से ग्रुप या सिम्प्लेक्स मोड में चलाने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।**		

आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता - तकनीकी पैरामीटर के लिए लिफ्टों				
एस। नहीं	**वस्तु**	**आवश्यकताएं जैसा प्रति नाज़ुक**	**पुष्टि (Y/N)**	**टिप्पणियों बोलीदाता द्वारा**
ए)	**सामान्य विशेष विवरण**			
ए)	**4 लिफ्टों के ग्रुप का रिप्लेसमेंट**	**यात्री लिफ्टों (पी1,पी2,पी3,पी4) एक लिफ्ट को फायरमैन लिफ्ट के रूप में नियुक्त किया गया है।** (अभी शिंडलर की 4 लिफ्ट, 16 पैसेंजर, दोनों तरफ 2.5mps हैं)		
1.1	प्रकार	**यात्री समूह में**		
1.2	संख्या का लिफ्टों	04 संख्या.		
1.3	क्षमता	IS के अनुसार 16 यात्री (जो भी उपलब्ध शाफ़्ट साइज़ के अनुसार अधिकतम हो)		
1.4	गति सीमा	न्यूनतम 2.5 mps (मीटर प्रति सेकंड)		
1.5	मशीन V3f ड्राइव के साथ टाइप करें	स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर (पीएमएसएम) गियरलेस/ड्राइव (स्पेसिफिकेशन सबमिट करें)		

1.6	सख्या का लैंडिंग	जी+8 यानी 9		
1.7	होइस्टवे आकार उपलब्ध	2330 मिमी (डब्ल्यू) एक्स 2080 मिमी (डी) **(मौजूदा)**		
1.8	ज़मीन चिह्नों/सेवा	जी,1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8		
1.8.1	मंजिल से मंजिल तक की ऊँचाई	वेरिएबल (साइट पर चेक करें)		
1.9	यात्रा की लंबाई	लगभग। 38.9 मीटर (साइट पर चेक करें)		
1.9.1	भूमि के ऊपर में मिमी	5960 mm (मौजूदा) (साइट पर चेक करें)		
1.9.2	गड्ढा गहराई मिमी में	2530 mm (मौजूदा) (साइट पर चेक करें)		
	मशीन कमरा			
1.10	मशीन कमरा जगह	**मौजूदा** (साइट पर चेक करें)		
1.11	मशीन कक्ष की ऊंचाई	**2400 mm (मौजूदा)** (साइट पर चेक करें)		
1.12	नियंत्रण	हार्मोनिक अरेस्टर के साथ क्लोज्ड-लूप ACVVVF (वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ़्रीक्वेंसी) ड्राइव		
1.13	संचालन	सेल्फ़-इल्युमिनेटेड (दबाने पर) मेकेनिकल पुश बटन (ब्रेल नंबर के साथ) हर लिफ्ट के लिए SSHL फेसप्लेट के साथ हर लिफ्ट के लिए।		
		हर फ़्लोर पर दो लिफ़्ट के लिए एक LOP बटन कॉमन है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ ज़रूरी है		
	कार			
1.14	कार दीवार	सभी कार पैनलों में स्टेनलेस इस्पात स्क्रैच रेसिस्टेंट फ़िनिश.		
1.15	कार छत	प्रेशर के साथ स्टेनलेस स्टील फॉल्स सीलिंग ब्लोअरों और नेतृत्व किया दीपक / डाउन-लाइटर न्यूनतम 100 लूक्रस रोशनी.		
1.16	कार ज़मीन	ग्रेनाइट फर्श अंदर कार का अनुमत डिज़ाइन और गुणवत्ता को होना प्रदान किया और बोलीकर्ता द्वारा इंस्टॉल किया गया।		
1.17	कार और अवतरण दरवाजे (चौड़ाई x ऊंचाई)	सभी फ्लोर पर स्टेनलेस स्टील हेयरलाइन फिनिश में लैंडिंग डोर। कार का दरवाजा वही खत्म करना जैसा कार पैनल. ऑटोमैटिक सेंटर ओपनिंग पावर ऑपरेटेड 1000 मिमी एक्स 2100मिमी. **(मौजूदा दरवाज़े की ऊंचाई और दीवार को बनाए रखना होगा)**		
1.18	कार अंदर का आकार (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई)	वर्तमान में 1940 मिमी (डब्ल्यू) एक्स 1400 मिमी (डी) **(प्रस्तावित कृपया नीचे बताएं)** **-** _____ मिमी (चौड़ाई) एक्स __ __ मिमी (डी) **-**		

		न्यूनतम स्पष्ट कार ऊंचाई की आवश्यकता नीचे फॉल्स सीलिंग 2700 mm होनी चाहिए।		
1.19	दहलीज	4 मिमी अल्युमीनियम		
1.20	i) कार आपरेटिंग पैनल	स्टेनलेस स्टील हेयरलाइन फिनिश कार ऑपरेटिंग पैनल, जिसमें फ्लोर डेस्टिनेशन बटन हैं। इमरजेंसी अलार्म, टेलीफोन टाइप इंटरकॉम और अटेंडेंट स्विच के साथ 16 सेगमेंट दिए जाएंगे। नेतृत्व किया / डॉट मैट्रिक्स गतिशील कार डायरेक्शन डिस्प्ले और डिजिटल पोजीशन / इंडिकेटर।		
	ii) एक्सेस कंट्रोल सुविधा के साथ ग्रुप ऑपरेटिंग पैनल	लॉबी में कीपैड का इस्तेमाल लिफ्ट को बुलाने के लिए किया जाता था।		
		बोली लगाने वाले को DOP/COP टाइप/मॉडल पर इनपुट देना होगा नहीं। और का विवरण/ विशेषता जैसा उद्धरित		
1.21	कार आंतरिक भाग भार फर्श के वजन से परे	अतिरिक्त कार आंतरिक वजन नहीं आवश्यक		
1.22	दरवाजा फ्रेम	स्टेनलेस इस्पात सिर के मध्य खत्म करना या बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित		
क्रम	**वस्तु**	**आवश्यकताएं जैसा प्रति नाजुक**	**पुष्टि (Y/N)**	**टिप्पणियाँ बोलीदाता द्वारा**
	सामान्य विनिर्देश			
बी)	**2 लिफ्टों का रिप्लेसमेंट ग्रुप**	**पैसेंजर लिफ्ट (P1 और P2) दोनों लिफ्ट को फायरमैन लिफ्ट के तौर पर अ**हस्ताक्षर **किया गया है** (अभी शिंडलर की 2 लिफ्ट हैं, 16 पैसेंजर, 2.5 mps)		
1.1	प्रकार	**यात्री समूह म**		
1.2	संख्या का लिफ्टों	02 संख्या.		
1.3	क्षमता	आईएस के अनुसार 16 यात्री (जो भी शाफ्ट के आकार के अनुसार अधिकतम हो)		
1.4	रफ़्तार	न्यूनतम 2.5 mps (मीटर प्रति सेकंड)		
1.5	मशीन V3f ड्राइव के साथ टाइप करें	स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर (पीएमएसएम) गियरलेस		
1.6	संख्या का लोडिंग	जो+ 11 यानी 12		
1.7	हाइस्टवे आकार उपलब्ध	2330 मिमी (डब्ल्यू) एक्स 2080 मिमी (डी) **(मौजूदा)**		
1.8	ज़मीन चिह्नों/सेवा	जो,1,2,3,4,5, 6 , 7,8,9,10,11		
1.8.1	मंजिल से मंजिल तक की ऊँचाई	चर		
1.9	यात्रा	लगभग। 53 मीटर (साइट पर चेक करें)		
1.9.1	भूमि के ऊपर में मिमी	5960 mm (साइट पर चेक करें)		

1.9.2	गड्ढा गहराई मिमी में	2530 mm (साइट पर चेक करें)		
	मशीन कमरा			
1.10	मशीन कमरा जगह	**मशीन ऊपर (पर शीर्ष)**		
1.11	मशीन कक्ष की ऊंचाई	**2600 mm** (साइट पर चेक करें)		
1.12	नियंत्रण	हार्मोनिक अरेस्टर के साथ क्लोज्ड-लूप AC VVVF (वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी) ड्राइव ।		
1.13	संचालन	सेल्फ़-इल्युमिनेटेड (दबाने पर) मैकेनिकल पुश बटन (ब्रेल नंबर के साथ) हर लिफ्ट के लिए SSHL फेसप्लेट के साथ हर लिफ्ट के लिए एक LOP बटन डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ ज़रूरी है। हुर फ्लोर पर हर लिफ्ट के लिए एक LOP बटन डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ ज़रूरी है।		
	कार			
1.14	कार दीवार	सभी कार पैनलों में स्टेनलेस इस्पात स्क्रैच रेसिस्टेंट फ़िनिश.		
1.15	कार छत	प्रेशर के साथ स्टेनलेस स्टील फॉल्स सीलिंग ब्लोअरों और नेतृत्व किया दीपक / डाउन-लाइटर न्यूनतम 100 लुक्रस रोशनी.		
1.16	कार ज़मीन	ग्रेनाइट फर्श अंदर कार का अनुमत डिज़ाइन और गुणवत्ता को होना प्रदान किया और बोलीकर्ता द्वारा इंस्टॉल किया गया।		
1.17	कार और अवतरण दरवाज़े (चौड़ाई x ऊंचाई)	सभी फ्लोर पर स्टेनलेस स्टील हेयरलाइन फिनिश में लैंडिंग डोर। कार का दरवाजा वही खत्म करना जैसा कार पैनल. ऑटोमैटिक सेंटर ओपनिंग पावर ऑपरेटेड 1000 मिमी एक्स 2100मिमी **(मौजूदा दरवाज़े की ऊंचाई और दीवार को बनाए रखना होगा।**		
1.18	कार अंदर का आकार (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई)	वर्तमान में 1940 मिमी (डब्ल्यू) एक्स 1400 मिमी (डी) **(प्रस्तावित कृपया नीचे बताएं)** - _____ मिमी (चौड़ाई) एक्स __ __ मिमी (डी) - न्यूनतम स्पष्ट कार ऊंचाई नीचे फॉल्स सीलिंग 2700 mm होनी चाहिए।		
1.19	दहलीज	4 मिमी अल्युमीनियम		
1.20	i) कार ऑपरेटिंग पैनल	स्टेनलेस स्टील हेयरलाइन फिनिश कार ऑपरेटिंग पैनल। इमरजेंसी अलार्म, टेलीफोन टाइप इंटरकॉम और अटेंडेंट स्विच के साथ 16 सेगमेंट दिए जाएंगे। नेतृत्व किया / डॉट मैट्रिक्स गतिशील कार डायरेक्शन डिस्प्ले और डिजिटल पोजीशन / इंडिकेटर।		

	ii) कार ऑपरेटिंग पैनल (सीओपी)	लॉबी में LOP कीपैड का इस्तेमाल लिफ्ट को कॉल करने के लिए किया जाता था।		
		बोली लगाने वाले को DOP/COP टाइप/मॉडल पर इनपुट देना होगा नहीं। और का विवरण/ विशेषता जैसा उद्धरित		
1.21	कार आंतरिक भाग भार फर्श के वजन से परे	अतिरिक्त कार आंतरिक भाग वज़न आवश्यक नहीं		
1.22	दरवाजा फ्रेम	स्टेनलेस इस्पात सिर के मध्य खत्म करना या बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित		
1.23	दरवाजा फ्रेम	स्टेनलेस इस्पात सिर के मध्य खत्म करना या बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित		
बी)	**परामीटर सामान्य को सभी लिफ्टों**			
	मशीन			
1.1	शक्ति आपूर्ति	415वी/220वी, 50 हर्ट्ज		
1.2	स्वीकार्य वोल्टेज में उतार-चढ़ाव	+10 को - 10%		
1.3	दर का त्वरण/मंदन M/s ^{2}	0.6- 1.5		
1.4	झटका देना(मी /सेकंड3)	0.7- 1.6		
1.5	रोक शुद्धता	± 3 मिमी ± 5 तक मिमी		
	लेवलिंग शुद्धता	± 3 मिमी ± तक 5 मिमी		
1.6	दरवाजा गाड़ी चलाना	प्रत्यक्ष गाड़ी चलाना दरवाजे साथ बजे मोटर और बंद लूप VVVF दरवाजा नियंत्रण		
1.7	कार पैनल और दरवाजा पैनल की मोटाई	कम से कम 1.5 मिमी, एसएस 304: 1.2 मिमी मोटी		
	फिक्स्चर / सिग्नल अदर कार			
	स्टेनलेस स्टील कार ऑपरेटिंग पैनल जिसमें ये बटन और इंडिकेशन हैं।			
1.10	दरवाजा खुला/ दरवाजा बंद करना	दरवाजा खुला और दरवाजा बंद करना बटन सिंबल मार्किंग के साथ । सर्विस लिफ्ट के लिए डोर होल्ड बटन		
1.11	एआरडी संचालन ऑडियो / तस्वीर संकेत कार में	को होना प्रदान किया		
1.12	आपातकाल खतरे की घंटी बटन	इमरजेंसी अलार्म बटन जिस पर बेल का निशान हो और वही बटन कॉल बटन से अलग दूरी पर होना चाहिए। इमरजेंसी अलार्म बटन दरवाज़ा खुलने और बंद होने के साथ होना चाहिए। 900±10 मिमी की ऊंचाई पर बटन फ्लोर लेवल से। पीला पिक्टोग्राम देना होगा। अलार्म की आवाज़ सायरन टाइप की होगी। सुनाई देने योग्य से पर कम से कम 50 मीटर की दूरी		

		पर से मैदान ज़मीन अवतरण		
1.13	ऑटो लाइट/पंखा काट दिया	वेंटिलेशन पंखा बंद बदलना साथ ऑटो स्विच बंद विशेषता बाद 120 सेकंड का लिफ्ट पर निठल्ला स्थिति।		
1.14	परिचारक संचालन	के साथ /बिना अटेंडेंट के ऑपरेशन के लिए दो पोजीशन वाली चाबी से चलने वाला अटेंडेंट स्विच ।		
1.14.1	अटेंडेंट मोड में: कॉल बटन इल्यूमिनेशन	लिफ्ट अटेंडेंट को लिफ्ट कार के अंदर मेन कंट्रोल पैनल पर खास कॉल बटन या इंडिकेटर लाइट की रोशनी देखकर पता चल जाता है कि कॉल किस फ्लोर से आई है।		
1.15	धकेलना बटन	नेतृत्व किया प्रबुद्ध स्पर्शनीय ब्रेल पुश बटन होने का का मज़बूत एसएस बर्बर प्रतिरोधी प्रकार।		
1.16	संचार प्रणाली	a) सेल्फ-डायलिंग (प्रेस एंड स्पीक टाइप) थ्री-वे कम्युनिकेशन सिस्टम कार से तय जगहों पर या विनिर्माता स्टैंडर्ड के अनुसार एक्टिवेट होता है। b) कार में डायल करने की सुविधा वाला एक EPABX टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट दें; इसके लिए वायरिंग लिफ्ट फर्म हर लिफ्ट कार से लिफ्ट मशीन रूम तक करेगी, जहाँ से इसे बैंक द्वारा पहले से इंस्टॉल किए गए मौजूदा EPABX सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वेंडर एक अतिरिक्त इंटरकॉम का इंतज़ाम रखने के लिए वायरिंग का एक और सेट भी देगा ।		
1.17	कार प्रदर्शन	एलसीडी गतिशील कार दिशा प्रदर्शन और डिजिटल स्थिति संकेतक प्रदान किया जाएगा। बोलीदाता को उपलब्ध करवाना आदानों कार पर उद्धृत के अनुसार प्रदर्शित करता है		
1.18	आपातकाल रोशनी	आपातकाल रोशनी साथ रिचार्जेबल सील रखरखाव मुक्त बैटरी 30 मिनट के बैकअप के साथ ।		
1.19	आपातकाल खतरे की घंटी	रिचार्जेबल सीलबंद अलार्म रखरखाव मुक्त बैटरियाँ मूल्यांकन के लिए 30 मिनट।		

1.20	ऊपर भार चेतावनी	ऑडियो/विजुअल अधिभार चेतावनी इंडिकेटर देना होगा।		
1.21	आवाज़ घोषणा	ज़मीन पद आवाज़ घोषणा बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ । कृपया निविदा कन्फर्म करें चश्मा.		
	अवतरण संकतक			
1.22	हॉल बटन	**4 लिफ्ट के ग्रुप के लिए:** LED ग्लो वाले माइक्रो-स्ट्रोक पुश टैक्टाइल ब्रेल बटन के साथ हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील फेसप्लेट । (हर तरफ और हर फ्लोर पर दो लिफ्ट के लिए एक LOP कॉमन है) **2 के समूह के लिए लिफ्टें: LED ग्लो वाले माइक्रो-स्ट्रोक पुश टैक्टाइल ब्रेल बटन के साथ** हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील फेसप्लेट। (हर फ्लोर पर हर लिफ्ट के लिए एक LOP)		
		मौजूदा कटआउट और लेआउट के अनुसार साफ़ ऊंचाई पर होना चाहिए – नहीं संशोधनों में कटआउट वांछित है और मौजूदा कटआउट को होना पूरी तरह ढका हुआ साथ नए जुड़नार और फेसप्लेट्स।		
1.24	अवतरण प्रदर्शन	16 खंड / डॉट मैट्रिक्स कार पद और दिशा का यात्रा प्रदर्शन और लिफ्ट अंडर रखरखाव डिस्प्ले।		
		बोलीदाता को उपलब्ध करवाना आदानों पर अवतरण डिस्प्ले और बटन की जानकारी जैसा बताया गया है		
1.25	ऊपर और नीचे का आकार लेगा दिशा; घंटा अप के लिए सिंगल स्ट्रोक और डाउन के लिए स्ट्रोक होना चाहिए	मौजूदा कटआउट और लेआउट के अनुसार साफ़ ऊंचाई पर होना चाहिए – नहीं संशोधनों में कटआउट वांछित है और मौजूदा कटआउट को होना पूरी तरह ढका हुआ साथ नया फिक्स्चर और फेसप्लेट्स		
	प्रावधान का बाधा दास्ताना विशेषताए म यात्रा लिफ्टा			
1.26	हाथ रेल	एसएस सिर के मध्य खत्म करना हाथ रेल पर सभी लिफ्ट के तीन किनारे		

		सभी हैंड रेल को फर्श से 900mm की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए।		
1.27	ब्रेल अकन कार ऑपरेटिंग पैनल पर बटन और अवतरण धकेलना बटन	सभी बटन को पास होना ब्रेल शिलालेख।		
1.28	कम ऊंचाई सीओपी के लिए सभी लिफ्टों	फ़्लोर बटन की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि बैठने वाला व्यक्ति भी उन तक पहुंच सके। पर पहिया कुर्सी अनुरूप को IS कोड.		
1.29	आवाज़ घोषणा	आवाज़ घोषणा को की घोषणा फर्श की स्थिति		
1.30	अवरक्त दरवाजा सुरक्षा उपकरण	मल्टी खुशी से उछलना अवरक्त सुरक्षा डिवाइस तो जैसा को रिवर्स समापन दरवाजा यदि का थोड़ा बाधा में द्वार .		
	सुरक्षा विशेषताएं और अन्य समावेशन			
1.31	फायर मैन बदलना	ग्राउंड फ्लोर लेवल पर लिफ्ट के हर ग्रुप के लिए फायरमैन का स्विच। सभी लिफ्ट में फायरमैन होना चाहिए। तरीका - अवस्था 1 और आग लिफ्ट को होना साथ अवस्था 1 और 2 G+11 वाली लिफ्ट के लिए, हर लिफ्ट में अलग से फायरमैन स्विच दिया जाएगा।		
1.32	दरवाजा सुरक्षा	मल्टी बीम इन्फ्रारेड सुरक्षा उपकरण ताकि बंद हो रहे दरवाज़े को उलटा किया जा सके मामला का थोड़ा बाधा में दरवाजा रास्ता।		
1.33	चरण उलटफेर	स्वचालित चरण उलटफेर उपकरण।		
1.34	ऊपर भार उपकरण	ओवरलोड नॉन-स्टार्ट और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस।		
1.35	बफ़र	तेल बफ़र		
1.36	सुरक्षा गवर्नर	कार के लिए इलेक्ट्रो-मेकेनिकल टाइप सेफ्टी गवर्नर।		
1.37	सुरक्षा निर्देश	क्या करें और क्या न करें साथ आपातकाल संपर्क कार में लगी SS फेस प्लेट पर नंबर खुदे हुए हैं		
1.38	ऊपर यात्रा सुरक्षा	टर्मिनल और फाइनल लिमिट स्विच दिए जाने हैं ।		
1.39	नियंत्रक / गाड़ी चलाना / मोटर सुरक्षा	यात्रा उपकरण के लिए ऊपर करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज के अंतर्गत और ऊपर वोल्टेज बजाय मूल्यांकन क्षमता। ± 10%		
		· मोटर अधिभार / ऊपर टार्क: · तात्कालिक ऊपर मौजूदा · मैदान गलती · अतर्गत वोल्टेज		

		· ऊपर वॉल्टेज – 3 चरण · आउटपुट और इनपुट चरण हानि · चरण उलटफेर · आउटपुट छोटा सर्किट · ऊपर रफ़्तार · स्पाइक्स और बढ़त		
1.40	एआरडी (स्वचालित बचाव उपकरण)	ARD दिया जाएगा। (विस्तृत जानकारी) एआरडी के निर्माण और कार्यप्रणाली का साहित्य होना प्रदान किया अलग से)। एआरडी बिना रिचार्ज किए कम से कम 03 बार चलना चाहिए ।		
1.41	आग रेटिंग का दरवाजे	लैंडिंग दरवाज़ों की 2 घंटे की फायर रेजिस्टेंस रेटिंग होनी चाहिए । प्रमाण पत्र को होना प्रदान किया		
1.42	इण्टरकॉम कनेक्शन	लिफ्ट कार से फायर रूम और मशीन रूम तक टेलीफोन वायरिंग और दूसरी केबल।		
1.43	ट्रैवलिंग केबल के साथ अतिरिक्त वायरिंग (कार से लिफ्ट रूम तक)	सीसीटीवी कैट 6 वाईफ़ाई (राउटर) कैट 6 इंटरकॉम/EPABX 2 जोड़ी फायर डिटेक्टर 2 जोड़ी (1.5 वर्ग मिमी) बीएमएस (आरएस 485) वायरिंग UPS वायरिंग 2 जोड़ी (2.5 sqmm)		
1.44	एक कार ब्लोअर जुड़ा हुआ है को ऊपर	एक का दो कार ब्लोअरों को UPS पावर के माध्यम से कनेक्ट किया जाना चाहिए आपूर्ति प्रदान की गई द्वारा बोली लगाने वाला।		
1.45	पट्टी प्लेटें और देहली एंगल्स	• साइट की ज़रूरत के हिसाब से पूरी ऊंचाई वाली फेसिया प्लेट्स और सिल एंगल दिए जाएंगे। कार साइड पर लगभग कम से कम 750 mm ऊंचाई दी जाएगी। • कार के दरवाज़े का लॉक भी दिया जाएगा ।		
1.46	गड्ढा सीढ़ी	MS पिट सीढ़ी दी जाएगी और उसे गड्ढे के अंदर सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा।		
1.47	नो करेक्शन रन	पावर फेल होने या गड़बड़ी होने पर सिस्टम मेमोरी को बनाए रखना चाहिए। लिफ्ट को करेक्शन मोड या करेक्शन रन में नहीं जाना चाहिए। सबसे निचली मंज़िल / सबसे ऊँची मंज़िल इसकी पोजीशन और मेमोरी अपडेट		

		करें।		
1.48	सुरक्षित अवतरण विशेषता	अगर ए कार है रुक गया बीच में फर्श किसी इक्विपमेंट में खराबी की वजह से, कंट्रोलर वजह चेक करता है, और अगर कार को चलाना सेफ़ माना जाता है, तो कार इच्छा कदम को निकटतम ज़मीन पर स्पीड कम करें और दरवाज़े खुल जाएंगे।		
1.49	आरोही कार ओवरस्पीड सुरक्षा उपकरण	को होना प्रदान किया		
1.50	अनपेक्षित कार मूवमेंट सुरक्षा उपकरण	को होना प्रदान किया		
1.51	भूकंप सेंसर	आवश्यक		
1.52	अन्य कार्य - विरोधी उपद्रव, कार कॉल रद्दीकरण, अगली लैंडिंग, बाई पास, स्वयं समतलन , दरवाजे का समय समायोजन, स्वतंत्र संचालन और वापसी ऑपरेशन	कृपया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के उपबंध 6 में बताए गए इन फीचर्स को शामिल करने की पुष्टि करें।		
1.53	काउंटर वेट	कास्ट आयरन ब्लॉक, लेकिन कंक्रीट या स्टील का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।		
1.54	पुनर्जन्म का गाड़ी चलाना	दी जाएगी। बरती गई सावधानियां और पुष्टि पर कनवर्टर साथ शक्ति कारक का 1		
1.5 5	गाइड रेल - कार और प्रतिभार	प्रदान किया जाना है		
1.56	कार और काउंटरवेट फ्रेम	प्रदान किया जाना है		
1.57	वार्षिक अपटाइम गारंटी	97%		
1.58	विशेषता सूची	मानक शामिल और विकल्प – को प्रदान किया		
1.59	विद्युतीय सुरक्षा बदलना हटाने योग्य हैंड वाइंडिंग डिवाइस के मामले में	को होना प्रदान किया		

1.61	दूरस्थ निगरानी प्रणाली	रखरखाव और प्रिवेंटिव रखरखाव के लिए रियल टाइम लिफ्ट ऑपरेशन पाने के लिए		
1.62	लिफ्ट निगरानी प्रणाली / लॉबी विजन प्रणाली	कार की रियल टाइम लोकेशन पाने के लिए।		
सी)	**सबंधित नागरिक / सरचनात्मक आइटम/इलेक्ट्रिकल/लाइसेंस**			
	लिफ्ट लगाने और चलाने से जुड़े सभी सिविल और स्ट्रक्चरल काम संविदाकर्ता **को देने होंगे। पर उसका लागत शामिल (लेकिन नहीं वर्जित को) निम्नलिखित ।**			
1.62	स्टील /बांस मचान और सुरक्षा बाड़ के लिए निर्माण में और लिफ्ट होइस्ट के रास्तों के आसपास			
1.63	सहन करना प्लेट्स /ISMB C और। चैनल			
1.64	बफर का समर्थन करता है			
1.65	सीढ़ी में गड्ढा साथ 2 सुरक्षा स्विच			
1.66	सुरक्षा कटघरा पर शीर्ष का कार			
1.67	चैनल, विभाजक, स्ट्रेचर वगैरह।			
1.68	देहली एंगल्स			
1.69	भरा हुआ ऊंचाई पट्टी प्लेट्स (साइट की ज़रूरत के हिसाब से) और कार के दरवाज़े का लॉक			
1.70	सभी नागरिक काम करता है आवश्यक के लिए इंस्टालेशन का लिफ्टों शामिल कोई मरम्मत में मामला का हानि को आर्किटेव, दीवारों, फर्श वगैरह को असली रूप और फिनिश में वापस लाने के लिए।			
1.71	मौजूदा स्ट्रक्चर को हटाने और शाफ्ट को दोबारा पेंट करने के बाद लिफ्ट शाफ्ट की रिपेयरिंग।			
1.72	बल्कहेड लाइटिंग के साथ कंड्यूट में परमानेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग/ लिफ्ट शाफ्ट में 5A सॉकेट			
1.73	लिफ्ट लाइसेंस पाने के लिए सभी दस्तावेज देने होंगे			
डी)	**मुक्त विस्तृत रखरखाव**			
1.74	19 वर्ष विस्तृत पोस्ट के एक साल बाद रखरखाव सफल स्थापना और समापन का सभी लिफ्टों में संतोषजनक परिचालन की स्थिति।			

खंड – X

बिना मूल्य वाला मात्रा बिल

(प्राइस बिड/भाग II की इमेज)

Validate Print Help Item Rate BOQ

Tender Inviting Authority: Reserve Bank of India, Kolkata

Name of Work: Design Supply Installation Testing and Commissioning (DSITC) of 6 nos of passenger lifts at Bank's Main Office Building, Kolkata

Contract No:

Name of the Bidder/ Bidding	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBE	TEXT *	NUMBE	TEXT *	TEXT *	NUMBER *	NUMBER	NUMBER *	NUMBER *	TEXT *
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	Quoted Currency in INR / Other Currency	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P	GST	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	12	13	14	53	54	55
1	**Cat (A) -Capital cost of the project**								
1.01	DSITC of passenger lift serving Ground + 8 floor, operating in group, having speed of 2.5 mps as per the scope of work and technical specifications mentioned at Part I of the tender	4.00	Nos	INR		18%	0.00	0.00	#NAME?
1.02	DSITC of passenger lift serving Ground + 11 floor, operating in group, having speed of 2.5 mps as per the scope of work and technical specifications mentioned at Part I of the tender	2.00	Nos	INR		18%	0.00	0.00	#NAME?
2	**Cat (B) - Buyback items**								
2.01	**Buyback** of an existing lift serving G+8 floors. (Make : M/s Schindler Elevator ; Speed : 2.5 mps ; Passeneger Capacity : 16)	4.00	Nos	INR		18%	0.00	0.00	#NAME?
2.02	**Buyback** of an existing lift serving G+11 floors. (Make : M/s Schindler Elevator; Speed : 2.5 mps ; Passeneger Capacity : 16)	2.00	Nos	INR		18%	0.00	0.00	#NAME?
3	**Cat (C) - Charges for Comprehensive annual maintenance contract (CAMC)**								
3.01	All inclusive **Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) charges for the six new lifts installed under item no. 1.01 and 1.02 above**. Note: the multifying factor (MF=13.04) to arrive present value for the CAMC for 19 years has been mentioned in the column "Quantity".	13.04	Per Annum	INR		18%	0.00	0.00	#NAME?
4	**Cat (D) - Charges for Comprehensive maintenance of existing lifts**								
4.01	All inclusive **Comprehensive Maintenance charges for existing lifts** during replacement of existing lifts as mentioned in	1.00	Lumpsum	INR		18%	0.00	0.00	#NAME?
Total in Figures							0.00	0.00	#NAME?
Quoted Rate in Words					#NAME?				

##यहां दर न भरें

अनुबंध – I

<u>प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप</u>

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी व्यक्तियों को पता है, हम(बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और का पद धारण कर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम से और हमारी ओर से ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करें जो **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 6 यात्री लिफ्टों की "डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और चालू करने (डीएसआईटीसी) "के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे प्रासंगिक हैं** , जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को नियुक्त करना और आरबीआई को जानकारी / प्रतिक्रिया देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

टिप्पणी:

पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प और नोटराइज़्ड होना चाहिए। दिया गया पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर/नाम

बोली लगाने वाले की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को सत्यापित किया जाएगा।)

अनुबंध II

ई-निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/संविदाकर्ता सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) है।

https://etenders.gov.in/eprocure/app

निविदा का प्रक्रिया : बोलीकर्ता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए बोलीकर्ता के लिए रजिस्ट्रेशन : इस प्रक्रिया में वेंडर का सीपीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शामिल है जो फ्री है ।

https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी टेक्निकल जानकारी के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

इंटरनेशनल बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं।

ई - मेल समर्थन:
प्रकाशित हुए निविदा से जुड़े किसी भी इश्यू या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा इनवाइटिंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - सीपीपीपी-doe@nic.in

I.	इस निविदा पर किसी भी स्पष्टीकरण / ईएमडी वगैरह की डिटेल भेजने के लिए अधिकारियों के नाम।	नाम: किरण पॉल (असिस्टेंट जनरल मैनेजर) ईमेल: kiranpaul@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 9674033358 नाम: आर.एन. किस्कू (प्रबंधक टीई) ईमेल: rnkisku@rbi.org.in मोबाइल नंबर: 9831914122 नाम: शशि शंकर सिन्हा (सप्र. टीई) ईमेल: शशिसिंह @आरबीआई.ओआरजी.इन मोबाइल नंबर: 8424058435

अनुबंध- III

भाग लेने वाली फर्म / बोली लगाने वाले / निविदा की डिटेल फर्म के लेटरहेड पर

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	फर्म की स्थिति	स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/लिमिटेड/अन्य अगर दूसरे बताएं: _____ [पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें]
3.	का नाम फर्म/कंपनी के मालिक/साझेदार/ निदेशक	
4.	संचालन में वर्षों की संख्या	
5.	रजिस्टर्ड ऑफिस का पता:	
6.	विनिर्माण संयंत्र का पता	
7.	बोली लगाने वाले का पता जहाँ ऑर्डर/संविदा दिया जाना है	
8.	पते का टेलीफोन नंबर ऑर्डर कहाँ दिया जाना है वेबसाइट और ईमेल आईडी	_____ (देश कोड) (क्षेत्र कोड) (टेलीफोन नंबर) _____
9.	पैन नं.	_____ [पैन कार्ड की कॉपी भी साथ में लगाएं]
10.	जीएसटी नंबर (ऊपर क्रम संख्या 8 देखें)	_____ [साथ ही, जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ में भेजें]
11.	ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर	_____ [साथ ही, EPF रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ में लगाएं]

12.	ईएसआई कोड नं.	_____ [साथ ही, संबंधित दस्तावेज की कॉपी भी साथ में लगाएं]
13.	चाहे सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यम	(बोली लगाने वाले को ITB में बताए गए दस्तावेज जमा करने होंगे)
14.	**बैंकर डिटेल (भुगतान पाने का अकाउंट)** [साथ ही, कैंसल किए गए चेक की कॉपी भी साथ में लगाएं]	
I.	बैंकर का नाम	
II.	शाखा	
III.	बैंक खाता संख्या	
IV.	आईएफएससी	
15.	**सर्विस सेटअप का विवरण**	
I.	पता	
II.	ईमेल	
III.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	
IV.	तैनात व्यक्तियों की संख्या	

स्थान: **[बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]**

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

अनुबंध – IV

फर्म के लेटरहेड पर क्लाइंट्स की लिस्ट

पात्रता मानदंड की जानकारी के लिए फ़ॉर्मेट:

1) लिफ्ट के एसआईटीसी के काम के विवरण और उसका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (किसी भी रकम का) **पांच साल का अनुभव साबित करने के लिए संलग्न करना होगा** (कार्य आदेश और उसके कम्प्लीशन की तारीख 30 सितंबर, 2021 या उससे पहले होनी चाहिए)

क्रम सं.	कार्य का नाम और स्थान	क्लाइंट का नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स	कार्य आदेश रेफ़रेंस नंबर और तारीख	लगाई गई लिफ्टों का मेक	संविदा राशि	लिफ्ट की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10

2) **पिछले पांच** वर्षों **में** निविदा देने वाले द्वारा किए गए **लिफ्ट के SITC** के कामों की जानकारी (01 अक्टूबर 2021 को या उसके बाद और 30 सितंबर 2026 को या उससे पहले पूरा किया गया कार्य) **कार्य के न्यूनतम मूल्य की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए विचार किया जाएगा** :

क्रम सं.	कार्य का नाम और स्थान	क्लाइंट का नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स	कार्य आदेश रेफ़रेंस नंबर और तारीख	लगाई गई लिफ्ट का मेक	संविदा की रकम (1.04 करोड़ रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए)	लिफ्ट की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10

3) कोलकाता में **मौजूदा सर्विस सेंटर** की जानकारी

क्रम सं.	सेवा केंद्र का स्थान	पूरा पता	सर्विस सेंटर के इंचार्ज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स	स्थापित	सरकारी पंजीकरण संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

4) **वार्षिक टर्नओवर** (हर साल कम से कम Rs. 2.6 करोड़ होना चाहिए):

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**टर्नओवर (₹)**
1	2022-2023	
2	2023-2024	
3	2024-2025	

5) बोली लगाने वाले को कम से कम 2.6 करोड़ रुपये का **बैंकर सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।**

स्थान : **[बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]**

दिनांक: **नाम:**

पद का नाम:

मुहर:

अनुबंध - V

कंपनी/फर्म/संगठन के लेटर हेड पर

कृपया अपने पत्र-व्यवहार में हमेशा कोट करें

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
6वीं मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन,
15, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: _____

संविदाकर्ता के काम के बारे में क्लाइंट का सर्टिफिकेट

हम कन्फर्म करते हैं कि मेसर्स (संविदाकर्ता का नाम) _____ ने हमारे लिए नीचे दिए गए काम किए हैं। फर्म को कैप्शन वाली कॉस्टिंग सौंपने के लिए सही माना जा सकता है। .

2. दूसरी जानकारी आपके देखने और रिकॉर्ड के लिए नीचे दी गई है:

क्रमांक	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
1	योग्य काम का नाम और छोटी जानकारी	
2	कार्य आदेश संख्या और दिनांक	
3	परियोजना/कार्य लागत	

क्रमांक	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं)	
8	पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल रकम	
9	**प्रदर्शन रिपोर्ट :**	बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक-ठाक / संतोषजनक / खराब
	(i) निष्पादित कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग इंगित करें)	
	(ii) अगर फर्म वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के तहत सिस्टम को मेंटेन कर रही है। एएमसी के परफॉर्मेंस के लिए ग्रेडिंग बताएं।	
10	मेसर्स _____ की क्षमताओं पर क्लाइंट के कमेंट्स (ग्रेडिंग बताएं): बहुत बढ़िया / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक-ठाक / संतोषजनक / खराब	
	(क)तकनीकी दक्षता	
	(ख) वित्तीय सुदृढ़ता	
	(ग) जनशक्ति का जुटाव	
	(घ) सामान्य व्यवहार	
11	कोई भी दूसरी जानकारी जो आप सोचेंगे, वह हमें अपना फ़ैसला लेने में मदद करेगी।	

ग्राहक की कार्यालय मुहर आपका विश्वासी,

(जवाब देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर*)
एसई(ई) / कार्यकारी अभियंता (ई) के लिए

* सरकारी/पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट/ क्लाइंट सर्टिफिकेट के बारे में, सर्टिफिकेट पर संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उसके बराबर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए कामों के लिए, क्रेडेंशियल/संविदा की रकम साबित करने के लिए TDS की कॉपी जमा करनी होगी ।

(i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

(ii) क्लाइंट सर्टिफिकेट को हर प्री-क्वालिफिकेशन काम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पते पर एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा करना होगा।

अनुबंध VI

बैंक के लेटर हेड पर

कृपया अपने पत्र-व्यवहार में हमेशा कोट करें

संदर्भ संख्या _____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

छठी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

15, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: _____

<u>बैंकर प्रमाणपत्र</u>

हम कन्फर्म करते हैं कि मेसर्स _____ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उन्हें ₹2.6Cr का कोई भी संविदा देने के लिए फाइनेंशियली मजबूत माना जा सकता है।

2. दूसरी जानकारी आपके देखने और रिकॉर्ड के लिए नीचे दी गई है:

क्रमांक।	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की बनावट (चाहे पार्टनरशिप / प्रोप्राइटरशिप / पब्लिक लिमिटेड)	
2	फर्म के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर के नाम	
3	उन्हें मिलने वाली क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	लेन-देन	
5	वह समय जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	

6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह सर्टिफिकेट बैंक या उसके किसी भी अधिकारी की किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी,

बैंक की मुहर

(हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
बैंक के लिए

अनुबंध – VII

बयाना राशि जमा करने के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

छठी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

15, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता – 700 001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम

संदर्भ: NIT/ Advt.No. तारीख

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए काम (जिसे आगे "वह निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदा डॉक्यूमेंट्स में बताए गए नियमों और शर्तों पर निविदा मंगाए हैं। निविदा मंगाने की शर्तों में से एक यह है कि निविदा देने वाला अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (ईएमडी) के तौर पर ₹100 (सिर्फ़ ₹100) की बैंक गारंटी देगा। मेसर्स (निविदा/बोलीकर्ता का नाम) _____, (जिसे आगे "निविदा/बोलीकर्ता" कहा जाएगा), जो हमारे क्लाइंट/कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वे उस काम के लिए अपना निविदा/बिड जमा करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे ईएमडी के तौर पर ₹100 (सिर्फ़ ₹100) की बैंक गारंटी देने का अनुरोध किया है। अब यह गारंटी गवाह है।

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की बताई गई शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और बताए गए निविदाकर्ता पर भी लागू होगा; आरबीआई के माँगने पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के Rs..... (सिर्फ़ Rs) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम देंगे। हमारी गारंटी को बताई गई शर्तों के तहत निविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए बयाना जमा के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs..... (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि हम यह पक्का करेंगे कि ऊपर बताई गई रकम, जो Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी, बिना किसी शक या विरोध के, आरबीआई से लिखित में नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि रकम उन्हें मिलनी है, मांग करने पर हम भुगतान कर देंगे और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और ज़रूरी होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम को ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और निविदा देने वाले के बीच हुए करार या करार या दूसरी समझ से अलग होगी। आरबीआई की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा निविदा देने वाले को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएगा। यह गारंटी सिर्फ़ निविदा देने वालों द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं की रकम का भुगतान करने पर ही पूरी होगी।

b) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से बताए गए काम के लिए निविदा देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

2027 तक लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दिए गए हैं।

e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से उस दिन या उस दिन रिन्यू नहीं किया जाता जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे ख़िलाफ़ किसी बढ़े हुए समय के अंदर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

बैंक की ओर से

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर सहित)

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को सत्यापित किया जाएगा)।

अनुबंध VIII

टेक्नो -कमर्शियल शर्तों में बदलाव (फर्म के लेटर हेड पर)

नीचे दिए गए डेविएशन को छोड़कर बैंक की सभी कमर्शियल कंडीशन / टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सही हैं।

क्रम सं	**खंड सं.**	**खंड सं.**	**प्रस्तावित वाणिज्यिक शर्त में विचलन**
क्रम सं	**खंड सं.**	**खंड सं.**	**प्रस्तावित विचलन तकनीकी विनिर्देश**

(अगर कोई डेविएशन नहीं है तो nil सबमिट करें)

स्थान : [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

अनुबंध IX

संविदा की शर्तों का प्रारूप
(सफल बोली लगाने वाले के लिए)
(500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

यह संविदा करार _____ दिन_____, 20_____ को भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है: केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400 001 (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) जिसमें एक पक्ष के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और _____ _____ (जिसे आगे "संविदाकर्ता" कहा जाएगा) जिसमें दूसरे पक्ष के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे, के बीच किया गया है।
जबकि बैंक, कोलकाता स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में 6 यात्री लिफ्टों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने (डीएसआईटीसी) के लिए संविदाकर्ता को नियुक्त करना चाहता है और संविदाकर्ता ने नीचे दिए गए नियमों व शर्तों के अधीन ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है।

और जबकि बैंक ने सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की थीं "..... " जैसा कि निविदा के साथ अटैच किए गए काम के स्कोप और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है।

और जबकि संविदाकर्ता तथा अन्य ने निविदा प्रस्तुत की है और बैंक ने संविदा प्रदान किया है, जैसा कि निविदा दस्तावेज में दिए गए काम के स्कोप में बताया गया है, संविदाकर्ता को।

और जबकि संविदाकर्ता ने यहां बताई गई शर्तों और निविदा डॉक्यूमेंट्स (भाग I, भाग II, एनेक्सर और उसके बदलाव) में बताई गई शर्तों के तहत दिए गए काम को पूरा करने के लिए सहमति दी है, जैसा कि दोनों पार्टियों ने बदला है और आखिरकार मान लिया है (जिन सभी को एक साथ "कहा गया शर्तें" कहा गया है) निविदा डॉक्यूमेंट्स (भाग I, भाग II, एनेक्सर और उसके बदलाव) में बताए गए काम के डिटेल्ड स्कोप में बताए गए कामों को, उसमें बताई गई संबंधित दरों पर, उसमें तय रकम या उसके तहत देय दूसरी रकम (जिसे आगे "कहा गया संविदा अमाउंट" कहा गया है) के बराबर होगा।

अब यह इस प्रकार सहमत है:	
1	**संविदा करार :** नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स मालिक और संविदाकर्ता के बीच संविदा का हिस्सा होंगे, और हर एक को संविदा का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाएगा: a) यह संविदा करार और इसके परिशिष्ट

	b) पुरस्कार पत्र .. संदर्भ संख्या c) बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त d) निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी ईमेल और लेटर का लेन-देन e) पार्ट I (टेक्नो कमर्शियल बिड) और भाग II (फाइनेंशियल बिड) संविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बिड f) निविदा इनवाइटिंग नोटिस (NIT), साथ में कोई भी सुधार/एडेंडा।
2	**संविदा मूल्य :** बैंक संविदाकर्ता को संविदा प्राइस देने के लिए सहमत है, यह संविदाकर्ता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बदले में होगा। संविदा प्राइस का कुल योग होगा ***[स्थानीय मुद्रा में शब्दों में राशि], [आंकड़ों में राशि]*** , या ऐसी अन्य रकम जो संविदा के नियमों व शर्तों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।
3	**बयाना राशि** : संविदाकर्ता ने निविदा दस्तावेज के साथ **₹5.2 लाख** के बराबर बयाना राशि (ईएमडी) एनईएफटी के ज़रिए भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के नाम A/c No: 186003001 ट्रांज़ैक्शन रिमार्क्स में जमा किया है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। संविदाकर्ता द्वारा दिया गया अर्नेस्ट मनी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।
4	**परफॉरमेंस बैंक गारंटी (PBG):** संविदाकर्ता को 5 **% की दर से PBG जमा करना होगा** संविदा राशि का 14 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में भुगतान करना होगा। पीबीजी संविदा की पूरी अवधि (कार्य समाप्ति अवधि+डीएलपी+60 दिन) के लिए वैध होगा ताकि संविदाकर्ता द्वारा संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा किया जा सके। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। संविदाकर्ता द्वारा जमा किया गया पीबीजी, संविदाकर्ता के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या उसके द्वारा तैनात श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण बैंक को हुई किसी भी तरह की हानि/क्षति या करार की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जब्त या विनियोजित किया जा सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश जारी करना एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, मानो इस तरह के करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम व शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी । पीबीजी का प्रस्तुतीकरण निविदा में निर्धारित अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। ज़रूरी हालात में जमा करने में देरी होने पर, PBG जमा करने में देरी का चार्ज संविदाकर्ता के बिल से बैंक दर पर वसूला जाएगा । यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) शुरू में संविदा की अवधि प्लस 60 दिन के लिए वैलिड होगी और संविदा की अवधि बढ़ाने पर काम के DLP प्लस 60 दिन तक सही तरीके से बढ़ाई जाएगी।
5	**भुगतान की शर्तें:** भुगतान बैंक द्वारा संविदाकर्ता को निविदा के भाग I के प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा। संविदाकर्ता यह पक्का करेगा कि उसके वर्कर्स को दी जाने वाली सैलरी और अलाउंस सरकारी

	सैलरी रेगुलेशन के अनुसार हों। संविदाकर्ता द्वारा मिनिमम सैलरी देने का प्रूफ बैंक को जमा किया जाएगा। सैलरी में बढ़ोतरी का परसेंटेज सरकार द्वारा सैलरी में किए गए परसेंटेज रिवीजन के अनुसार दिया जाएगा। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य लागू कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और/या बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के अनुसार लाभांश और ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत ईएसआई दिया जाना चाहिए। ईएसआई की अनुपस्थिति में, संविदाकर्ता को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कामगार मुआवजा बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कामगार मुआवजा पॉलिसियां बैंक के साथ संविदा की वैधता तक वैध होंगी। यदि संविदाकर्ता ये पॉलिसियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक को उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और संविदाकर्ता के बिल से इसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित है। कुल प्रीमियम संविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। संविदाकर्ता के पास अपने कामगारों के लिए ईपीएफ अंशदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा । यह रकम बिल से काट ली जाएगी, जिससे बैंक के संविदा खत्म करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संविदाकर्ता लेबर कोड के सभी कानूनी नियमों का पालन करेगा, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा। संविदाकर्ता लागू कानूनों की ज़रूरतों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। च) संविदाकर्ता इस करार के प्रयोजन के लिए नियोजित व्यक्तियों को अगले महीने के **पांच (05) दिनों के भीतर वेतन/मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा (चेक के माध्यम से या बैंक खाते में जमा करके) और इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है, हर महीने बैंक को प्रस्तुत** किया जाएगा। निविदा के भाग । के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता को बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा।
6	**बीमा:** **संविदाकर्ता** अपने खर्च पर, इस **संविदा** के तहत काम शुरू होने की तारीख से लेकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक, एक अप्रूव्ड **बीमा** कंपनी के साथ, **संविदा** की रकम के बराबर रकम के लिए, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है, बैंक और **संविदाकर्ता** के जॉइंट नाम पर एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा। यह पॉलिसी **संविदाकर्ताओं** के लिए स्टैंडर्ड ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी रिस्क के लिए होगी (पॉलिसी में **संविदाकर्ता** का नाम पहले रखा जाएगा)। और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा। संविदाकर्ता को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो संविदाकर्ता या उसके वर्कर या किसी नॉमिनेटेड

	सब-संविदाकर्ता या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस संविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस उपबंध के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। संविदाकर्ता बिल्डिंग और इस संविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्च के संबंध में और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे हानिरहित रखेगा। संविदाकर्ता इस उपबंध में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि संविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से किया जा सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। संविदाकर्ता बैंक को उन सभी दावों के लिए भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति/आम आदमी या दूसरे **थर्ड पार्टी द्वारा** काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए बैंक के खिलाफ किए जा सकते **हैं। और अपने खर्च पर,** संविदा **शुरू होने की तारीख से लेकर** संविदा **पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड** बीमा **कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** संविदाकर्ता **(पॉलिसी में** संविदाकर्ता **का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक** बीमा **पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा** । पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट संविदा की जनरल कंडीशन में कहीं और बताई गई होगी। संविदाकर्ता इसी तरह बैंक को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो बैंक पर **वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट** या इस संविदा के चलने के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी या किसी सब-संविदाकर्ता के संबंध में कॉमन लॉ के तहत **किए जा सकते हैं। और वह अपने खर्चे पर,** संविदा **शुरू होने की तारीख से लेकर पूरा होने तक, एक मंज़ूर** बीमा **कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** संविदाकर्ता **के जॉइंट नाम से एक** बीमा **पॉलिसी बनाएगा (पॉलिसी में** संविदाकर्ता **का नाम पहले रखा जाएगा) और** संविदा **के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा करेगा। अगर** संविदाकर्ता ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो बैंक ऐसा पक्का कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

संविदाकर्ता किसी भी ऐसी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी कॉस्ट, चार्ज या खर्च के लिए और उससे होने वाले किसी भी कम्पनसेशन या डैमेज के अवार्ड के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में संविदाकर्ता के खिलाफ बैंक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक संविदाकर्ता को देने वाली किसी भी रकम में से बैंक द्वारा दिए गए किसी भी डैमेज, कम्पनसेशन, कॉस्ट, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस उपबंध के तहत संविदाकर्ता को देने हैं। इस उपबंध के तहत ली गई पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम का बीमा कंपनी द्वारा सेटलमेंट होने पर संविदाकर्ता पूरी सावधानी के साथ नष्ट या डैमेज हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए बीमा कंपनी से मिला सारा पैसा संविदाकर्ता को दिया जाएगा और संविदाकर्ता, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।

नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए बैंक की समझ के हिसाब से समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में बीमा कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए बैंक से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस उपबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, संविदाकर्ता सभी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता से उनके काम के हिस्सों के लिए इस उपबंध के नियमों के अनुसार एक जैसी बीमा पॉलिसी भी लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसी दिखाएगा या बनवाएगा। संविदाकर्ता किसी नॉमिनेटेड सब-संविदाकर्ता को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह बीमा पॉलिसी जमा न कर दे। अगर सब-संविदाकर्ता साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो संविदाकर्ता उस सब-संविदाकर्ता से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

ऊपर बताई गई बीमा से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, संविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर काम का बीमा कराना होगा और काम के लगभग पूरा होने तक, आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ, बैंक और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम से एक

	ऑफिस (बैंक का नाम यानी "RESERVE BANK OF INDIA" पॉलिसी में सबसे पहले रखा जाएगा) के साथ बीमा रखना होगा। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे । i. **संविदाकर्ता की ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी** बीमा में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जो पूरे संविदा मूल्य के लिए है, जिसमें आग लगने का खतरा भी शामिल है, और विनिर्माता के काम से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट बीमा (हवा/समुद्र/सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)। ii. साइट पर संविदाकर्ता के कर्मचारियों के लिए **वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी ।** **iii.** हर एक्सीडेंट पर 5 लाख रुपये की लिमिट वाली **थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी ।**
7	**पूरा होने का समय :** परियोजना के पूरा होने की अवधि की गणना निम्नलिखित से की जाएगी: लेटर ऑफ़ अवार्ड/**कार्य आदेश** जारी होने के 14वें दिन। इस **संविदा** में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा, और **संविदाकर्ता** इस बात से सहमत है कि साइट उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद काम शुरू कर देगा ताकि बताई गई शर्तों के मुताबिक पूरा काम पूरा किया जा सके, फिर भी समय बढ़ाने के नियमों के तहत।
8	**अपेंडिक्स** : अटैच्ड अपेंडिक्स की लिस्ट में दिए गए अपेंडिक्स इस संविदा करार का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे। संविदा में किसी भी अपेंडिक्स का मतलब इसके साथ अटैच्ड अपेंडिक्स होगा, और संविदा को उसी हिसाब से पढ़ा और समझा जाएगा।
9	**अधिकार क्षेत्र** : इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से होने वाले सभी झगड़े भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में हुए माने जाएँगे और सिर्फ़ कोलकाता की अदालतों को ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।
10	**भाषा** : निविदा फ़ॉर्म इंग्लिश या हिंदी में भरा जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स के इंग्लिश और हिंदी वर्शन में कोई अंतर या साफ़ न हो, तो मतलब निकालने के मामले में इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। संविदा के तहत बोली को सपोर्ट करने वाले या किसी और तरह से शेयर किए जाने वाले सभी कम्युनिकेशन, ड्रॉइंग, डिज़ाइन, डेटा, जानकारी, कोड, स्पेसिफिकेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या हिंदी में होंगे।
11	**अप्रकटीकरण :** i . संविदाकर्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो सर्विस प्रोवाइडर और/या DB डेवलपर को इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। संविदाकर्ता संविदा के विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। संविदाकर्ता दूसरी पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और सर्विस/काम की कोई भी डिटेल्स प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर , जैसा भी मामला हो,

	संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा, और दूसरी पार्टी नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगी। ii. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। iii. फॉर्मल संविदा करार पर कोई बुरा असर डाले बिना, इस निविदा के तहत संविदाकर्ता पर लागू होने वाली सभी गोपनीयता और अप्रकटीकरण की ज़िम्मेदारियां, किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने, पूरा होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।
12	**कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम** i. **संविदाकर्ता** "काम की जगह पर महिलाओं का **लैंगिक** उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने ही कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर , शिकायत **संविदाकर्ता** द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने फाइल की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ii. **संविदाकर्ता** के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमेटी ध्यान देगी। iii. अगर घटना में **संविदाकर्ता** का कर्मचारी शामिल है, तो **संविदाकर्ता** को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर **संविदाकर्ता** के कर्मचारी द्वारा **लैंगिक** हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। **संविदाकर्ता** अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
13	**बैंक द्वारा** संविदा **की समाप्ति** यदि संविदाकर्ता, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, बैंक की उचित संतुष्टि

	दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है। या अगर संविदाकर्ता (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) संविदाकर्ता के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रक्रिया झेलता है, या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को संविदाकर्ता के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा, या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को अहस्ताक्षर या सबलेट नहीं करेगा, या इस संविदा या संविदाकर्ता को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा, या अगर बैंक यह तय करता है कि संविदाकर्ता संविदा छोड़ दिया है, या काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या संविदा द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में संविदाकर्ता द्वारा सात दिनों के भीतर उपेक्षा की गई है या लगातार विफल रहा है, जिसके बाद संविदाकर्ता को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें संविदाकर्ता को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। तब और ऐसे किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकर्ता को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदाकर्ता का संविदा और देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे

	ही लागू रहेगा जैसे संविदा तय ही नहीं हुआ था, और जैसे बाद में किए गए काम संविदाकर्ता ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औज़ार, मचान, मशीनरी और सामान पर कब्ज़ा कर सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और संविदाकर्ता किसी भी तरह से ऐसे दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक संविदाकर्ता को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर संविदाकर्ता नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और संविदाकर्ता को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक यह पता लगाएगा और लिखकर सत्यापित करेगा कि बैंक को या बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और काम पूरा करने में बैंक को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर संविदाकर्ता को कोई रकम देनी है और जो रकम सत्यापित की जाएगी, वह बैंक द्वारा संविदाकर्ता को या संविदाकर्ता द्वारा बैंक को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।
14	संविदाकर्ता **द्वारा** संविदा **की समाप्ति** अगर बैंक के इंजीनियर के सर्टिफिकेट के तहत बैंक को देने वाली रकम का भुगतान, संविदाकर्ता द्वारा बैंक को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान के लिए लिखित नोटिस देने के तीस दिन बाद भी बकाया है और भुगतान नहीं किया गया है, या अगर बैंक संविदा को मना कर देता है, या अगर बैंक के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, संविदाकर्ता को बैंक को लिखित नोटिस देकर संविदा तय करने की आज़ादी होगी और वह बैंक से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की रकम तय करने में, संविदाकर्ता के मूल निविदा में दिए गए नेट दर को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू न हों, वहां मूल्यएशन खंड IV के उपबंध 19 के अनुसार किया जाएगा।
15	**जुर्माना** **जैसा निविदा में बताया गया है।**

बैंक और बोलीकर्ता/संविदाकर्ता ने इस करार को अपने अधिकृत प्रतिनिधियों से ऊपर लिखे पहले दिन और साल में ठीक से पूरा करवाया है ।

बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित

[हस्ताक्षर]

[नाम और पदनाम]उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

संविदाकर्ता की ओर से हस्ताक्षरित

[हस्ताक्षर][नाम और पदनाम]की उपस्थिति में:

1. [गवाह 1 के हस्ताक्षर और विवरण]
2. [गवाह 2 के हस्ताक्षर और विवरण]

अनुबंध – X

परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट/रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

जगह : _____

तारीख : _____

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

छठी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

15, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता – 700 001

_____ _____

प्रिय महोदय,

काम का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में 6 पैसेंजर लिफ्ट की डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी) - परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट/ रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) का संविदा मेसर्स _____ (संविदाकर्ता का नाम) (जिसे आगे "कहा गया संविदाकर्ता" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) को दिया है। और जबकि संविदाकर्ता, उस संविदा के तहत आरबीआई को कुल ₹._ _____ (सिर्फ़ _____ रुपये) (राशि अंकों और शब्दों में) की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि संविदाकर्ता संविदा में दिए गए नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा कर सके। हम, _____ (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स _____, जो संविदाकर्ता है, के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर आरबीआई को _____ रुपये से ज़्यादा नहीं की रकम देने का वादा करते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि संविदाकर्ता ने संविदा की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और उस संविदाकर्ता पर भी लागू होगा; आरबीआई की माँग पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के Rs. (सिर्फ़ Rs) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम रकम

देंगे। हमारी गारंटी को उस संविदा के तहत संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा नहीं होगी।

2. हम यह भी मानते हैं कि ऊपर बताई गई रकम (सिर्फ़ _____रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी , और हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से लिखित नोटिस मिलने पर मांग करने पर भुगतान करेंगे, जिसमें बताया गया हो कि यह रकम उन्हें मिलनी है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाइंडिंग होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक, संविदाकर्ता द्वारा किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के सामने पेंडिंग किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद, आरबीआई को इस तरह मांगी गई कोई भी रकम देगा और इस गारंटी के तहत ज़िम्मेदारी पूरी और साफ़ होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और संविदाकर्ता के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस संविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा संविदाकर्ता को कोई समय देना या कोई छूट दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ संविदाकर्ता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा Rs. (सिर्फ़ Rs) से ज़्यादा की रकम का भुगतान करने पर ही खत्म होगी।

b) इन शर्तों के तहत हमारी देयता 50,000 रुपये (सिर्फ़ रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी देयता पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या उनके दायित्वों या हमारे बताए गए लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

तक) लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा जो इसमें दी गई हैं।

e) इन उपहारों के तहत हमारी देनदारी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन रिन्यू नहीं किया जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाणपत्र ही निर्णायक सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त हो जाएंगे और हमें इसके तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर

दिया जाएगा। जिसके साक्ष्य के रूप में मैं/हम बैंक के द्वारा इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा चुके हैं और इसे ---------- दिन ---- -------- (महीना) (वर्ष) को विधिवत अधिकृत किया गया है। _____ की ओर से (बैंक का नाम) अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर नाम: पदनाम बैंक की मुहर/सील उपरोक्त नामित द्वारा बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित, गवाह की उपस्थिति में:

1 हस्ताक्षर नाम पता (नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकरण को सत्यापित किया जाएगा)

अनुबंध XI

(फर्म के लेटरहेड पर)

नीचे दिए गए काम के बड़े आइटम के हिसाब से यह टाइम शेड्यूल:

	विवरण	समय अवधि (हफ़्तों में)	
एक।	लेआउट चित्र प्रस्तुत करना		**कार्य आदेश** जारी होने की तारीख से 14 वें दिन के बाद के हफ़्ते
बी।	बैंक द्वारा लेआउट ड्राइंग का अनुमोदन		ऊपर से सप्ताह
सी।	साइट पर सामग्री की डिलीवरी		
i.	1st बैच (2 पैसेंजर लिफ्ट)		ऊपर से सप्ताह
ii.	2nd बैच (2 पैसेंजर लिफ्ट)		ऊपर से सप्ताह
iii.	3rd बैच (2 पैसेंजर लिफ्ट)		ऊपर से सप्ताह
डी।	इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग और ऑपरेटिंग लाइसेंस के साथ हैंडओवर		
i.	1st बैच (2 पैसेंजर लिफ्ट)		ऊपर से सप्ताह (ci)
ii.	2nd बैच (2 पैसेंजर लिफ्ट)		ऊपर से सप्ताह (सी.ii)
iii.	3rd बैच (2 पैसेंजर लिफ्ट)		ऊपर से सप्ताह (सी.iii)
	कुल पूरा होने की अवधि (हफ़्तों में) ए+बी+सी (i)+सी(ii)+सी(iii)+डी(iii)		**48 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए**

प्लान माइलस्टोन के हिसाब से होना चाहिए।

स्थान : [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]

दिनांक: नाम:

पद का नाम:

मुहर:

अनुबंध XII

भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफ़िकेट का प्रोफ़ॉर्मा

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा)

सेवा में, तारीख:

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

छठी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

15, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता – 700 001

संदर्भ: आवेदन के लिए _____

महोदया,

मैं/हम (नाम और पता, जिसमें निवास का देश भी शामिल है)

का बोलीदाता) पास होना पढ़ना और समझा अंतर्वस्तु का कार्यालय ज्ञापन (ओम) एफ। संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांकित जुलाई 23, 2020 और इसका बाद का आदेश / दोहराव जारी किए गए द्वारा सरकारी खरीद विभाजन, विभाग का व्यय, वित्त मंत्रित्व, सरकार भारत के संबंध में प्रतिबंध पर खरीद से ए बोली लगाने वाले का ए देश कौन शेयरों ए भूमि भारत के साथ सीमा।

2 मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम)

2.1 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

2.2 है से ए देश बंटवारे भूमि सीमा साथ भारत और है गया दर्ज कराई साथ सक्षम प्राधिकारी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

2.3 है से ए देश बंटवारे भूमि सीमा साथ भारत कहाँ सरकार का भारत है ऋण की विस्तारित लाइनें, या

2.4 यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

(ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।

3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम) सभी ज़रूरतें पूरी करता है

में यह संबंध और है योग्य को होना माना अंतर्गत प्रावधान उपरोक्त में से निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन और इसका बाद का आदेश / दोहराव। मुझे लगता है हम भी कार्यभार संभालना वह यहां तक की में मामला अनुबंधों का कहाँ हम हैं अनुमत द्वारा बैंक/आरबीआई को उप- संविदा मुझे लगता है हम(नाम
वाले देश के किसी संविदाकर्ता को कोई काम सब-संविदा नहीं करेंगे, जिनकी ज़मीनी सीमा एक साथ है। भारत, जब तक ऐसा संविदाकर्ता पूरा सभी आवश्यकताएं निहित में ऊपर निर्दिष्ट
कार्यालय ज्ञापन / आदेश।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, यदि यह वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है
अगर हमारी जानकारी गलत पाई जाती है, तो बैंक हमारे निविदा / कार्य आदेश को रिजेक्ट / टर्मिनेट करने के लिए आज़ाद होगा और वह किनारा करेगा भी होना मुक्त को आरंभ करना कोई कानूनी कार्रवाई में अनुसार साथ कानून ज़ब्त करना सहित का बयाना धन जमा / प्रदर्शन किनारा गारंटी / जमानत राशि और / या हमें प्रतिबंधित करना से बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेना भविष्य में.

बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ
तारीख:
जगह:

अनुबंध XIII

लिफ्ट लगाने के प्रस्तावित मकसद को पूरा करने के लिए साइट विज़िट और टेक्निकल काबिलियत के बारे में निविदा देने वाले के कन्फर्मेशन का प्रोफ़ॉर्मा।

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता** के **हस्ताक्षर** के साथ जमा करना होगा)

तारीख:

को

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय **रिज़र्व** बैंक, संपदा विभाग,

15, एनएस रोड

कोलकाता – 700 001

विषय: लिफ्ट लगाने के प्रस्तावित मकसद को पूरा करने के लिए साइट विज़िट और टेक्निकल काफ़ी होने का कन्फर्मेशन।

महोदय,

हमने लिफ्ट के प्रस्तावित इंस्टॉलेशन की जगह का दौरा किया है और **निविदा** में बताए गए काम का दायरा, मकसद, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और **मात्रा** बिल को समझा है। इनकी जांच करने के बाद, हम कन्फर्म करते हैं कि **निविदा** में बताए गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और **मात्रा** बिल **निविदा** के बताए गए मकसद को लागू करने और डिलीवर करने के लिए काफी हैं। अगर बताए गए मकसद को पाने के लिए किसी भी सुधार की ज़रूरत होती है, तो वह बैंक को बिना किसी **अतिरिक्त** खर्च के दिया जाएगा।

बोली लगाने वाले के **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता** के **हस्ताक्षर** और नाम, रबर स्टैम्प के साथ

तारीख:

स्थान:

अनुबंध XIV

बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / सिविल मुकदमे / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचन

[आवेदक के लेटर हेड पर]

तारीख:

को,
क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

15, नेताजी सुभाष रोड,

कोलकाता – 700 001

संदर्भ: _____ के लिए आवेदन

महोदया,

1 मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी रहा

/ किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कारण से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ।

1. मुझे लगता है हम (नाम का बोलीदाता) घोषित वह निम्नलिखित हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन प्रोजेक्ट, शामिल कानूनी प्राधिकरण आदि)

.....

तथापि, हम वाणी वह ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है नहीं चाहना हमारा क्षमता को बाँटना एम्पैनलमेंट के लिए एप्लीकेशन के अनुसार बैंक की ज़रूरतें।

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषणा करते हैं कि सिविल मुकदमे/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता आदि के कोई भी मामले हमारे समक्ष नहीं आएंगे।

हमारे किसी भी पूरे किए गए प्रोजेक्ट में शुरू किया गया हो

2. आगे, हम भी घोषित वह अगले नागरिक मुकदमों / मुकदमेबाजी / हमारे पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स में आर्बिट्रेशन केस शुरू किए गए/जा रहे हैं:
..... (प्रोजेक्ट का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि)

.....
(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम
रबर स्टैम्प के साथ

तारीख:

जगह:

अनुबंध XV

वार्षिक रखरखाव संविदा के के लिए करार

(**500** रुपये गैर न्यायिक स्टाम्प कागज़ पर)

वार्षिक रखरखाव संविदा **के लिए** संविदा की शर्तें

(500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह करार संविदा भारतीय रिज़र्व बैंक , कोलकाता है (और _____ के मध्य दिनांक _____ को) इसके बाद "आईएएस " और "रहस्यमय "कहा जाएगा (नि ष्पादि त कि या गया।

जबकि इंस्पेक्टर _____(कार्य का नाम (हेतु _____ की अवधि के के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा का सेल्फी है और उसने किए जाने वाले कार्यप्रणाली की रिफंड और मात्राओं के अनुरूप एफडीए कार्य के के लिए तर्जनी अथवा फूड द्वारा या इसके के लिए तर्जनी किए गए हैं ।

और जबकि 1. है विषय के काम पर यहाँ निर्धारण पॉजिटिव और विशेष पॉजिटिव में अंगुल और संविदा की मात्राओं और पॉजिटिव की अनुसूची में एफआईआर करके अंतत :दोनों पवार द्वारा अनुपालन के के लिए सहमति हुई है)में सभी सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों "के रूप कहा जाएगा ,(उक्त मानचित्रों पर दिखाएँ गए कार्यप्रणाली और /या उक्त विनिर्देशों में वर्ण और संबंधित गरीबी में मात्रा की अनुसूची में शामिल है , उसके बाद निकलना गई राशि या अन्य राशि के रूप में इसके सैर देय)इसके बाद "उक्त संविदा राशि "के रूप में संदर्भित (होगा।

करार की शर्तें _____ द्वारा बनाए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक , कोलकाता (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के _____ (जिसे आगे "संविदाकर्ता" कहा जाएगा)

के बीच _____ के दिन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

जबकि नियोक्ता _____(काम का नाम) के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा चाहता है **और** उसने किए *जाने वाले कामों के बारे में बताते हुए स्पेसिफिकेशन्स और* मात्रा *का शेड्यूल बनवाया* है **,** जिस पर पार्टियों की ओर से या उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि संविदाकर्ता ने इस काम को यहां बताई गई शर्तों और खास शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों के शेड्यूल में बताई गई शर्तों के अनुसार पूरा करने पर सहमति जताई है, जैसा कि दोनों पार्टियों ने बदला है और आखिरकार मान लिया है (जिन सभी को एक साथ "कहा गया शर्तें" कहा गया है) जो काम ड्राइंग में दिखाए गए हैं और/या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए हैं और मात्रा के शेड्यूल में शामिल हैं, उनमें बताई गई दरों पर, जो उसमें तय रकम या उसके तहत देय कोई दूसरी रकम होगी (जिसे आगे "कहा गया संविदा अमाउंट" कहा गया है)।

यह एतद्वारा अब सहमति के साथ है प्रकार है :

अब यह इस प्रकार सहमत है:

1.	यह वार्षिक रखरखाव संविदा (प्रणाली के सभी भाग) 19 वर्ष की अवधि के के लिए है। संविदा की डार को है रूढ़िवादी के उपबंध 3 बी के अनुसार आयरलैंड किया जाएगा। यह वार्षिक रखरखाव संविदा (यानी सिस्टम के सभी पार्ट्स) 1 साल के लिए है। 19 साल **I** संविदा का दर इस करार के उपबंध 3B के अनुसार रिन्यू किया जाएगा।
2.	बैंक _____ में _____ के रख -बचाव कार्य के निष्पादन हेतु फर्म को रू _____ के के लिए भुगतान कि याजाएगा। **बैंक द्वारा फर्म को _____ के लिए _____** **रुपये का भुगतान किया जाएगा**
3	**A. वारंटी/**दोष देयता अवधि **के दौरान काम का स्कोप और उसके बाद** व्यापक वार्षिक **रखरखाव संविदा** अवधि **:** i. सुनिश्चित करना वह योग्य टीम तैनात द्वारा उन्हें, के लिए उद्देश्य के लिए प्रतिपादन आवश्यक सेवाएँ द्वारा किनारा अंतर्गत यह करार। ii. सुनिश्चित करना वह उसका कर्मचारी, जबकि में बैंक परिसर या जबकि भार उठाते बाहर उनका दायित्वों अंतर्गत यह करार, निरीक्षण मानकों का स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छा व्यवहार और सामान्य अनुशासन द्वारा निर्धारित किनारा और किनारा/ नियोक्ता करेगा होना अकेला न्यायाधीश जैसा को चाहे या नहीं निविदाकार और/ या उसके कर्मचारियों पास होना देखा वही। iii. व्यक्तिगत रूप से, और केवल निगरानी काम का उसका कर्मचारी इसलिए जैसा को सुनिश्चित करना वह सेवा प्रतिपादन किया अंतर्गत यह करार हैं ले जाया गया बाहर को संतुष्टि का किनारा। iv. सुनिश्चित करना वह नहीं कर्मचारी का निविदाकार इच्छा प्रवेश करें या रहें पर बैंक का परिसर आगे निर्दिष्ट समय सीमा जब तक और ज़रूरी के लिए को पूरा करने निविदाकर्ता का दायित्व। v. होना उत्तरदायी के लिए कोई हानि कारण को बैंक या इसका परिसर या कोई भाग उसके या को कोई उसके उपकरण या कोई संपत्ति का किनारा और उसमें द्वारा कोई कार्य, चूक, चूक या लापरवाही की निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों या एजेंट। vi. सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर, इक्विपमेंट बैंक को सौंपने की तारीख से DLP और सीएएमसी अवधि के लिए सभी तरह के दोष के खिलाफ गारंटी होगी। गारंटी अवधि के अंदर ARD के सिस्टम/सब-असेंबली/बैटरी/कॉल बटन, कार LED लाइट/पंखे/LED पैनल वगैरह जैसे छोटे पार्ट्स में कोई भी खराबी मिलने पर, निविदा देने वाले को उसे **फ्री में ठीक करना होगा/बदलना** होगा। कोई भी असेंबली/पार्ट्स/बैटरी/वायरिंग जिसे बदलने/टूटने/खराब केबल और/या कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत हो, उसे ज़रूरत पड़ने पर बदलना होगा, जिसके लिए संविदा की शर्तों के मुताबिक बैंक भुगतान नहीं करेगा। vii. सिस्टम को आगे **19 साल तक सीएएमसी के तहत मेंटेन करना भी ज़रूरी है।**

viii. इस समय (DLP और सीएएमसी) के दौरान कम से कम **4** सर्विसिंग (रेल की सफाई, मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की चेकिंग, सेफ्टी, इंटरलॉकिंग चेकिंग या OEM द्वारा बताई गई कोई भी दूसरी चेकिंग) और किसी भी नंबर पर ब्रेकडाउन कॉल्स को अटेंड करना फ्री में किया जाएगा।

ix. DLP के दौरान कोई भुगतान नहीं होता है। हालाँकि, सीएएमसी भुगतान इस तारीख को किया जाएगा। संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर **छमाही ।**

x. वार्षिक रखरखाव सर्विस संविदा दर में सारा खर्च भी शामिल होगा , जिसमें लेबर, सबसे पास के सर्विस स्टेशन से आने-जाने का खर्च, सभी स्पेयर पार्ट्स, तेल, केबल, और ज़रूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन और सिस्टम को दूसरी जगह ले जाना, सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी सामान वगैरह शामिल होंगे।

xi. संविदाकर्ता को सारा काम बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करना होगा। अगर बैंक के इंजीनियर की राय में, साइट की कंडीशन के हिसाब से थोड़े बदलाव करने हैं और बैंक से पहले से लिखकर मंज़ूरी लेकर, वे संविदाकर्ता से ऐसा करवाना चाहते हैं, तो संविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ऐसा करेगा।

B. व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण:

संविदा का अमाउंट दो साल (एक साल का दोष देयता अवधि और बताए गए दर पर एक साल का एएमसी) के बाद कम से कम 18 साल के अतिरिक्त समय के लिए रिन्यू किया जाएगा। संविदा रिन्यू करते समय अमाउंट इस फ़ॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा।

$$ए_{सी} = ए_{पी} [(50 x (ईपीआई_{सी} / ईपीआई_{पी}) + 50x (सीपीआई_{सी} / सीपीआई_{पी})] / 100$$

ए सी	चालू साल के लिए संविदा की रकम (टैक्स को छोड़कर)
ए पी	पिछले साल का संविदा अमाउंट (टैक्स को छोड़कर)
सीपीआई सी	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) चालू साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
सीपीआई पी	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
ईपीआई$_{पी}$	इस साल के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले **मटेरियल हैंडलिंग, लिफ्टिंग और होइस्टिंग इक्विपमेंट** के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ।

	ईपीआईपी	पिछले साल के संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले **मटेरियल हैंडलिंग, लिफ्टिंग और होइस्टिंग इक्विपमेंट के लिए** होलसेल प्राइस इंडेक्स ।

4 **जुर्माना:** सिस्टम में कोई भी खराबी नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक की जाएगी, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाई जाएगी।

	सुधार समय	जुर्माना
किसी भी खराबी की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही है	12 घंटे	हर लिफ्ट के लिए हर दिन ₹1400.

5 **भुगतान शर्त :**सेवा संविदा के के लिए यह डार रेजिस्टेंट सेवा आपूर्ति करने पर अर्धवार्षिक आधार पर 1 वर्ष के भुगतान की अवधि के के लिए मान्य है।
भुगतान **की शर्त** : सर्विस संविदा के लिए यह दर 1 साल के लिए वैलिड है। और संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।

6 है संविदा के सैर आलोक द्वारा सभी भुगतान केवल कोलकाता में किए जाएंगे। इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल कोलकाता में किए जाएंगे।

7 है रूढ़िवादी से जुड़े या किसी भी जैसे से उत्पन्न होने वाले सभी मतदाताओं को कोलकाता में उत्पन्न माना जाएगा और केवल मुंबई की अदालतों को हाय यह निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा।
इस करार से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े कोलकाता में ही हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ कोलकाता की अदालतों के पास होगा।

8 गैर -तरबूज खंड :बोलीदाता ,बैंक के बुनियादी वाईफाई /परमिट /उपकरण आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी , सामग्री और विवरण का किसी तीसरा पक्ष को खुलासा नहीं होगा , जो है रूढ़िवादी के संबंध में अपने संविदात्मक बैंकिंग के फर्नीचर के इस दौरान बोलीदाता के व्यवसाय या ज्ञान के पास आ कर सकते हैं है , और हर समय है पर विश्वास मनरेगा। बोलीदाता बुजुर्गों इसके सैर बैंकिंग को पूरा करने या लागू गरीबी का पालन करने के के लिए आवश्यक सीमा के इसके अलावा संविदा के विवरण को वैयक्क और गोपनीय मानेगा। बोलीदाता आलोक की पिछला लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगह पर कार्यप्रणाली के किसी भी विवरण का खुलासा , प्रकाशन होने की अनुमति नहीं देगा।

	बोलीदाता ,किसी भी गोपनीय जानकारी के इंद्रधनुष के परिणामस्वरूप आलोक को होने वाले किसी भी नुकसान के के लिए आलोक को मासिक होगा। फिंगरप्रिंट का पालन करने में विफलता को बोलीदाता की या से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और आलोक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचारों को आगे बढ़ाने का चूत होगा। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के मध्य सभी उचित कार्रवाई होगा ताकि यह <extra_id_1> किया जा सके कि है रूढ़िवादी के सैर गोपनीय फोरेंसिक का इंद्रधनुष न करने के गतिशीलता पूरी जैसे से सफाई होन । गैर -तरबूज और गोपनीयता के संबंध में बोलीदाता के गतिशीलता किसी भी कारण से है रूढ़िवादी की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएंगे। **अप्रकटीकरण उपबंध:** बोलीकर्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान बोलीकर्ता के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। बोलीकर्ता संविदा के विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। बोलीकर्ता नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने नहीं देगा, या डिस्क्लोज नहीं करेगा। बोलीकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा । ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को बोलीकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा। बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, जानकारी न बताने और गोपनीयता के संबंध में बोलीकर्ता की ज़िम्मेदारी बनी रहेगी।
9.	लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित उपबंध लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम खंड/ प्रशासनिक /एजेंसी कार्य स्थल)रोकथाम , निषेध और रोकथाम (अधिनियम 2013में महिलाएं के लैंगिक उत्पीड़न के आउटलुक के पूर्ण फाइबर के के लिए पूरी जैसे जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में प्रशासनिक /एजेंसी द्वारा फैशनेबल आंतरिक शिकायत समिति के तुलनात्मक शिकायत दर्ज की जाएगी और विभागीय /एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के सैर उचित कार्रवाई <extra_id_1> साधना । बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ 1. के किसी भी गंभीर कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा फैशनेबल क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा दलदल लिया जाएगा यदि 1. के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाति है , तो 1. किसी भी मौद्रिक एफडीए के के लिए जिम्मेदार होगा , जिसे घटना में कर्मचारी शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो मई है। 1. अपने कर्मचारी को बेरोजगारी पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दा के के बारे में में शिक्षित करने के के लिए जिम्मेदार होगा। 1. अपने कर्मचारी की एक पूरी और अपडेट करें सूची आपूर्ति होगा जो बैंक के परिसर के भीतर तैनाती हैं। संविदाकर्ता/एजेंसी "काम की जगह पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और शिकायत) एक्ट 2013" के नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगी। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी

	के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत मिलने पर, संविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदाकर्ता/एजेंसी शिकायत के संबंध में बताए गए एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगी। संविदाकर्ता के किसी भी परेशान कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमेटी ध्यान देगी। अगर घटना में कर्मचारी शामिल है, और संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो संविदाकर्ता को किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होना होगा। संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

सेवा वितरक के हस्ताक्षर
सील सहित
सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

बैंक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
सील सहित
बैंक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)